''प्राकृतिक सम्पदा पर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है''

उ0प्र0 में वनाधिकारों की अनदेखी व वनविभाग एवं पुलिस द्वारा वनाश्रित समुदाय के उत्पीड़न को लेकर प्रदेश स्तरीय

जनसुनवाई

28 जनवरी 2019

ज्यूरी सदस्य

न्यायमूर्ति कोलसे पाटिल मुम्बई हाईकोर्ट

तीस्ता सीतलवाड, मानवाधिकार कार्यकर्ता

संदीप पांडे, सामाजिक कार्यकर्ता

जी0पी कनौजिया पूर्व डी0आई0जी उ0प्र0

एस0फरमान अहमद नकवी, वरिष्ठ अधिवक्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट

चौ0 दिलनीसार, अधिवक्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट

स्थान– गांधी भवन, कैसर बाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

समय–सुबह 10 बजे से 5 बजे तक

आयोजक : वन एवं भू अधिकार अभियान उ0प्र0 एवं अखिल भारतीय वनजन श्रमजीवी यूनियन

सहयोग : एक्शन ऐड लखनऊ

संपर्क : 8004898913, 9235666320

कार्यकम सूची न0

क0सं0	प्रस्तुत करने वालों के नाम	पृष्ठ संख्या
1	भूमिका	
2	जिला सहारनपुर– जयप्रकाश	
3	जिला सोनभद्र– श्यामलाल पासवान	
4	जिला सोनभद्र– लालती पासवान	
5	जिला सोनभद्र– शोभा	
6	जिला बहराइच–जंग हिंदुस्तानी	
7	जिला मानिकपुर चित्रकूट– मतादयाल	
8	जिला चित्रकूट जारोमाफी– राममिलन	
9	जिला चित्रकूट–ग्राम रानीपुर – भोला प्रसाद कोल	
10	जिला जलौन– अरविन्द कुमार पहरिया	
11	जिला जलौन– मनोज कुमार सहरिया	
12	जिला ललितपुर–ग्राम वरदा लच्छी देबी सहरिया आदिवासी	
13	जिला ललितपुर – ग्राम खेड़ा कल्लू सहरिया	
14	जिला बिजनौर– श्री नरायण सिंह	
15	जिला–सोनभद्र रोमा–भूमिका–अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन	
16	जिला सोनभद्र– सुकालो	
17	जिला सोनभद्र– फुलरी देवी ग्राम बभुआरी	
18	जिला गोरखपुर– कन्हाई राम जी	
19	जिला सहारनपुर– मुस्तुफा चोपड़ा	
20	जिला सहारनपुर– चनूराम जी कालूवाला वनटौंगिया	
21	जिला–लखीमपुर–खीरी बंतो देबी–थारू आदिवासी	
22	जिला चंदौली–रोमा अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन	
23	**जूरी मेंबर** जस्टिस कौशिल पाटिल– मुंबई हाईकोट जज	
24	तीस्ता सीतलवाड़ – मुंबाई	
25	फरमान नकवी– इलाहाबाद हाईकोर्ट वकील प्रोफेसर	
26	पूर्व डीजीपी श्री जी0पी कनौजिया – लखनऊ	
27	संदीप पांडे– प्रोफेसर	
28	अशोक चौधरी – अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन	
29	मनीशा – एक्शन ऐड, लखनऊ	

भूमिका

वनाधिकार कानून सन 2006 में वनाश्रित समुदायों के लंबे संघर्ष के बाद पारित हुआ और सन 2008 में जाकर इस कानून की नियमावली बनी। इस कानून के बनने से पहले और लागू करने तक कदम कदम पर काफी अड़चने आई और अभी भी आ रही है। इन अड़चनों के पीछे एक बड़ा कारण यह है कि वन विभाग और तमाम तथाकथित वन्यजीवप्रेमी कभी नहीं चाहते थे कि यह कानून सही रूप से धरातल पर लागू हो, लेकिन हमें धन्यवाद करना चाहिए हमारी माननीय संसद का जिसने इस कानून की प्रस्तावना में '' ऐतिहासिक अन्याय'' को स्वीकारते हुए वनाधिकार कानून 2006 को पास किया था। कानून के पास हुए 12 वर्ष से उपर होने जा रहे हैं लेकिन देखने में आ रहा है जितना वनसमुदाय इस कानून को लागू करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं उतना ही उनका उत्पीड़न भी बढ़ता जा रहा है। उ0प्र में इस कानून के तहत कुछ कामयाबी जरूर हासिल हुई जैसे बसपा सरकार के शासनकाल में जब कई जिलों में दावा की प्रक्रिया तेज़ की गई लेकिन अफसरशाही के चलते 90 फीसदी दावों को रदद कर दिया गया। और कुछ कामयाबी भाजपा योगी सरकार के शासनकाल में मिली है जिसमें 34 वनग्रामों एवं वन टांगियां गांवों को अधिकार पत्र दिए गए व राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने के आदेश दिए गए, जिसका हम स्वागत करते हैं।

उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में उन्नीस से अधिक जिलों में जंगल है और उनमें लाखों की तादात मे वनाश्रित समुदायों के लोग निवास और खेती करते हैं। उत्तर प्रदेश में कई तरह के वन ग्राम है जैसे– बन गुजरो के खोल, गोठ, वनकठिया मजदूरों के वनग्राम, वनटांगिया मजदूरों के वन ग्राम, बाढ़ विस्थापितों के वनग्राम और विभिन्न वानिकी की कार्यों में लगाए गए मजदूरों के वनग्राम, फिक्स डिमान्ड होल्डिन्ग वनग्राम इसके अलावा संरक्षित वन, आरक्षित वन व नेशनल पार्क के अतंर्गत वन बस्तियां हैं जहां पर अधिकांश आदिवासी, दलित एवं अन्य परम्परागत समुदाय निवास करते हैं।

शुरुआत में वन विभाग द्वारा मात्र 13 वन ग्राम की ही जानकारी शासन को भेजी गई थी, लेकिन जन आंदोलन के चलते वन विभाग के झूठ का पर्दाफाश हुआ और फिर सरकारी आंकड़ों के अनुसार बढ़कर 89 हो गए। अभी भी बहुत सारे एसे छोटे–छोटे लघु वनग्राम हैं, जहां तक वनाधिकार कानून की आवाज नहीं पहुंची है। वन विभाग के अधिकारी इसे इसलिए लागू नहीं करने देना चाहते है क्योंकि इस कानून को लागू होने के बाद वनवासियों की जंगल में निगरानी बढ़ जाएगी, दूसरी ओर करोड़ों रुपये की वनोपज जो अभी वन विभाग के अधीन है वह वनवासियों के नियंत्रण में आ जाएगी। इसी डर के चलते ही वन विभाग ने सहारनपुर जिले में वन गुर्जरों का जीवन खतरे में डाल दिया है। पहले तो उसने स्वयं वन गुर्जरों को हटाना चाहा था लेकिन जब वो इस काम में सक्षम नहीं हुआ तो उसने सेना की आड़ ली। वन गुर्जरों को बर्बाद करने का प्रयास किया क्योंकि जिस जगह पर हजारों की संख्या में वन गुर्जर रहते थे उस जगह को सेना के युद्ध अभ्यास के लिए फायरिंग जोन बनाने के लिए दे दिया और यह लिख कर दिया कि वह इस क्षेत्र में कोई मानव आबादी नहीं रहती है। लेकिन जब सेना युद्ध अभ्यास करने के लिए पहुंची तो गोला बारूद छोड़ने से एक वनगुज्जर महिला की मौत हो गई। इतनी बड़ी तादाद में वहां रह रहे वन गुर्जरों ने इसका विरोध किया तब जाकर वन विभाग के झूठ का पर्दाफाश हुआ। इसी प्रकार बिजनौर जिलें में वन विभाग द्वारा वन आश्रित समुदाय को गैर वन आश्रित बताकर प्रशासन को गुमराह कर रहा है और झूठी रिपोर्ट भेजी गई कि क्षेत्र में कोई भी वनाश्रित समुदाय नहीं है। जबकि वहां के परियोजना अधिकारी कि

रिपोर्ट में यह दर्ज है कि इस क्षेत्र में हज़ारों की संख्या में बक्सा जनजाति के लोग निवास करते हैं जो कि वनों पर आश्रित हैं।

पीलीभीत के जंगलों को टाइगर रिजर्व बनाया गया है उसमें रह रहे वनवासियों को बाघ पालने के नाम पर उजाड़े जाने का काम चल रहा है। वहीं अभी हाल ही में खीरी, खटीमा और सोनभद्र में वनविभाग और पुलिस ने महिलाओं पर जबरदस्त हमला किया है। खटीमा और खीरी में महिलाओं के साथ अभद्रता की और सोनभद्र में आदिवासी महिला नेता सोकालो गोंड़, किस्मति गोंड़ एवं अन्य को रेलवे स्टेशन से चोरी से पकड़ पांच महीने तक जेल में रखा गया। इतना ही नहीं सामुदायिक दावों के दायर करने के बाद सोनभद्र और चन्दौली में खुद जिला प्रशासन द्वारा वनसमुदाय पर कहर बरसाया गया। राजकुमारी और नंदू गोंण को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दावेदारों के अपराधिक इतिहास बनाये जा रहे हैं।

जिन 16 ग्रामसभाओं ने 23 मार्च 2018 को सोनभद्र में जिलाधिकारी को सामुदायिक दावा किया था उन सभी ग्रामसभाओं के अध्यक्षों को उपजिलाधिकारी द्वारा अवैध कब्ज़े के नोटिस भेजे गए व उन्हें जमानत लेने पर मजबूर किया गया। जिला चन्दौली में 29 जुलाई को सामुदायिक दावा के बाद 7 ग्रामसभाओं को स्वयं जिलाप्रशासन ने नोटिस दिए व ग्राम भरदुआ में खड़े होकर दावे की गई भूमि पर जेसीबी से खेती उजाड़ दी गई। ललितपुर में सहरिया जनजाति के दावे की गई भूमि को उजाड़ा गया व आदिवासीयों के घरों में आग लगा दी गई। वनविभाग के अत्याचारी कर्मचारीयों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया लेकिन आज तक उन पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई।

लखीमपुर खीरी जिले में थारू आदिवासी बहुल 44 गांव में लोगों को जीवन उपयोगी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगल में जाने से रोका जा रहा है। और उनके जो सामुदायिक अधिकारों का दावा तहसील स्तर में पड़ा हुआ है उसे पास होने से रोका जा रहा है और प्रशासन को वन विभाग द्वारा गुमराह कर किया जा रहा है । वन विभाग के उत्पीड़न बढ़ते चले जा रहे हैं। पुलिस दलालों के साथ मिलकर स्थानीय वन समुदाय को मुकदमा मे फंसाने का कार्य कर रही है। किशनपुर में तीन और दुधवा में एक तथा कतरनिया घाट में 17 गांव में कोर जोन में दिखा करके हटाने की योजना बनाई जा रही है। लोगों को पुनर्स्थापन का लालच दिया जा रहा है। इसी तरह बहराइच जनपद में मात्र एक गांव गोकुल पुर राजस्व ग्राम की श्रेणी में किया गया है लेकिन बाकी चारों वनग्राम को राजस्व गांव होने से पहले ही वन विभाग ने टिप्पणी करके रोक दिया। वनटांगिया गांव महबूबनगर को भी प्रशासन ने साक्ष्यों के अभाव में राजस्व ग्राम में परिवर्तित होने से वंचित कर दिया है। इको पर्यटन के नाम पर पैसा लेकर शिकारियों को जंगल में घुसाया जा रहा है। इसी तरह वनों में बसी हुई कतरनियाघाट के 19 वनबस्तियों में अभी दावा सत्यापन शुरू नहीं हो पाया है। गोंडा में वन टांगिया गांव राजस्व ग्राम में परिवर्तित हो गए हैं और उनमें विकास कार्य भी चल रहा है किंतु वन विभाग के लोग उन्हें जंगल से बाहर निकलने और सरकार से वनभूमि के बदले राजस्व भूमि की मांग करने के लिए गांव के लोगों को बहला फुसला रहा है। बलरामपुर के जिन 5 गांव को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया गया है उनमें सामुदायिक अधिकारों का नामोनिशान नहीं है इसी तरह गोरखपुर और महाराजगंज के टांगीयां वनग्राम बस्तियों में व्यक्तिगत अधिकारों को तरजीह दी गई है लेकिन सामुदायिक अधिकारों की बात नहीं हो रही है। और अभी तक ग्राम पंचायतों का गठन नहीं हो पाया है। बांदा तथा चित्रकूट में जगह–जगह पर वन वासियों की जमीन को छीना जा रहा है और उन्हें जंगल में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। बुन्देलखण्ड के सात जिले जहां पर वन अधिकारों के मामले हैं अभी तक निस्तारित नहीं हो पाए हैं।

पूरे उत्तर प्रदेश में वनाधिकार को लेकर बेहद ही गंभीर समस्या है जिसे उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा भी संज्ञान में लिया गया है व रिट संख्या 56003/2017 में 13 अक्टूबर 2018 द्वारा हाई कोर्ट ने वनाधिकार कानून के तहत दाख़िल दावों की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश दिलीप बी0 पी0 भौंसले व न्यायमूर्ति यंशवंत वर्मा द्वारा दिये गये आदेश में यह कहा गया है कि दावा दायर करने के दौरान व उसके बाद किसी भी दावेदार के विरूद्ध कोई उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं की जाएगी।

प्रदेश में संसद के कानून को लागू करने के बजाय वनाश्रित समुदाय के ऊपर असंख्य फर्जी मुकदमें किए जा रहे हैं व उनके साथ कार्य कर रहे सामाजिक कार्यकताओं को भी नहीं बक्शा जा रहा। जंगल में केवल अराजकता फैलाई जा रही है व पुलिस दलालों दबंगों वनविभाग की मिलीभगत से ग़रीब आदिवासी दलित व महिलाओं को फंसाया जा रहा है। फर्जी मुकदमों के मामले में सन 2011 को राष्ट्रीय वनजन श्रमजीवी मंच (जो अब अखिल भारतीय वनजन श्रमजीवी यूनियन के नाम से जाना जाता है)द्वारा आयोजित की गई थी व उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार और केन्द्र सरकारों को भी भेजा गया थी। वनक्षेत्र में वनाधिकार कानून आने के बाद खासतौर पर हज़ारों की संख्या में वनाश्रित समुदाय के अपराधिक इतिहास बनाये जा रहे हैं। इन मामलों को लेकर पिछले वर्ष प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड एवं मुनीज़ा की एक टीम द्वारा सोनभद्र के दलित आदिवासी समुदाय पर किए गए फर्जी मुकदमों की एक सूची तैयार की गई है जिसे उच्च न्यायालय में याचिका के लिए तैयार किया गया है।

इन्हीं सब मामलों को लेकर एक दिवसीय '' जनसुनवाई'' लखनऊ में गांधी भवन में आयोजित की गई । जिसमें **मुम्बई हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश श्री पी0जी कोलसे पाटिल, मानवाधिकार कार्यकर्ता पत्रकार तीस्ता सीतलवाड, सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांड़े, एस0 फरमान अहमद नकवी अधिवक्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट, चौ0 दिलनिसार अधिवक्ता हाईकोर्ट, पूर्व डी0जी0पी जी0पी कनौजिया, जूरी** सदस्य थे।

फोटो

जनसुनवाई में कुल 25 केस प्रस्तुत किए गए। कई केस लिखित रूप से भी जनसुनवाई में पेश हुए थे उन्हें भी जनसुनवाई में शामिल किए गए हैं।

जिला सहारनपुर– जयप्रकाश

जयप्रकाश सहारनपुर जिला के मिर्जापुर पोल गांव के रहने वाले हैं। जिन्होनें एक गीत के माध्यम से अपनी बात को शुरू किया।

हमारे साथी कहा करते थे– वतन की रेत एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा,,

गीत

जिस दिन देश की जनता के हकों को दिलाया जाएगा ,
उस दिन मेरे गीतों का त्यौहार मनाया जाएगा,
देश की जनता जिंदाबाद,
देश की महिला जिंदाबाद,,
जिस दिन देश की जनता के हकों को दिलाया जाएगा ,
उस दिन मेंरे गीतों का त्यौहार मनाया जाएगा
और देश का मालिक जंगल है, इससे ही हमारा पालन है,,
देश के वासी मालिक इसके, ये वन विभाग हमारा नौकर है,,
इस नौकर को जब अच्छे ढ़ंग से समझाया जाएगा,
उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा,,
जिस दिन देश की जनता के हकों को दिलाया जायेगा,
उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा,,
देश की जनता जाग उठों अब, देश का भाग जाग रहा,,
दुश्मन की तुम रहो जांच में, दुश्मन पीछे लाग रहा,,
हेरा फेरी रिश्वत को जब यहां से हटाया जाएगा,
उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा,,
जिस दिन देश की जनता के हकों को दिलाया जाएगा,
उन दिनों मेरे गीतों का त्योहार मनाया,,

साथियों अब दूसरी कड़ी है कि अभी एलक्शन नजदीक है और एलक्शन में नेता लोग हमारे पीछे क्या –क्या करते हैं इस कड़ी को जरा सुनिए –

एलक्शन के दौरान देश में नेता घूमा करते हैं,
और इधर उधर का झूंठ बोलकर मतलब हल कर लेते हैं,,
जिस दिन ऐसे नेताओं को यहां से भगाया जाएगा,
उन दिनों मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा,,
जिस दिन देश की जनता के हकों को दिलाया जाएगा ,
उन दिनों मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा,,
घाड़ क्षेत्र मजदूर मोर्चा घाड़ का रहने वाला है,
वन निगम और वन विभाग के बंद करने का ताला है ,
और जिस दिन देश का बच्चा–बच्चा खुशहाली बतलाएगा,
उन दिनों मेरे गीतों का त्योहार मनाया,,
देश की जनता जिंदाबाद,
देश की महिला जिंदाबाद,,

जिला सोनभद्र– श्यामलाल पासवान

सभी साथियों को नमस्कार सभी साथियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे यूनियन के साथी हैं उन लोगों पर काफी अत्याचार हुआ है। वन अधिकार कानून लागू होने के बाद भी हम लोगों के ऊपर मुकदमें की बाढ़ आ गई सरकार हम लोगों को सदियों से वनवासी आदिवासियों को सता रही है। अंग्रेजी शासन ने तो हमें सताया ही और आज सरकार भी हम लोगों को सता रही है। स्वतंत्र भारत में भी हम लोग आजाद नहीं हैं और हम अंग्रेजों के शासन से भी बदतर हैं । 1927 में वन कानून बना जब देश आजाद हुआ तो सब कानून में बदलाव आया लेकिन वन विभाग के कानून जस के तस रह गये । ये कानून क्यों रखा गया सिर्फ वनवासी आदिवासी के उत्पीड़न के लिए। कोई भी सरकार चाहे कांग्रेस सरकार हो या भाजपा सरकार इस पर कभी भी गरीबों पर ध्यान नहीं दिया, गरीबों को केवल उत्पीड़न के लिए ये कानून रखा गया है। आज भी वनाधिकार कानून 2006 बना लेकिन वन विभाग के हाथों में बेंच दिया गया अगर ये कानून सही प्रकार से लागू होता तो हम वनवासी आदिवासी के साथ उत्पीड़न नहीं होता। ये कानून बनाया गया था कि आदिवासियों वनवासियों के ऊपर अंग्रेजों के ही शासन से वनवासियों आदिवासियों पर अंग्रेजी शासन द्वारा अन्याय हुआ है ये अन्याय को खत्म करने के लिए कानून बनाया गया था। नाना प्रकार के मुकदमा आज हमारे ऊपर लादे जा रहे है। हमारे ऊपर दो बार गुंड़ा एक्ट का मुकदमा क़ायम किया गया है। हिस्ट्री शीटर बनाकर पुलिस द्वारा हम लोगों को गोली मरवाने की धमकी दी जाती है। और आज भी हमारे ऊपर इतने मुकदमें हैं 120बी, सी एल एक्ट, आई0पी0सी की 504,149,147,148,353,452 ऐसे–ऐसे संगीन मुकदमा लगाकर उत्पीड़न किया जा रहा है। जो भी हमारे

आदिवासी वनवासी हैं अपने अधिकार के लिए बोलता है उसको इतना मुकदमा लगाकर उत्पीड़न किया जा रहा है कि चाह कर अपनी आवाज को न उठा पाये। चार बार हम भी जेल गये और अपने बीबी के साथ गये । हमारे ऊपर इतने मुकदमें तो हैं 12 मुकदमें जामानत करके लड़ रहे हैं, चार वारंट हमारे ऊपर हुए हैं अब बताइये गुंड़ा एक्ट, क्रीमीनल एक्ट मुकदमा तो अलग है इतने मुकदमा हम कैसे लड़ सकते हैं हम लोगों को जीना मुश्किल हो गया। हम लोगों के पास केवल अपना मकान है हम लोगों के पास कोई जमीन नहीं है। वन विभाग और पुलिस विभाग दोनों मिल करके हम लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। गुंडा एक्ट लगाके हमको जिला बदर किया है लास्ट में हमने कमीशनर साहब से अपील की और मुकदमा स्टे कराकर के आए हैं । लेकिन चोपन थाने में हर सोमवार को हाजरी देना पड़ता हैं। हम लोग जिस जमीन पर दख़ल हैं वो भी जमीन दलालों के पक्ष में वन विभाग और पुलिस विभाग मिल करके दूसरे को कब्ज़ा करवा रहे हैं और हम लोगों को उत्पीड़न करवा रहे हैं। हम लोग कितना प्रथनापत्र दे रहे हैं लेकिन पुलिस विभाग हम लोागें को दबाती जा रही है। प्रार्थनापत्र पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। और मजे की बात ये है कि सोनभद्र की पुलिस वारंट लेके जाती है सम्मन लेकर नहीं जाती है। वारंट लेके जाते हैं तो हजार पांच सौ रूपये मांगते हैं। आज पंद्रह दिन पहले हमारे पास सिपाही आया बोला तेल खर्चा दो हम बोले हमारे पास तेल खर्चा नहीं है आप बजार क्यों नहीं गये अगर आप ऐसी बात करोगे तो हम एसपी साहब से बात करेंगे तो धीरे से हांथ जोड़कर चला गया कहा कि रहने दो। हमारे पास नोटिस नहीं आती है जब गिरफ्तारी वारंट नोटिस आती है तब पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आती है। हम लोगों के उत्पीड़न सदियों से हो रहे हैं और आज भी उत्पीड़न जारी है। हम सभी जूरी सदस्यों से अपनी बात कहना चाहते हैं कि हम लोगों के उपकार के लिए कुछ ऐसा अभियान चलाए ताकि हम लोगों की सुरक्षा हो सके हम लोगों को जीना मुश्किल हो गया है। घर पर पुलिस हम लोगों के बच्चों को ले जाकर हड़काते हैं। किसी न किसी प्रकार से हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं । और सरकार ने ऐसा किया है कि जैसे बंसी में चारा लगाकर तलाब में फेंक देते हैं लोग भोजन समझ करके मछली खाती है लेकिन अपना गला ही फंसा देती है उसी प्रकार कानून बनाकर करके हम लोगों का सरकार गला घोंट रही है।

जिला सोनभद्र– लालती पासवान

मेरा नाम लालती पासवान है मैं जिला सोनभद्र के ग्राम हर्रा बिल्रूआ से आई हूं। मेरा आप से यहीं निवेदन है कि हमारे लिए कानून तो बन गया लेकिन कानून के तहत मैं चार बार जेल में गई। पुलिस ने काफी पिटाई किया, और कोई डाक्टरी भी नहीं किया। जब मैं मिर्जापुर जेल में गई तब एसपी साहब गये और वहीं मुझे डाक्टर मिला जिन्होंने दवाई किया। लेकिन आज तक कोई कार्यवाई नहीं हुआ कहते हैं कि महिला की मान्यता प्राप्त है लेकिन महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा उत्पीड़न किया जा रहा है। अब सोनभद्र की प्रशासन हम पति पत्नी पर केस लगा लगा कर थक गए तो हमारे बच्चों पर झूठे मुकदमें

कायम कर रहे हैं। वो लोग तो कुछ किए नहीं जो कुछ किए हम ही किए हैं जो सजा मिले तो हमें मिलना चाहिए लेकिन हमरे बच्चों के हमारे लड़कियों दामाद के हमारे बहू को उनको तो नही दंड़ मिलना चाहिए। और यहां तक कि सम्मन भी हमारे ऊपर नहीं भेजते हैं डायरेक्ट गिरफ्तारी वरंट भेजते हैं कानून जब पास हो गया है तो हम लोगो को हमारा अधिकार मिलना चाहिए। हम लोग अपनी ज़मीन हक़ के लिए लड़ रहे हैं।

जिला सोनभद्र– शोभा

मेरा नाम शोभा है मैं जिला सोनभद्र के ग्राम बाड़ी थाना चोपन से आदिवासी दलित महिला हुं। मेरे ग्राम बाड़ी में सौ परिवार रहते हैं जो सब आदिवासी हैं। और वो पांच सौ बीघा भूमि पर दख़ल किए हैं जिसपर हम सभी महिलाए मिल कर सामूहिक खेती कर रही हैं। मेरा घर बाड़ी शिव मंदिर के ठीक बगल में है जो कि वनभूमि है हम 2006 से लड़ते चले आ रहे हैं, मेरे पास इस छोटी सी झोपड़ी के अलावा कोई और जगह नही है रहने की। इस आवासीय भूमि का दावा भी हमनें 2009 में भरा। लेकिन अधिाकार मिलने के बजाय हमें वहां से उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। 2015 में हम लोगों पर वन विभाग पुलिस विभाग और जो माफिया हैं उन लोगों ने मेरे घर पर हमला करवाई उसमें काफी लोग हम घायल भी हुए थे। प्रशासन द्वारा खुद खड़े हो कर यह हमला करवाया गया मेरा पूरा घर पर बोल्डर फेंके गए और घर को जला दिया गया। गांव में दो पार्टी बना कर झगड़ा करवाया गया इसमें हम काफी महिलाए घायल हुई। हमें न्याय देने के बदले हम 18 महिलाओं को जेल भेजा गया। हमारे जेल जाने के बाद हमारे यूनियन की महिलाओं ने काफी संघर्ष किया और जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठ गईं। उसमें हम लोगों की सुनवाई हुई और हमें खुद प्रशासन द्वारा ही जमानत करवा कर रिहा किया गया। इसके बाद पिछले वर्ष 23 मार्च 2018 को हम लोगों ने सामूहिक दावा भरा, जब हम लोगों का दावा फार्म भरा गया तो उसके बाद में और भी उत्पीड़न अधिक से अधिक बढ़ गया। दावा भरने के बाद वन विभाग को लगा कि अब ये लोग अधिकार प्राप्त कर लेगें इसलिए उन लोगों का उत्पीड़न लगातार बढ़ता ही चला गया और फर्जी मुकदमें सभी पर करते ही जा रहे हैं। इस जिले में जो पुलिस, प्रशासन, वन विभाग माफिया ऊचीं वर्ग के लोग है उनके अंदर एक मानसिकता है कि जो इंसान महिलाओं को जागरूक करता है उसे ही सबसे बड़ा गुंड़ा माना जाता है वहां के प्रशासन । हमें जब जेल ले जाया गया तो कोर्ट में हमें जज के सामने पेश नहीं किया गया, गाड़ी पर ही हम लोग का तारीख हुआ। मैं पूछना चाहती हुं कि क्या हम इतने बड़ा गुंडा हैं कि नीचे उतारते तो हम किसी को हानि पहुंचा देते? जो गुंड़े हैं वो आजादी से घूमते हैं जो लचार हैं उनको बदनाम किया जा रहा है और शोषण किया जा रहा है। जो हमारे साथ हो रहा है वो बताया भी नहीं जा सकता। आज मेरे घर पर मेरी तीन बेटियां हैं उनको ले करके भी हम बहुत चिंतित रहते हैं जो की आगे की बात और उनको छोड़ कर मैं कहीं भी बाहर नहीं जा सकती। 2006 में मेरे साथ यौनउत्पीड़न हुआ था उसकी भी लड़ाई जारी है। आज भी जान लीजिए की आरोप पत्र हमारे ही पक्ष में है लेकिन जो भी वकील लड़ते हैं उनके उपर दबाव बना दिया जाता है। ऐसा –ऐसा गांव में महौल है कि हम जैसे गरीब लोग लड़ नहीं

सकते। और मेरी गांव की महिलाएं जिन्होंने सौ बीघे पर दख़ल किया हैं उन लोगों का भी गांव के दलालों द्वारा भड़काया जाता है कि अगर आप इस महिला के साथ रहोगी तो आप के साथ भी उत्पीड़न होगा जो इस महिला के साथ हो रहा है वो आपको भोगना होगा, आप भी जेल जाओगी आपके पति भी जेल जाएंगे तो उसके बाद महिलाएं भी अपना अधिकार लेना संभव नहीं समझती हैं। महिलाए डर जाती है और अपने आप को संगठित भी नहीं रख पाती हैं। इसलिए मंच पे बैठे लोगों से हमारा निवेदन है कि हमारी बात को ध्यान दिया जाए और हमें न्याय दिलाया जाए।

शोभा के केस की पृष्ठभूमि

In 2006, Shobha was sexually assaulted by a member of a dominant caste. Although she immediately went to the Chopan police station to file her complaint, the case wasn't registered. It took two years for the police to lodge an FIR. In the course of attempting to get the complaint registered, Shobha traveled to Allahabad, and even Delhi. Finally, a lawyer, Mr. Vinod Pathak, met her and connected her to Roma, general secretary of the All India Union for Forest Working People (AIUFWP).

Joining the union in 2010 was the beginning of an emancipatory journey for Shobha, who started meeting with, and organising landless women. They took up various issues such as ration cards, police brutality etc. Meeting regularly, they were able to identify 150 *bighas* of farmland, and 500 *bighas* of land overall, by looking through land maps and court records. They called this the Durga *tola*, based on popular deity Durga mata, who is seen as a symbol of strength by various communities.

Facing retaliation for her activism

Shobha's successes in organising the women in Badi tola threatened the vested interests that have had designs on the land for a long time. She faced a fatal attack in 2015: her house was reportedly set on fire.

Shobha narrates the ordeal, "The villagers gathered outside my house and started abusing me. While the women were right outside my house, the men hid themselves behind the small hillocks located near my house. They were throwing stones from there. The men must have been more than a hundred in number, and all of them were drunk. I locked myself inside with other women. My children and I hid under the bedding as they were attacking us from all sides. Still hiding under the bedding, I called police. The attack continued even in the presence of the police. Once the attack stopped, someone heard the Section Officer from Obra talking on phone that nobody had been hurt in the attack. However, the reality was that many women were hurt. There was an attempt to set my house on fire. Around six policemen were present during this incident. We were then taken to Churu Kand hospital, and were examined there. Afterwards, the police took us to Mirzapur jail, more than a hundred kilometres away, by pretending to take us home. When we asked the police to stop, they threatened to slap us." Shobha says they were not told where they were being taken.

Shobha alleges that this incident was an attempt by the police and forest department to break the unity between the Dalits and Adivasis in the village, as many of those who attacked her house were Adivasis.

A fact-finding report compiled by the Delhi Solidarity Group (DSG) in July 2015 on the issue included following observation, “Though the issue is being portrayed as the clash between two communities, the origins of this conflict lie in the fact that the state government and the forest department want the real claimants/stakeholders of the land and forests (Adivasis and Dalits) to stay deprived of it.”

Despite the attack on her and several others, Shobha, her husband Ram Gharib and 18 other women were arrested on the basis of the FIR registered by the villagers. “They got witnesses to say that we hurt ourselves”, Shobha recalls. Her daughter lodged a reverse FIR against Yashoda, an ex-Block Development Committee member, and 14 other women. The police arrested Yashoda, who was reportedly one of the key people responsible for orchestrating the attack on Shobha’s house, and the other 13 women involved. However, the main culprits behind this–Kalwant Agarwal, the leader of the local mafia, and Dr. Mishra, a member of the ultra right-wing group Vishwa Hindu Parishad (VHP)–remained free. The villagers believe that Dr. Mishra was very interested in the land as he wanted to open a clinic there.

Recounting her days in the overcrowded Mirzapur prison, Shobha said, “They took our phones. They took our money [whatever little we were carrying]”. She added, “We had to sleep next to the bathroom in the cold, the blankets were torn. Our plates were made from cow dung.” After two days, Shobha and other inmates mounted a protest. “We demanded better sleeping space, blankets, better food,” she recalls. Shobha and other women fasted for two days.

The women were released on February 20, 2015, after the AIUFWP staged a protest at the District Magistrate’s office in Sonbhadra, around 80 kilometres from the jail.

The impact of reprisals against Shobha does not stop with her

When Shobha was incarcerated in 2015, her older daughter was the one who drafted the letter for her release, and led several movements for her release. However, when she came to the forefront of the struggle, those planning vicious attacks against her said, “She’s a bigger *neta* than her mother.”

When her home was attacked in 2015, Shobha’s elder daughter was in the 10^{th} standard, with her other daughter in the 9^{th} standard. Her son was in the 7^{th} standard. Because of the constant repression that followed her afterwards, none of them returned to school. Shobha laments that they have been deprived of education out of fear. Many other families are also in a similar situation.

After was forced, against her will, to stop going to school, Shobha’s daughter started going to work, picking up bottles etc. from a nearby construction site. However, she would constantly hear sexually coloured remarks and feared that she would be sexually assaulted.

“My daughter has stopped going out. Whenever they step out of the house, I am constantly afraid if my daughters will reach home safely,” says Shobha. Her daughter says, “I don’t have the mental strength to step out of the house now. I will not study further. I will stay at home.”

However, the physical and emotional attacks on Shobha haven't stopped there. Every now and then, she gets threats to leave the area and go somewhere else.

Recounting a more recent incident of her son being tortured, she says, "They took him and stood on his legs. As police officials filmed him, they asked him to say on recording that Shobha had employed her daughters as sex workers ("*dhandha karti hai*"). Afterwards he was beaten viciously." He could escape captivity because of his presence of mind. But the episode scarred him, both physically and mentally. He emerged from the incident badly injured, and it took months for him to heal.

Shobha's family lives in a permanent state of fear of threat and attacks. Shobha said her son, who started a small stall in the Badi area, was attacked again and threatened not to work there. He was forced to stop going to the stall.

Badi, forgotten, but for its resources

Apart from the struggles over land itself, the other women in the Badi area live in precarious situations. No government schemes reach here, and funds allocated are devoured by corruption and misappropriation, apparently by the same forces. For instance, many women have accused Yashoda of embezzling funds that would reach the Gram Sabha for pension schemes for widows and the elderly. Women reported a strange scenario in which Yashoda would allegedly ask married women to act as widows and would demand a considerable sum of money from their government pension once they received the money. "I don't get widow pension even though I am eligible," 60-year-old Paro Devi told a CJP team when they visited the Badi area. Paro Devi faces harassment from her brother, who has expelled her from her own land." He didn't even allow me to scatter my husband's ashes in the nearby *naala.*" (Courtesy Citizen for Justice and Peace, Mumbai)

जिला बहराइच–जंग हिंदुस्तानी

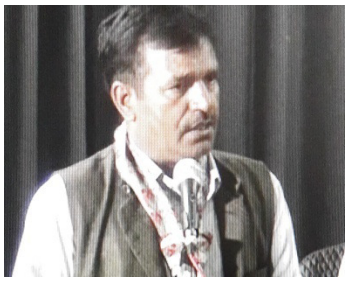

महोदय नेपाल के सीमावर्ती तराई क्षेत्र में बहराइच जनपद स्थित है जहां कतरनिया घाट वन्यजीव घाट है और वह पांच सौ इकतालिस(541) वर्ग मीटर में फैला हुआ है। जिसमें अंग्रेजों के समय से बहुत पहले से वनग्राम स्थित हैं। पांच वनग्राम हैं और वन टांगिया ग्राम हैं। शुरूआत में वनविभाग द्वारा लगातार लोगों से बेगार कराया जाता रहा। दूध, दही, घी, अनाज जुर्मना सब वसूलते थे उनसे तमाम तरह की बेगार ली गयी लेकिन उन्हें आजाद नहीं होने दिया गया। उनको वोट देने का अधिकार वन ग्रामों में नहीं था लेकिन वर्ष

2005 से वन अधिकार आंदोलन की शुरूआत हमारे बहराइच के वन ग्रामों में हुई और इसके बाद में लोगों को अधिकार मिलना शुरू हुए और साथ–साथ में वन विभाग का उत्पीड़न भी बढ़ता चला गया। जितना–जितना हम लोग वन कानून सिखाते थे बताते थे उतना ही हमारे ऊपर मुकदमा की बौछार होती थी। हमें जेल में रखा गया हम लोगों को मुक्त कराने के लिए सौ किलो मीटर लोग पैदल चलके बहराइच पहुंचे और इसके बाद में शासन प्रशासन को ध्यान में आया और चालिस दिन के जेल के बाद मुझे बिना शर्त रिहा किया गया। लेकिन इसके बाद में लगातार वनविभाग कभी नहीं चाहता कि लोगों के बारे में कोई वन विभाग के बारे में बताए या सिखाए। हमारे बहराइच जनपद में जो वहां के पशुपालक समुदाय के लोग हैं उन लोगों को बहुत से कष्ट दिये जाते हैं ये सोम्मारी जी हैं ये अपनी बात बताएंगे। इनके बारे में मैं बता दूं कि इनके पिताजी वंशी और उनके पिताजी ये लोग शुरूआत से जानवर चराते चले आ रहे थे एक छोटा झोपड़ी में इनका घर है और जानवरों के सहारे ही अपना जीवन यापन करते हैं लेकिन वन विभाग ने इनको बिल्कुल नेस्तनाबूद करने के लिए मन बना लिया। और एक दिन जब इनका जानवर छूट करके जंगल की तरफ चला गया था तो इनको पकड़ करके जेल में बंद किया। इनको चार महींने तक जेल में रखा गया। इधर सभी वनग्राम राजस्व गांव में तब्दील होने वाले थे, माननीय मुख्यमंत्री पहुंचने वाले थे ठीक इसके बारह घंटे पहले ही वन विभाग ने एक बड़ी टिप्पणी कर दी कि ये लोग नेशनल पार्क के कोर जोन में बसे हुए हैं और ऐसा बोल करके उन्होंने जो हमारे वनग्राम थे उनको राजस्व ग्राम होने से रोंक दिया। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक अन्याय किया गया मात्र एक वन ग्राम राजस्व ग्राम हो पाया और चार जो और हमारे वन ग्राम हैं उन वन ग्रामों को राजस्व ग्राम होने में वन विभाग ने बहुत बड़ी अड़चने लगा दी हैं। एक ऐसा विभाग जो अंग्रेजों का बनाया हुआ विभाग, देश से अंग्रेज तो चले गये लेकिन उनके अंग्रेजियत आज भी लगातार कायम करके रखने वाला वन विभाग भारत के किसी भी संविधान को नहीं मानता है, कोई कानून नहीं मानता है समानांतर सरकार चलाता है, पुलिस व्यवस्था चलाता है, इसके नाते आम आदमी या देश के अंदर जितनी भी अराजकता है चाहे वो नक्सलवाद के नाम पर चाहे माओवाद के नाम पर इसके पीछे अगर देखा जाये तो वनविभाग खड़ा नजर आयेगा । पूरे देश भर में जहां–जहां नक्सलवाद चल रहा है आप देखेंगे की सेना के जवान तो मर रहे हैं लेकिन एक भी वन विभाग का कर्मचारी वहां नहीं मर रहा है। नक्सलवाद पनपने का कारण ही वन विभाग है जिसकी तह तक नहीं देखा जा रहा है। मैं यहां के जूरी मेंबर के सामने दो तीन चीजें खासतौर पर रखना बहुत जरूरी है कि देश के अजादी के बाद से अब तक पेड़ लगाने के काम पर इतना पैसा वसूला गया है कि धरती से चांद तक सात बार नापा जा सकता है। आप को मैं छोटा से उदाहरण मैं देना चाहूंगा पिछले अखिलेश सरकार में कहा गया कि हम पांच करोड़ पेड़ लगायेंगे लेकिन लगे नहीं, योगी सरकार आई तो उन्होंने कहा हम छह करोड़ पेड़ लगाएंगे इस बार उन्होंने कहा कि हम ग्यारह करोड़ पेड़ लगाएंगे। तीन साल में बाईस करोड़ पेड़ लगे और आप जमीन में देख लीजिए कि जमीन पर एक भी पेड़ मौजूद नहीं है। वन विभाग द्वारा सारे पेड़ कागजों पर लगाए गये और वहीं दूसरी ओर देखे तो पाएगें कि पेड़ वो ही मजबूती से खड़े हैं मौजूद हैं जिनको वन टांगिया परिवारों ने लगाया है, वही पेड़ जिंदा हैं बांकि कोई पेड़ जिंदा नहीं हैं। जो विभाग इस देश के जंगल को घटा कर 13 प्रतिशत पर ले आए और इस देश के चालिस हजार बाग वो घटा करके 1274 पर ले आये, ऐसे विभाग को इस देश में रहने का हक नहीं है। जिस तरह योजना अयोग को हटा करके नीति आयोग बनाया गया है उसी तरह वन विभाग को हटाया जाना बहुत जरूरी है।

कतरनिया जंगल और उसके वनग्रामों के अज़ादी आन्दोलन का संक्षिप्त इतिहास

गत 13 वर्षो के वन अधिकार आन्दोलन के अनुभवों से संबंध में आपको बताना चहूंगा कि 1857 के विद्रोह से पूर्व बहराइच के सभी जंगल राजाओं के अधीन थे। आम जनता जंगल का उपयोग जानवरों को चराने के लिए तथा सूखी जलौनी लकड़ी और जड़ी बूटियों को इकठ्ठा करने का काम करती थीं किन्तु बड़े राजा महाराजा जंगल का उपयोग शिकार करने के लिए करते थे। साधू सन्यासी जंगलों का उपयोग अपनी साधना और तपस्या के लिए करते थे। कतरनियां के जंगलों में बेशकीमती साखू के पेड़ पाए जाते थे जिनके बारे में कहा जाता था कि'' साखू सौ बरस खड़ा सौ वर्ष पड़ा, तब भी न सड़ा''। प्रथम स्वतंत्रा संग्राम में यद्यपि ईस्ट इंडिया कंपनी देश में विद्रोह को दबाने में कामयाब हो गई फिर भी इंडिया कंपनी की जो भद्द उड़ी उससे नाराज होकर ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को वापस बुला लिया और महारानी विक्टोरिया ने भारत के प्रबंधन को अपने हाथ में ले लिया। फिर बहुत सारे नए अंग्रेज अफसर भारत में आये। इन अफसरों में यूरोप के नव युवक अफसर अधिक मात्रा में थे। उन्होंने भारत के जंगल को करीब से देखा और इस विशाल प्राकृतिक संपदा के दोहन का मन बनाया। ऊंचे–ऊंचे लंबे–लंबे पेड़ों को देखकर उनके मन में एक लालच उत्पन्न हुई और उन्होंने भारतीय राजाओं से जंगलों को जबरन लेना शुरू का किया। खासतौर पर उन जंगलों को जल्द अंग्रेजी सरकार ने अपने कब्जे में लिया जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह में शामिल थे। कतरनिया का पूरा जंगल बहराइच के रैकवार राजा चहलारी नरेश महाराजा बलभद्र सिंह के अधीन था। 2 जून 1858 को अंग्रेजों से लड़ते हुए जब वो शहीद हो गये तो अंग्रेजों ने तोप लगाकर उनके किले को नष्ट कर दिया और पूरा जंगल छीनकर के नानपारा तथा कपूरथला रियासत की देखरेख में दे दिया। कपूरथला रियासत की राजा शिकार के लिए बहुत मशहूर थें। उन्होंने कतरनिया जंगल में एक लंबे समय तक शिकार करने के बाद कपूरथला वापस जाते समय जंगल को जमनुहा राजा हीरा सिंह, को दे दिया। जंगल के मध्य में आदिम युग से बहुत सारे बंजारा और थारू लोगों के गांव बसे थे। 1885 में अंग्रेजों ने वन विभाग की स्थापना इसलिए की ताकि जंगलों की लूट को एक कानूनी जामा पहनाया जा सके।

इसके बाद उन्होंने जंगल में अपने अफसरों की तैनाती की। पूरे जंगल को विभिन्नकूपों में बांट दिया गया और बहराइच जनपद में चार रेंज बनाई गई। जिसमें मोतीपुर, चकिया, चरदा और भिनगा थे। इसके बाद अंग्रेजों ने पूरे देश में रेल लाइनों का विस्तार किया। रेल लाइनों में लगने वाले स्लीपर शाखू के होते थे। इस नाते पूरे देश में रेल लाइनों का विस्तार में बड़े पैमाने पर साखू के पेड़ों की कटान करके रेल पटरी के नीचे लगाया जाने का काम शुरू हुआ। भारत में तराई के साखू के पेड़ों को काटकर रेल लाइन के माध्यम से बंदरगाहों तक ले जाया गया। जहां से अंग्रेज पानी के जहाज पर लाद करके उसे लंदन तक ले गये। इसी नाते सभी रेल लाइन का एक सिरा जंगल में तो दूसरा सिरा समुद्र के किनारे पर है। कतरनिया को हावड़ा से जोड़ा गया और इस रेल लाइन का नाम नार्दन बंगाल रेलवे लाइन रखा गया था। इसी तरह गोरखपुर से महाराजगंज में आनंद नगर फरेंदा को, बलरामपुर जिले में तुलसीपुर के जंगल को, लखीमपुर खीरी में गौरी फंटा और चंदन चौकी को, पीलीभीत में टनकपुर के जंगल को और नैनीताल जिले में काठगोदाम को रेल लाइन से जोड़ा गया था। रेल मार्ग के विस्तार का उद्देश्य सवारी ढ़ोने क लिए नहीं था अपितु इनको केवल लकड़ियों के ढुलाई के लिए लाया गया था। ''काठगोदाम'' शब्द इस बात का प्रमाण है कि बड़े पैमाने पर लकड़ियों को काटकर उनका गोदाम बनाया गया था।

बहराइच जिले में कतरनिया घाट के सभी जंगल राजस्व रिकॉर्ड में अवध फॉरेस्ट दर्ज कर लिए गये थे। उन दिनों देश में अकाल और भुखमरी की स्थिति थी। एक के बाद एक बड़े दुर्भिक्ष पड़ते थे और गांव के गांव पलायन कर जाते थे। साथ ही अंग्रेजों ने 1861 में एक लगान कानून बनाया था जिसमें जमीन के मालिकों से अनाज के बदले नगद लगान लेने का प्रावधान था। फलस्वरूप जो लोग अपनी जमीन का लगान नगदी में नहीं दे पाए उनकी जमीन को सियासतदारों ने अपने कब्जे में ले लिया फलस्वरूप वह किसान से मजदूर बन गए और अंग्रेजों ने इस बात का फायदा उठाया और बिहार तथा पूर्वांचल से बहुत सारे मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर (एग्रीमेंटेड) बनाकर देश के बाहर सात समंदर पार श्याम सुमात्रा गुयाना, फिजी, मारिशस के आदि के स्थानों पर भेज दिया जहां पर उनसे नील और गन्ने की खेती कराई। जो मजदूर बाहर नहीं भेजे जा सके उन्हें लाकर जंगलों में बसाया गया और उन्हें जीने के लिए जमीन दी गई और उनसे पेड़ों की कटाई का काम लिया गया।

आज का कतरनिया घाट वन्य जीव प्रभाग का पूर्व नाम 1861 में अवध फॉरेस्ट, 1894 में बहराइच फॉरेस्ट डिवीजन यूनाइटेड प्रोविन्सेस, 1 अप्रैल 1978 को पश्चिमी बहराइच वन प्रभाग 30 मई 1976 को कतरनिया वन्य जीव विहार नाम पड़ा और 26 फरवरी 1997 को कतरनिया घाट वन्यजीव प्रभाग नाम दिया गया। वर्तमान में यह प्रभाग के सात रेंज हैं पहले इधर केवल एक रेंज थी उसका नाम था मोतीपुर। बाद में 1941 के आसपास यह मोतीपुर ओर निशान गाड़ा दो रेंज हो गई। 1जुलाई 1879 में मोतीपुर से कतरनिया घाट तक रेल लाइन के विकास के लिए 312.42 हेक्टेयर भूमि पर वन विभाग ने रेलवे को हस्तांतरित किया। 1899 में ककहरा, मुर्तिहा, निशान गाड़ा, बिछिया और कतरनिया रेलवे स्टेशन बने। बिछिया रेलवे स्टेशन की स्थापना के बाद तत्कलीन अधिकारियों ने भवानीपुर, बिछिया, टेडिया, ढ़किया, जमुनिया, बाजपुर, फकीर पुरी, बरदिया, बिशनपुर, आंबा, कटेस, दफादार, गौढ़ी को आदि जो गांव पहले से जंगल के अंदर मौजूद थे उनमें इन मजदूरों को बसाया गया और इन्हें ''वनग्राम'' कहा गया।

8 अप्रैल 1910 को इन वनग्रामों में से फकीरपुरी, बरदिया, आंबा और विशनापुर को राजस्व विभाग के प्रबंधन में स्थानांतरित कर दिया गया। बाकी के सभी वनग्रामों के वननिवासियों से कतरनिया के जंगलों में शाखू के पेड़ों की बड़ी मात्रा में कटान कराई। जंगल में पेड़ों को काटना, उन्हें निकालना, उनके बोटे बनाना ओर उन्हें मालगाड़ी ऊपर लोड करना यह काम बहुत कठिन था। इस काम को संपादित करने के लिए बाहर से बुलाए गए सैकड़ों मजदूर खप गए और जो मजदूर शेष बचे, उन्हे भूखंड देकर के उनसे बेगार लिया गया। वर्ष 1914–15 में कतरनिया के जंगल को भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा। जिन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई हुई थी उन क्षेत्रों में फिर से पेड़ों का जमना प्राकृतिक रूप से बंद हो गया। यह बहुत चिंता का विषय था। 1922 में अंग्रेजों ने वर्मा (म्यांमार) जाकर टांगिया पद्धति से पेड़ो को लगाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। वापस आकर सर्वप्रथम 1925–26 में त्तकलीन मोतीपुर रेंज में तीन टांगिया सेंटर बनाकर टांगिया पद्धति से वृक्षारोपण का कार्य शुरू किया। यह तीन सेंटर थे– महबूबनगर, नाजिर गंज और तारानगर। इस पद्धति से पेड़ों को लगाए जाने का प्रयोग बहुत सफल रहा। इसके बाद पूरे कतरनिया में जगह –जगह टांगिया पद्धति से पेड़ लगाए गये और यह क्रम 1984 तक जारी रहा। बाद में जब पेडों को लगाए जाने का काम खत्म हो गया तो वन विभाग इन वननिवासियों को हटाने और भगाने का काम शुरू किया तो सैकड़ों वर्षों से वन भूमि में रह रहे लोगों ने जंगल छोड़कर जाने से इनकार कर दिया और अपने गांव में रह रहे गए। इस दुर्गम क्षेत्र में जीवन उपयोगी समानों की उपलब्धता बड़ी कठिनाई से होती थी इसीलिए बनकटिया मजदूरों को राशन, शराब आदि उपलब्ध कराने के लिए 1890 के आस पास बिछिया बजार की स्थापना की। बहराइच से कतरनिया घाट तक सभी स्टेशन उत्तरमुखी बनाए गए और उनके

प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने का रास्ता दक्षिण की तरफ था। इस नाते इन सभी बाजारों की स्थापना स्टेशन से दक्षिण की तरफ हुई। शुरूआत में कुछ दुकानें रही होंगी किन्तु बाद में राजस्व लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से नियत मांग धृति अथवा फिक्स डिमांड होल्ड़िंग के तहत लोगों को बड़े पैमाने पर आवास तथा दुकानों के लिए वन भूमि को वार्षिक किराए पर अवांटन दिया गया था। इन्ही लोगों में खेती करने वालों को स्टेशन के दूसरी तरफ बिछिया गांव में वन भूमि खेती करने के लिए दी गई थी। वन विभाग के पुराने डेलीकैश बुक में बिछिया सहित सभी वनग्रामों के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। इसके अलावा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीटयूट, देहरादून तथा वन विभाग के वर्किंग प्लान कार्यालय,हलद्वानी में देख सकते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया लेकिन वन विभाग ने वन ग्राम को आजाद नही होने दिया। इन वननिवासियों से मोटर रोड़ बनाने में, आग बुझाने, हांका कराने में तथा साहब लोगों की सेवा में भरपूर बेगार लिया गया। इनसे दूध, दही, घी, अनाज आदि 2005 तक वसूले गये। जो लोग इनकार करते या इस उत्पीड़न का विरोध करते थे उन्हें या तो किसी जानवर के शिकार के मुकदमें में फसा दिया जाता था या फिर उनके जानवरों को बंद कर मनमाना जुर्मना वसूला जाता था। वन विभाग के अधिकारियों से वन वासियों की बहू बेटियां भी सुरक्षित नहीं थी। आतंक और उत्पीड़न की पराकाष्ठा थी। यह क्रम तब जाकर के रूका जब वर्ष 2005 में वह वन अधिकार आंदोलन की शुरूआत हुई। उस समय तक लोगों के पास वोट डालने का भी अधिकार नहीं था और न ही पक्का घर बनाने का। राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल, स्कूल, आंगनबाड़ी यह सब लोगों के लिए एक सपना था। वन ग्रामवासी नवयुवक कितना पढ़े हों, लेकिन उनको नौकरी निवास प्रमाण पत्र के अभाव में नहीं मिल सकती थी। इसके लिए समाजिक कार्यकर्ता जंग हिंदुस्तानी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन चला। कई मुकदमे हुए। जंग हिंदुस्तानी को अपने कई वननिवासियों के साथ 40 दिन की जेल भी काटनी पड़ी। सैकड़ो लोग आज भी फर्जी मुकदमें में फसे हुए हैं। गांव स्तर पर लोगों ने ''वन अधिकार आन्दोलन'' का गठन किया था और राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ।

एक लंबे संघर्ष के बाद वनाधिकार कानून– 2006 आने के बाद शासन प्रशासन ने वननिवासियों की सुध ली। देश के अजादी के 70 साल बाद भी वंचितों शोषितों और पीड़ितों से भरे वन ग्रामों को वन विभाग ने उस समय वनवास दे दिया, जब वह, राजस्व ग्राम में परिवर्तित होने जा रहे थे। वन ग्रामवासी राजतिलक की तैयारी कर रहे थे। दिनांक 29 नवंबर 2018 को वनग्राम भवानीपुर में मुख्य श्री योगी आदित्यनाथ के आगमन का कार्यक्रम था। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक डॉ गौरव ग्रोवर ने वन ग्रामों का भ्रमण कर लिया था। एक और प्रशासन वन ग्रामों को राजस्व ग्राम करने की तैयारी कर रहा था दूसरी तरफ फील्ड डायरेक्टर दुधवा रमेश पांडे और वन विभाग में सचिव आशीष तिवारी केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में वन ग्रामों को कतरनिया के कोर जोन'' में बसा होना दिखाकर केंद्र सरकार के वन मंत्रालय पर्यावरण मंत्रालय में वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तन होने से रोकने का पैरवी कर रहे थे। वह अपने कार्य में सफल भी हो गए और ठीक समय पर मुख्य मंत्री जी का कार्यक्रम निरस्त हो गया और पांच में से मात्र एक वनग्राम को राजस्व का दर्जा मिला पाया। शेष चार अन्य ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तन रोक दिया गया। तर्क दिया गया कि यह गांव कतरनिया के कोर जोन में बसे हुए हैं और बाघों का मानव के साथ मिलकर रहना संभव नहीं है। अतः इन्हे जंगल से बेदख़ल कर दिया जाना ही उचित रहेगा। फलस्वरूप राजस्व विभाग को वनग्रामों के राजस्व ग्राम में परिवर्तित न किए जाने के सरकारी फरमान का नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। वननिवासियों के सामने सबसे कठिन समस्या यह है उन्हें यदि जंगल से

बेदख़ल किया जाएगा तो कहां जाएंगे। इन चार वनग्राम के अतिरिक्त चार अन्य थारू आदिवासी बहुल राजस्व ग्राम भी हैं वन विभाग के उन्हें भी साजिश करके हटा देगा।

वन विभाग ने जानबूझकर आबादी से भरे इस क्षेत्र को कोर जोन में सम्मिलित दिखाया। वन विभाग इन ग्रामों का विस्थापन कर के क्षेत्र की शांति भंग करना चाहता है किंतु वननिवासी किसी भी तरह से किसी प्रकार के पुनः स्थापन या विस्थापन के पक्ष में नहीं हैं। हमारे पूर्वजों ने जंगल ने जंगल लगाने बचाने में अमूल योगदान किया है और हम आज भी वन, वन्यजीव और वन संपदा की रक्षा करते चले आए है। वन से विस्थापित होकर हम लोगों का जीवन संभव नहीं है। हालांकि वनाधिकार कानून मे बेदखली पर स्पष्ट रोक है।

जिला बहराईच

बिछिया बाजार : फिक्स डिमान्ड होल्डिंग वनग्राम को वन विभाग ने बताया अतिक्रमण

उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के सुदूर उत्तर में 100 किलोमीटर दूर स्थित बिछिया बजार अपने आप में एक अनूठा गांव दिखाई पड़ता है। वन विभाग इसे अतिक्रमण बताता है। हर तरफ टीन और लकड़ियों के मकान ,कोई पक्का मकान नहीं। दूर से देखने में ये नेपाल का नामचे बजार की तरह दिखाई पड़ता है। इसकी बसावट बहुत बेहतरीन है। बजार के बीचोंबीच से बहराइच–मिहिनपुरवा – शारदा नगर –लखीमपुर खीरी मार्ग है। मार्ग के दोनो ओर लकड़ियों के दो मंजिलें मकान बहुत अच्छे लगते हैं इस बजार में 158 परिवार हिंदू 158 परिवार मुस्लिम और दो परिवार सिख रहते हैं। यहां के सभी परिवार ब्रिटश शासन के वन विभाग के अधिकारियों द्वारा सैकड़ों वर्षों पूर्व वनकठिया मजदूर बनाकर देश के विभिन्न भागों से लाए गए थे, इस नाते यहां का हर पड़ोसी अलग जगह का हैं। यहां रोज 8 भषाएं बोली और समझी जाती है और तकरीबन तीन धर्म और और 40 से अधिक जातियों के लोग निवास करते हैं। बहुत से लोगों को अब अपना पैतृक गांव भी याद नहीं रहा। सभी एक साथ रहते हैं। यह गांव हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। 48 वर्षों से चली आ रही दुर्गा पूजा का देखभाल श्री हबीबुर्रहमान ''कदम रसूल'' करते हैं तो ताजिए दारी में मुस्लिमों से अधिक हिंदू भाग लेते हैं। देश में कुछ भी हो, लेकिन यहां कभी कोई मजहबी दंगा या विवाद नहीं हुआ। गांव चारो तरफ जंगल से घिरा हुआ है, इसके बावजूद भी आज तक सैकड़ों वर्षों का इतिहास में यहां के किसी भी निवासी को किसी बाघ या तेंदुए ने नहीं मारा और ना ही किसी हाथी ने किसी के घर का कोई नुकसान किया।

बिछिया में पहले वन निगम के दो बड़े डिपो थे। जहां पर इन वन कठिया मजदूरों द्वारा लकड़ी काटकर इकट्ठा किया जाता था। उसके बाद पत्थर क्रेशिंग का काम शुरू हुआ और रेलवे लाइन के पार में कई पत्थर क्रेसर लगाए गए। जब कोठिया घाट में पत्थर निकासी का कार्य चलता था तो लगभग 200 ट्रक बिछिया होकर निकलते थे। 1961 में गिरजा पुरी बैराज बनाने के लिए वन विभाग ने बिछिया में ईंट भट्टा पार की स्थापना के लिए सिंचाई विभाग को 8.01 हेक्टेयर वनभूमि दी। 1952 में 200 हेक्टेयर में बिछिया में उत्तर प्रदेश का पहला गौसदन खोला गया। इस गौ सदन में 400 बीमार गायों के पालन की व्यवस्था की गई थी। यहां प्रदेश के विभिन्न भागों से बिमार पशु को लाया जाता था। यहां पर मृत पशुओं के चर्म शोधन केंद्र भी बनाए गए थे। बिछिया बजार में कई प्राशसनिक भवन हैं। इनमें फॉरेस्ट चौकी है, कांजी हाउस है। 1962 से झोपड़ी में प्राथमिक विद्यालय भी कई दशक से अधिक चल रहा है। यहां के बच्चों के लिए एक प्रकृतिक स्टेडियम भी मौजूद है जहां प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब आयोजन किया जाता

है। जब देश में डाकतार विभाग की स्थापना हुई तो सबसे पहले बिछिया बजार में डाक खाना खोला गया था। 1984 में तत्कलीन उर्जा मंत्री श्री आरिफ मोहम्मद खान ने बिछिया वासियों को बिजली की सौगात दी थी। बिछिया गिरजरपुरी के बी0एस0एन0ल टावर से जुड़ा हुआ हैं जंगल से होने के नाते नेटवर्क कम मिल पाता है। एक टावर लगाए जाने की मांग यहां के नवयुवकों द्वारा काफी समय से उठाई जाती रही है। बिछया से दिल्ली हरिद्वार के लिए रोडवेज की बसे उपलब्ध हैं जो रोज दोपहर में चलती हैं। बस अड्डे के पास ही बिछिया बाबा हुजूर की दरगाह भी है, जहां पूरे हिंदुस्तान से लोग दुआ मांगने के लिए आते रहते हैं। बिछिया के पास मौजूद मोटे बाबा का सदियों पुराना शिववालय है। बिछिया बजार में 51 सैकड़ों वर्ष पुराने पीपल के पेड़ और प्रचीन कुंए मौजूद है। शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, देवी मंदिर सहित कई मंदिर बने हुए हैं। रेलवे स्टेशन होने के करण यह स्थान लगभग 15 ग्राम पंचायतों का अवाजाही का प्रमुख केद्र बना हुआ है। मैंने वन विभाग के सभी कार्य योजनाओं में इस बजार को वन क्षेत्र की प्रमुख बजार माना है। यहां से कतरनिया घाट 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है जोकि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं।वन कानूनों के चलते यहां पक्की दुकाने उपलब्ध नहीं है फिर भी जीवन उपयोगी प्रत्येक समान यहां पर लोगो को प्राप्त हो जाता है।

अनुसूचित जनजाति थारू समुदाय के चार गांव फकीर पुरी, बरदिया, आम्बा विशनपुर के लोग इसी बाजार से खरीद फरोख्त करते हैं। नेपाल की सीमा 11 किमी दूर है। 1890 के पहले कतरनिया जंगलों के इस दुर्गम क्षेत्र में जीवन उपयोगी समानों की उपलब्धता बड़ी कठिनाई से होती थी इसिलिए बनकटिया मजदूरों को राशन, शराब आदि उपलब्ध कराने के लिए 1890 के आस पास बिछिया बाजार की स्थापना की। बहराइच से कतरनिया घाट तक सभी स्टेशन उत्तर मुखी बनाए गए और उनके प्लैटफॉर्म से बाहर निकलने का रास्ता दक्षिण की तरफ था। इस नाते यह सभी बजारों की स्थापना स्टेशन से दक्षिण की तरफ हुई। शुरूआत में कुछ दुकाने रही होंगी किंतु बाद में राजस्व लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से नियत मांग धृति अथवा फिक्स डिमांड होल्डिंग के तहत लोगों को बड़े पैमाने पर अवास तथा दुकानों के लिए भूमि को वार्षिक किराए पर आवांटन दिया गया था। इन्हीं लोगो में से खेती करने वालों को स्टेशन के दूसरी तरफ बिछिया गांव में वन भूमि खेती करने के लिए दी गई थी।

वन विभाग के पुराने डेलीकैश बुक में बिछिया में बजार का पर्याप्त विविरण के मौजूद है। दिनांक 20 जनवरी 44 को निशान गाडा रेंज के द्वारा आइटम नंबर 56 और वाउचर नंबर 8 पर बिछिया बजार का रेंट वसूल जाने का उल्लेख है। इसके बाद 20–3–1945 को आइटम नंबर 69 और 79 पर बिछिया बाजार से 1944–45 का किराया रु19 पांच आना तीस पैसा का की वसूली का जिक्र है। इसी तरह 1944 में 23 मार्च को बिछिया बाजार के वासियों से लैंड रेट के रूप में 95 रुपए 11 आना राजस्व वसूली के किए जाने का उल्लेख किया गया हैं। इसके अगले दिन 24मार्च 44 को बिछिया बाजार से 42 रुपए 14 पैसे, 1943–44 के किराए को वसूली जाने का जिक्र है। इसी तरह 1950 में 1955 में 1961 में और 1977में 1984 में 1991 में 1997 में वन विभाग के द्वारा बिछिया बजार के निवासियों से उनके घर तथा दुकानों के निर्माण के लिए लकड़ियों को दिए जाने का और उसे किराया वसूली किए जाने का लिखित उल्लेख है। वन विभाग के डेली कैश बुक में बिछिया के बहुत से साक्ष्य मौजूद हैं यदि इतने सारे साक्ष्य के बाद भी कोई बिछिया बाजार को अतिक्रमण कारी बताता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। वन विभाग के पुरानी कार्य याजनाओं में अतिक्रमण कर्ताओं की सूची में बिछिया बाजार के किसी भी अतिक्रमण का जिक्र नहीं है।

वन अधिकार कानून के तहत 13 दिसंबर 2005 से पूर्व 3 पीढ़ियों से निवास कर रहे व्यक्ति को वन अधिकार कानून के तहत मालिकाना हक दिए जाने का प्रावधान है जिसकी दायरे में बिछिया बाजार पूरी तरह आता है। वन अधिकार कानून के तहत बिछिया बजार के दावेदारों का सत्यापन ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति में हुआ है और 200 से अधिक दावों को ग्राम स्तरीय समिति ने पास भी किया है।

वन ग्राम की परिभाषा में वन अधिकार कानून के तहत वन बस्ती ग्राम, नियत मांग धृति और वन कृषि बस्तियों का उल्लेख किया गया है। जबकि वन विभाग की सभी कार्य योजनाओं में बिछिया को इस वन क्षेत्र की प्रमुख बाजार के रूप में लिख गया है। हलांकि वन अधिकार कानून के तहत बिना मान्यता और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी किए गए बिना किसी भी अुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी को उसकी अधिभोगाधीन वन भूमि से अब बेदखल नहीं किया जा सकता है।

जिला बहराईच– सोम्मारी यादव

हमसे कोई गलती भी नहीं हुई हम जंगल में जानवार चरा रहे थे और वन विभाग ने हमें पेड़ काटने के अरोप में जेल में डाल दिया। घर पर हमारे बहुत परेशानी हुई छोटे–छोटे बच्चे थे परिवार को कोई देखने वाला नहीं रहा । आठ बच्चे और हम रहते हैं वहां पर छोटे छोटे बच्चे हैं अभी और हमारे जाने बाद कोई व्यवस्था नहीं थी। वनविभाग से परेशान होकर हमने अपने जानवर भी बेच दिये। आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के होते हुए गाय बचाने की मुहिम चलाई जा रही है लेकिन हम अपनी गाय बेचने के लिए मजबूर हैं इतना हमें वन विभाग द्वारा परेशान किया जा रहा है। ये बहुत बड़े शर्म की बात है कुछ कहा नही जा सकता, अभी हम जमानत पर बाहर हैं।

नोटः सोमारी यादव गांव के सीधेसाधे व्यक्ति है कभी भी माईक पर नहीं बोले और शायद पहली बार लखनउ आए थे। उन्हें माईक पर अपनी पूरी बात कहने में काफी संकोच हो रहा था इसलिए उनके पूरे केस को हमनें पूरी तरह से नीचे विस्तार से लिखा है।

केस की पृष्ठभूमि

सोम्मारी बहराइच जिले के कतरनिया वन्यजीव विहार के वनग्राम भवानीपुर के रहने वाला है। सोम्मारी बेहद गरीब परिवार के मुखिया हैं । छोटे–छोटे बच्चों सहित पूरे परिवार की आजीवका चलाने की एकमात्र जिम्मेदारी सोम्मारी पर ही हैं। सोम्मारी पशुपालक समाज से है। सोम्मारी के पिता वंशी के नाम 1971 से पूर्व चराई की लगान रसीद भी मौजूद है तथा ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति में सोम्मारी के दावे को भी पास कर दिया है । एक दिन की शाम जब वह अपने जानवर के साथ सिर पर जलौनी रखे वापस गांव आ रहा था तो बगल से वन विभाग की गाडी गुजरी। उसमे से कुछ जवान उतरे और उन्होने मुझे पकड कर गाडी में बैठा लिया। रेन्ज में रेन्जर ने पूछा कि तुम हमारी गाड़ी देखकर भागे क्यों नही?हमने जवाब दिया कि जंगल पर हमारा अधिकार है तो हम क्यों भागे? यह सुनकर रेन्जर ने कहा कि ''किसी दिन हम

तुम्हे तो ठीक करेंगें ही , उन लोगो को तो कतई नही छोड़ेंगे जिन लोंगों ने तुम्हे वन अधिकार सिखाया है।''उस दिन रात भर रेन्ज मे रखकर सुबह गांव के लोगों के आने पर छोड़ दिया। लगभग एक माह बाद 14 दिसम्बर 17 को सुबह 10 बजे वन विभाग के कतरनिया घाट रेंज के वनग्राम भवानीपुर गांव निवासी सोम्मारी पुत्र बंसी को भारतीय वन अधिनियम,1927 की धारा–26 व वन्यजीव संरक्षण अधिनियम–1972 की धारा–27,29,31 के तहत मुकदमा दर्ज करके लकडी काटने और शिकार का केस लगाकर जेल भेज दिया। सोम्मारी का दोष इतना था कि उसके जानवर भटक कर जंगल की ओर चले गए थे और वह उनकी खोज करता हुआ अकेला जंगल पहुंच गया भवानीपुर गांव और कतरनिया घाट का जंगल आपस में सटा हुआ है। कतरनिया घाट रेंज में भवानीपुर गांव के ठीक बगल के जंगल के कोर जोन बताते हुए वन विभाग ने उसमें चराई को अवैध कर दिया है। यदि किसी बनवासी का कोई जानवर रस्सी तोड़कर जंगल की तरफ चला जाए और अपने जानवर को ढूढ़ता हुआ कोई बनवासी जंगल में पहुंच जाए तो वन विभाग उसे लकड़ी काटने या वन्य जीव के शिकार के केस में जेल भेजने में वन विभाग को कोई हिचक नहीं हो रही है। सोम्मारी 14 दिसम्बर 2017 से जुलाई 2018 तक जेल में रहे।

सैकड़ों वर्षों से वन परिस्थितिकी प्राणाली को बचाए रखने में अपनी भूमिका निभाने वाले इन वननिवासियों की जिंदगी वन विभाग के कुटिल कर्मो की वजह से नर्क बन कर रह गई है। एक तरफ सरकार गोपालकों/पशुपालकों को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में प्रचार–प्रसार और योजनाएं चला रही है वहीं दूसरी तरफ वननिवासी पशुपालकों की जिंदगी खतरे में है। वह अपनी परंमपरागत देसी गायों को हटाने के लिए मजबूर हो रहा है। इसके ताजा उदाहरण भवानीपुर निवासी होली यादव हैं जिनके पास कभी तकरीबन 45 से अधिक गाय हुआ करती थी। वन विभाग ने उनके ऊपर 1 दर्जन से अधिक केस काट करके उन्हें वनमाफिया बना दिया। अब उन पर जिला बदर की कार्यवाही चल रही है। एक सीधा साधा पशुपालक गोपालक यादव परिवार का व्यक्ति अपने देसी गायों के पालन के परम्परागत कार्य के कारण वन माफिया की श्रेणी में पहुंच गया है। अभी भवानीपुर के लोग तार की फेन्सिग लगाकर वन विभाग द्वारा अपने रास्ते के बंद किए जाने का लेकर परेशान थे ही कि सोम्मारी का यह नया प्रकरण उनके दिल को और आहत कर गया है। इसी रेंज की नई बस्ती टेडिया गांव वालों का दर्द यह है कि उन्हें न तो शौचालय बनाने दिया जा रहा है और न ही उन्हें सेंट्रल स्टेट फार्म में शौच करने दिया जा रहा है । शौच जाने का एक मात्र विकल्प भी बंद किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। उनके गांव के ठीक सामने से तार फेंसिंग लाइन दी जा रही है। इसके बन जाने के बाद लोग शौच के लिए कहां जाएंगे? यह बहुत बड़ी समस्या है। पिछले माह छोटी–छोटी जलौनी लकड़ी को अपने साइकिल पर रख कर ले जा रहे वनों पर निर्भर समुदाए के कुछ व्यक्तियों को वन विभाग में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के नाम पर आई पीएसी फोर्स के जवानों ने चमन चौराहे पर घसीट–घसीट कर मारा–पीटा । फिलहाल वन क्षेत्र में लोगों के मन में भयंकर अक्रोश है। यदि समय रहते इन सभी दिक्कतों पर कोई प्रभावी कदम सरकार की ओर से नहीं उठाया गया तो जनाक्रोश भयंकर परिणाम में तबदील हो सकता है। सीमा पर बसे हुए ग्रामों में कोई भी असामाजिक तत्व अथवा विदेशी ताकत इनके आक्रोश का फायदा उठा सकती है। तेन्दुआ बाघ सहित वन्यजीवों के हमले से लगातार परेशान लोग अब इस तरह की समस्याओं से घिरे लोग अपना जीवन कष्टमय गुजार रहे हैं। एक तरफ जहां इको टूरिज्म / पर्यटन के नाम पर मात्र रू 50 शुल्क देकर बाहरी लोग जंगल में मौज कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों वर्षों से वन भूमि पर रहने वाले लोग तिल–तिलकर मरने को मजबूर हैं। वननिवासियों के सामने कठिन प्रश्न यह है कि जंगल छोड़कर जाएं तो कहां जाएं तो फिर कहां जाएं ?

मतादयाल
जिला मानिकपुर चित्रकूट

मैं सबसे पहले सभी साथी जूरी मेंबर को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश के सत्रह जिलों से आए भाई बहनों को प्रणाम करता हूं। साथियों बुंदेलखंड का इतिहास बड़ा जबरदस्त है परन्तु आज उसमें अगर देखें हम तो बुंदेलखंड में केवल भाषण बाजी हो रही है और मौके पर कुछ नहीं हो रहा है। बुदेलखंड में पूर्व में पांच जिले थे आज वर्तमान में दो जिले बना दिए गये हैं। जंगल की बात अगर कहे तो जंगल सबसे ज्यादा बांदा और चित्रकूट से लगा करके ललितपुर तक सारा जंगली इलाका है। यहां पर कई तरह के आदीवासी जनजातियां रहती है जैसे सहरिया, कोल,, गोंड, मवइया रहते हैं। देश आजाद होने के काफी समय बाद भी आज बुंदेलखंड में 70 प्रतिशत किसान और वहां का मजदूर बाहर पलायन होने के लिए मजबूर हैं। खेती खींच करके 20 प्रतिशत खेती जुताई बुआई हो रही है 70 प्रतिशत अभी भी खेती पड़ी है। जमीन की जो बात कहूं तो देश जब अजाद हो रहा था तो जमींदारी विनाश अधिनियम कानून आया। देश को अजाद कराने में आदिवासियों और दलितों की इतनी बड़ी भूमिका रही और जब ये कानून बना उस कानून में यह पास किया गया कि जमींदारी विनाश अधिनियम से जो जमींन निकलेगी उसको हम गरीबों में बाटां जाएगा ताकि हम सबके पास जमीन हो। लेकिन उस कानून से भी हम सब को कुछ नहीं मिला और उसी के तत्पश्चात सीलींग एक्ट बना सीलींग एक्ट में एक दायरा बनाया गया कि इतने से ज्यादा कोई जमीन नहीं रखेगा, परन्तु उस दायरे को भी जमींदारों और अफसरों द्वारा आपस में मिल कर हम गरीबो को धोखे में रखा गया और उस मे हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। पीढ़ियो से ये समुदाए पीड़ित है और बंधुआ हैं परन्तु हम लोग जब कुछ जागृत हुए तब तमाम तरह की संस्थाओं से जुड़ा फिर खासकर जब हमारा अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन से जुड़कर यूनियन जन चेतना का काम बढ़ाया तो हमे एक लालसा बढ़ी कि अब हमारे पास भी जमीन होगी तो ये गरीबी भुखमरी और जो हमारे बच्चे कुपोषित होते हैं इससे हमें निजात मिलेगी। जागरूकता के अधार पर देश के तमाम संगठनों ने वनाधिकार कानून की बात की वनाधिकार कानून जब 2006 में बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद कानून बना तो कुछ अशाएं जगी की हमको जमीन मिलेगी, परन्तु जूरी के सदस्यों के सामने दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2006 में कानून बना और कोई भी कानून हमारे बीच में लागू नहीं किया। हम लोगों ने तय किया कि इसको हम लागू करेंगे और इसके लिए हमने गांव में प्रयास किया। गांव में तैयारी किया लोगों को संगठित किया महिलाओं को अगुआ बनाया और हम लोगों ने जो जमीने पड़ी थी जो गांव समाज की जमींने थी उनमें हमने दख़ल करना शुरू किया। ये हमारे साथी जो हैं रानीपुर से हैं आदिवासी हैं ये 19 दिसंबर को इनके गांव में अचानक वन विभाग, थानेदार और वहां का राजस्व तहसीलदार जे0सी0बी ले जा करके उस जमीन पे जहां

पर ये काबिज हैं। आज 2003 से खेती कर रहे थे उसमें अनाज उत्पादित करके अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे उस जमीन में ज0सी0बी लेकर पुलिस प्रसाशन जमींदारों ने मिलकर जो फसल लहलहा रही थी उसको उजाड़ना चाहते थे। तो उसके लिए गांव के लोग पूरे लामबंद इकठ्ठा होकर ज0सी0बी के सामने खड़े हो गये और उन्होंने कहा कि हम अपनी फसल नहीं उजड़ने देंगे फसल को बचा लिया लेकिन जो घर बनाकर रह रहे थे उनकी झोपड़ियों को ज0सी0बी से गिरा दिया। झोपड़ी को ज0सी0बी से नहीं गिराया जा सकता पक्की बिल्डिंगों को ज0सी0बी से गिराया जाता है पर ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस समय हमारा खून बरस रहा था इतना ही नहीं हमारी सारी झोपड़ी गिरा दी गयी और एक गर्भवती महिला खुले आसमान के नीचे रही। उसको रात में ठंड लग गयी दो चार दिन उसका उपचार घर में किया कोई फायदा नहीं हुआ। तो स्वास्थ केंद्र ले गये वहां से नहीं ठीक हुआ तो इलाहाबाद ले गये वहां अस्पताल में उसका मरा बच्चा हुआ और मां भी जिंदगी मौत से लड़ रही है पता नहीं बचेगी कि उसकी जिंदगी ही खत्म हो जायेगी। साथियों वनविभाग का उतपीड़न हमारे उत्तर प्रदेश में चल रहा है ये हमारे सहनशक्ती से ज्यादा हो गया है। अब वन विभाग को नहीं चाहते हैं कि वो इस देश में रहे। वन विभाग का इतिहास अगर पूछो तो ये वही है जो आजादी के पहले अंग्रेज थे ये अंग्रेज का वही दरोगा है जो वनविभाग हमको शोषित कर रहा है। ये हमारे साथी राममिलन आदिवासी हैं जो जारोमाफी गांव के हैं जो मानिकपुर मुख्यालय से 15–16 किलो मीटर दूर है इनके यहां सबसे पहले 2000 बीघे जमीन पर दख़ल करके खेती करना शुरू किया तब इनके ऊपर 30 मुकदमें दायर किये। हमने किसी तरह से इनकी जमानत करवाई और मुकदमा लड़ते रहे और पिछले साल में फिर इन लोगों के ऊपर मुकदमें हुए और 6–7 औरतों के नाम और बढ़ाए गये। ये वन विभाग का उत्पीड़न इसको कोई सरकार नहीं खत्म करना चाहती है। इसलिए तमाम प्रदेश से जो हमारी क्रांतकारी बहनें क्रांतकारी साथी जो आये हैं हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा कि यहां से जा करके वनविभाग से सीधी लड़ाई लड़ना होगा और इसको नेस्तनाबूद करेंगे।

जिला चित्रकूट जारोमाफी– राममिलन

जनसुनवाई कार्यक्रम में सभी को नमस्कार साथियों हमें जो कुछ मानिकपुर क्षेत्र के बारे कहना था लगभग वो सारी बाते मातादयाल जी कह दी हैं। लेकिन फिर भी जो कुछ है जैसे मानिकपुर चित्रकूट में एक जारोमाफी गांव है वहां लगभग 90 प्रतिशत आदिवासी हैं और वो बिल्कुल गरीब हैं। अजादी के पहले से भी वो गरीब हैं और अगर अब भी वो बाहर काम करने न जाएं तो उनका जीवन कठिन है। साथियों एक बार हम चित्रकूट में डीएम के पास गये थे और उन्होंने कागजों पर दस्तखत कर दिया और बोले मारकुंड़ी थाने में दिखा देना तो हम मारकुंड़ी थाने गये और दरोगा साहब को वो कागज दिये तो दरोगा बोल रहे थे ये क्या है ये वनाधिकार कानून क्या है ये कौन तुम्हें बेवाकूफ बना रहा है ये तुम्हारा संगठन तुम्हे बेवाकूफ बना रहा है बनाधिकार कुछ नहीं है । वनाधिकार कानून और इससे भी पहले कई कानून आदिवासियों के लिए बन चुके हैं उनमें आदिवासियों को जमीने नहीं मिल पाई हैं। और फिर उन कानूनों के बाद ये 2006 कानून वन अधिकार कानून बना एक अधिकार दिलाने के लिए इस कानून में कि आदिवासियों को ये जमीन मिले

लेकिन इस कानून में भी आदिवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार नहीं मिल रहा है । तो साथियों क्या ये जो वन विभाग के कर्मचारी हैं क्या ये भारत के नहीं हैं समाज में नहीं हैं क्या ये भारत से अलग हैं तो आज हम पूरी उम्मीदों के साथ यहां आए हुए हैं कि इस जनसुनवाई कार्यक्रम में हमारी सारी जो मांगे हैं पूरी की जायेंगी धन्यवाद।

जिला चित्रकूट ग्राम पंचायत जारोमाफी मानिकपुर (उत्तरप्रदेश)

भूमि न0 396 श्रेणी 5 (ङ) कृषि योग बंजर भूमि

विकास खंड मानिकपुर से 11 कि0 मी0 दूर जंगल के किनारे बसा आदिवासी गांव जारोमाफी है। जारोमाफी के 90 प्रतिशत अबादी कोल आदिवासी एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों की है। यहां रहने वाले सभी गरीब परिवार अजादी के पहले भी मजदूरी करके अपना परिवार पालते थे, आज भी मजदूरी पर ही निर्भर हैं। देश आजाद होने के बाद ग्राम सभा की जमीन ग्राम सभा को वापिस की गई थी जिसमें बड़े भूभाग पर जमींदार अपनी जमींन बताकर कब्जा किए रह गये सरकार ने गरीबों को ही मुख्यधारा से जोड़ने के लिए 1952 में जमींदारी विनाश अधिनियम बनाकर जमींदारें की जमींदारी खत्म कर उसमें से निकली भूमि गरीबों के नाम पट्टा करके उन्हें भी खेती से जुड़ने का एक अवसर दिया गया था। इस अवसर का लाभ भी यहां के गरीब आदिवासी नहीं पा सकें। क्षेत्र के गांव के चतुर चालाक लोगों ने गरीबों को जमीन नहीं दी बल्कि अपने नाते रिश्तेदार सगे परिवार के नाम पट्टा करके अच्छी–अच्छी भूमि हडप ली जो बची उसे वनविभाग को दे दिया क्योंकि उस समय ग्राम प्रधान भी यही जमींदार या उनके सगे संबंधी थे। जमींदारों को यह था कि अगर मजदूरों को जमीन दे दी जएगी तो उनको नौकर कहां से मिलेंगे उनकी खेती कौन करेगा उनके मवेशी कौन चराएगा घर का काम उन्हें खुद करना पड़ेगा इसीलिए दबंगों ने सीलिंग से निकली जमीन और ग्राम समाज की बची जमीन गरीबों को न देकर वन विभाग को दे दिया था । जिससे क्षेत्र में मजदूर वर्ग स्थिति ज्यों की त्यों बनी रह गई। गरीब अपने अस्तित्व की लड़ाई लगातार लड़ता रहा उसे जहां जितनी जमीन खेती योग्य दिखी वह वहां दखल कर खेती करने लगा यह कार्य भी स्थानी दबंगो और लेखपालों से नहीं देखा गया। लेखपालों ने उस जमीन पर कभी गरीबों का कब्जा खसरे में नहीं दिखाया जिससे गरीबों को कभी कानूनी अधिकार नहीं मिल सका गरीब लड़ते रहे जूझते रहे और फर्जी केस में जेल भी जाते रहे लेकिन उन्होंने कभी अपना कब्जा नहीं छोड़ा।

कुछ अच्छे जनप्रतिनिधियों और जन संगठनों ने गरीबों के इस दर्द को ठीक से महसूस किया और उनकी पीड़ा को समेट कर एक जन आंदोलन का रूप दिया जिससे सरकार ने बाध्य होकर वर्ष 2006 में वनाधिकार कानून बनाया लेकिन दुर्भाग्यवश वह आज तक लागू नहीं हो पाया। कानून बन जाने से वन विभाग सबसे ज्यादा शोषक के रूप उभरा और गरीब जहां पर काबिज था उसे अपनी जमीन बताकर उन्हें मारपीटकर वहां से हटाना शुरू किया और फर्जी मुकदमें वन विभाग ने लगाकर जेल भेजने का काम करने लगा सभी गरीब भी इस हालत में एकजुट हुए और वनविभाग से मुकाबला करने को तैयार हुए तो वन विभाग को उनकी ताकत का अंदाजा हुआ और वह अब गरीबों से सीधी लड़ाई न करके उन्हें फर्जी केश लगाकर जेल भेजवाकर मुकदमा लड़ना ही उचित समझने लगा है। उसने 2013 में 19 और 2017 में 14 लोगों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम,1927 की धारा–7 व धारा–26 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है।

अभी ताजा उदाहरण के रूप में जारोमाफी के कोल आदिवासी 120 परिवार हैं जो वर्ष 2005 के पहले से खसरा न0 396 की भूमि पर खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं लेकिन वन विभाग वन्य

जीव विहार बनाकर उन्हें आये दिन धमकी देता रहता है कि ये उनकी जमीन है उसे खाली कर दो। गरीबों द्वारा जमीन न छोड़ने पर सेंचुरी विभाग ने फर्जी मुकदमा बनाकर उन्हें परेशान कर रहा है उन्हें जीने नहीं दे रहा है।

जिला चित्रकूट उ0 प्र0

ग्राम – गुरौला, ग्राम पंचायत – चुरेह केशरूवा ब्लॉक – मानिकपुर

भूमि नं0 83 कुल रक्बा 393 वीघा 16 विस्वा भूमि नं0 83 में ग्राम सभा की जमीन 10 बीघे ग्राम समाज के खाते मे दर्ज थी, जिसे ग्राम प्रधान उमानाथ यादव और तत्कालीन लेखपाल शिवकुमार ने वर्ष 1993 में 5–5 बीघे के पटटे बनाकर गजेन्द्र व नेत्रपाल पुत्रगण श्री जागेश्वर निवासी गुरैला के नाम करके कब्जा दे दिया था। कब्जा देने के बाद से ही वन विभाग मानिकपुर ने अपनी जमीन बताकर खेती करने से मना करता रहा,लेकिन इन गरीबों ने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा। ये लोग लगातार वन विभाग से लड़ाई लड़ते हुए अपना कब्जा बनाये रखा। राजस्व विभाग में जितनी बार वन विभाग अपनी दरख्वास्त लगाता राजस्व विभाग पटटा धारकों की जमीन बताकर उनका प्रार्थना पत्र निरस्त कर देता था।

इधर राजस्व विभाग ने वर्ष 2000 में इस जमीन को संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज कर लाभार्थियों को एक और हक़ प्रदान कर दिया। जिससे इन गरीबों को मजबूती से लडने का एक और मौका मिल अब यह दोंनों व्यक्ति अपनी जमीन पर लगातार खेती कर रहे हैं लेकिन वन विभाग हर वर्ष उनकी फसल उजाड़ देने की माारने पीटने व फर्जी केस में फंसा देने की धमकी देकर डरवाता धमकाता रहता है ये लोग वन विभाग की धमकी से अब डरते नहीं हैं बल्कि डट कर सामना कर रहे हैं। इसी खेती के सहारे ही वह अपना परिवार पाल रहे हैं। इस गांव में वनाधिकार कानून के तहत समिति गठित होनी है ।

जिला चित्रकूट–ग्राम रानीपुर कल्याण गढ़ – भोला प्रसाद कोल

हम लोगों के यहां पहले बांस लकड़ी का काम चलता था हमारे पूर्वज ठेकेदारी में बांस लकड़ी काटकर बेंचकर जीवन यापन कर रहे थे। जब ये ठेकेदारी प्रथा खत्म हो गयी तो हम लोगों को गांव छोंड़कर बाहर जाना पड़ा। बाहर जाते–जाते सोंचे कब तक बाहर जाकर कमाई करेंगे बच्चों को कैसे पढ़ायेंगे लिखाएंगे तब उन लोगों ने सोंचा कि गांव में ग्राम सभा की ये जो जमीन पड़ी है उसी पर खेती की जाए तब उस जमीन में काम करना चालू किए। थोड़ी बहुत जमीन में खेती में पैदा करके अपने बच्चों का पालन पोषण किए और वहीं पर रहने लगे। जब 2006 में वन अधिकार कानून बना तब पता चला हमारे पुरखों बड़ी अच्छी बात सोची है अब तो हमें और मजबूती मिलेगी और संगठन के द्वारा हमें जमीन भी मिलेगी। लेकिन वनविभाग को हमारी यह लहलहाती फसलें आंखों में चुभने लगी और क्या हुआ 19 दिसम्बर 2018 को वनविभाग के रेंजर और वहां के मानिकपुर के थानेदार, तहसीलदार हमारी जोत की गयी भूमि जेसीबी लेकर पर गये हम लोगों के जमीनों पर ट्रैक्टर मंगवाकर फसल उजाड़ने की कोशिश की, लेकिन हम सब लोग

संगठित हो करके ज0सी0बी के सामने खड़े हुए। उन्होनें कहा कि तुम लोग कैसे यहां आ गये फॉरेस्ट की जमीने हैं सरकारी जमीन हैं। मैने कहा कि 2006 वनाधिकार कानून अधिनियम जो लागू हुआ उसमें अब जल जंगल जमीन में आदिवासियों का भी अधिकार है। वे बोले कि ये तुम्हें कौन चूतिया बना रहा है ये सब ठगने का काम है। मैंने तहसीलदार से कहा कि साहब ये जमीन तो पहले ग्रामसभा की थी बोले हां ये ग्राम सभा की तो थी लेकिन राष्ट्रपति अधिग्रहण में ये फॉरेस्ट को चली गयी अब ये तुम्हारी नहीं है। काफी समय बात हुई लेकिन वो लोग नहीं माने हमारी फसलें तो नहीं उजाड़ पाए लेकिन हमारे झोपड़ीयों को ज0सी0बी से गिरा दिया जिसमें जैसे कि मतादयाल भाई ने बताया एक महिला जो गर्भवती थी उसे खुले में रहना पडा और ये बात सही है कि वह महिला आज जिंदगी मौत से लड़ रही है जिंदा रहे कि मर जाए। हम गरीब लोग हैं कहां से पैसा लाएं और कहां कहां जाएं ये बड़ी बात है कि कहते तो हैं कि देश आजाद है लेकिन देश तो आजाद है लेकिन यहां का दलित आदिवासी आजाद नहीं है। यदि ये आजाद होते तो इनके साथ ऐसा अन्याय न किया जाता जहां पर बीसों साल से बसे आदिवासी अपना जीवन यापन कर रहे हैं घर परिवार लेकर अपना घर बना रहे हैं उनको आज विस्थापित किया जा रहा है। तो मै यहीं कहना चाहता हुं कि आजाद भारत का यह सबसे काला अध्याय है जो आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। एक कहावत कही गयी है कि– ***समुन्दर में लहरे आए तो छिपाऊं कहां, आकाश को नींद आए तो सुलाऊं कहां, धरती की मौत आए तो धफनाऊं कहां, आदिवासी विस्थापित हो तो बसाऊं कहां*** ।

जिला जलौन– अरविन्द कुमार पहरिया

सबसे पहले हमारे साथ जूरी मेंबर बैठे हुवे हैं हम उनका बुंदेलखंड़ की तरफ से तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आशा है कि इस मुहिम में हमारी भरपूर मदद करेंगे। बुंदेलखंड में जमीन के मुद्दे को लेकर तमाम संगठनों ने आंदोलन चलाए लेकिन ये आन्दोलन कहीं न कहीं उनके निजी स्वार्थों के चलते कही गुम हो गये। वो आज कहीं देखने को भी नहीं मिलते। लेकिन हमें बड़ी खुशी जगी जब हमारे मातादयाल जी से भेंट हुई और इस आंदोलन को पुनः नया अयाम दिया और आज हमें यह महसूस हुआ कि हम इस लड़ाई को जीतने में जरूर कामयाब होंगे। जिस तरीके से मतादयाल जी ने बताया कि हर सरकार बुंदेलखंड के लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर करती हैं फिर ऐसे मुददे चिन्हित करती हैं वो चुनावी हत्कंडों तक ही सीमित रहता है। अगर वास्तव में बुंदेलखंड़ के दलित आदिवासियों का भला चाहते तो बुंदेलखंड़ में वो जमीन है कि अगर वो जमीन उनको हासिल हो जाए तो कोई भी अपने मां बाप को अपने बच्चों को छोंडकर बाहर नहीं जाना चाहता। लेकिन असली हकीकत ये है कि सिर्फ उन्हें लालीपॉप दिया जाता है और कुछ नहीं विकास के लिए कोई काम नहीं किया जाता । बुंदेलखंड़ में जलौन, झांसी, बांदा, हमीरपुर में ये बहुत बड़ी बंजर जमीन पड़ी हुई, बीहड़ जगह पड़ी हुई है जहां सिर्फ कंटीले पेड़ों का जंगल है अगर वो जमीन सरकार मनरेगा के तहत भारी भरकम बजट तैयार करके मनरेगा के तहत समतलीकरण करा दे तो वो जमीन पर वो फसल लहलाहाएगी कि कोई भी अपने बूढ़े मां बाप को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहेगा। जहां वन विभाग के पास आती है मुझे तो इस कानून के बारे में भी पता नहीं था सम्मानीय बड़े भाई मातादयाल जी से पता चला। जब उन्होंने बताया तो हमने अपने जिले में देखा तो पाया कि पूरे जिले में 9

ब्लाक है और सब में वनभूमि के मुददे है। यहां पर हम सिर्फ दो केस पर ही जिक्र करना चाहेंगे मवाई तहसील और दूसरा जलौन तहसील। जलौन तहसील में जब चौधरी चरण सिंह सरकार में आए, तो संकल्पुर, मैनापुर, गोहटपुरा, आलमपुर का जो एरिया है वहां पर उन्होंने लगभग 3000 बीघे जमीन दलितों से छीनकर वनविभाग को दी। उस जमीन को अगर आप गहराई से देखें तों वहां सिर्फ दस बीघें में नर्सरी तैयार की जा रही है और दस या पंद्रह बीघे में बृक्षारोपण का हुआ है बांकी की पूरी जमीन जो सिंचित थी आज कटीले बंबूलों के हवाले है और वहां पर पूरा बबूल का झाड़ उगा हुआ है। जिन परिवारों की जमीन छीनी गई आज या तो अहमदाबाद,गुजरात,सूरत पलायन करके गये हैं या तो केवल जानवर पाल करके गुजर बसर कर रहे हैं और दो वक्त की रोटी जुटा पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम गोहटपुरा की बात करें तो लगभग 2425 एकड़ बीघा जमीन जो है वनविभाग ने कब्जा किया हुआ है उसमें से मुश्किल से पचास बीघा जमीन पर बृक्षा रोपण किया और मुश्किल से पांच बीघा जमीन पर नर्सरी है और अभी वर्तमान सरकार में दस बीघा जमीन में गौशाला खुलवाई है। बाकी की पूरी की पूरी जमींन बबूल से पटी हुई है। मजबूरी ये है कि लोगों को नहीं मालूम की वनाधिकार कानून है लोगों को नहीं मालूम की ये जमीन कैसे हम वापस लें वो सिर्फ इस बात से डर जाते हैं कि अगर हम जमीन पर दख़ल करेंगे तो जो सरकार के नुमाइंदे हैं जो पुलिस चौकिया हैं वो हम को जेल में डाल देगी। आज जो बच्चों के लिए दो वक्त की रोटी कमा खा रहे है उस रोटी के भी लाले पड़ जायेंगे। और उन्हें कानून का भी सहारा नहीं है समझ नहीं है इसलिए वो जमीन उन तक वापस नहीं आ रही है। दूसरा हम जिक्र करेंगे कि जमींदारी विनाश अधिनियम की बात आयी जनपद जलौन में बड़े पैमाने पर आज भी मंदिरों के नाम पर आठ–आठ सौ बीघा हजार–हजार बीघा मंदिरों के नाम है। बड़े–बड़े जमीदारों के यहां जो नौकर हैं उनके नाम से जमीन है लेकिन उसका पूरा लाभ जमींदार ले रहे हैं। उन्होंने ये बना रखा कि जमींदारी के नाम से जो सीलीग एक्ट का मुद्दा है उसके लिए गये हाईकोट में एक वकील किया पता नहीं वो स्टे कितने दिनों का है और यहां पे आये बीसों साल मुकदमा चल रहा है न तो ग्राम सभा उसकी अगुआई कर रहा न अन्य कोई इसकी अगुआई कर रहा है और सरकार भी मौन बैठी हुई है और जमींदार जोत रहा बो रहा है। हजारें की संख्या में वहां के लोग भूमिहीन हैं जो उन्हीं की जमीन है उसी को बंटाई पर लेकर जोत बो रहे हैं कमा खा रहे हैं। यहां एक बात गौर करने की है कि खेत बंटाई पर वो जोतते हैं चार हजार पांच हजार बीघा जमीन वो खरीदते है लेकिन जब ओला बृष्टि या अन्य कोई आपदा आती है तो सरकार जो मुवाआजा देती है वो मुवाअजा जमींदार को मिल जाता है। नुकसान वो गरीब आदमी का होता है जोताई, बोआई, निराई गोड़ाई, बीज खाद पानी वो करता है लेकिन उसका मुवाअजा जमींदार को मिलता है। दूसरी तरफ थोड़ी बहुत जो जमीन बची जो सरपंच बने उन्हें लगा कि हमें और आगे तक बने रहना है तो उन्होंने परिवार नियोजन के नाम पर भूमि हीन के नाम पर पट्टे दिये एक एकड़ या दो एकड़ के पट्टे दिए लेकिन जब हमने गांव का सर्वे किया तो सन 1974 से ले करके 84,80,82और 96,95,2006 में जितने लोगों को पट्टे दिये गये वे पट्टे भी आज कागजों में हैं हो सकता है कुछ लोगों को उसमें कब्जा मिल गया हो लेकिन वो भी जमीन आज जमींदारों के हांथ में है। जब हम लेखपाल और एस0डी0एम को बताते हैं कि साहब ये जमीन तो हमारे नाम है हमें कब्जा दे दीजिए तो जमींन पर कब्जा नहीं मिलता। बार–बार जमीन के लिए एस0डी0एम को दरकार देते है डी0एम को देता है हमारे बीच में मनोज कुमार पहुंच गये हैं इनका भी यही मुद्दा है। जो मुख्यमंत्री जी ने हेल्पलाइन चलाई हुई है तो इन्होने स्वयं हेल्पलाइन नं0 पे कम्पलेन किया कि मुझे इतने दिन से जमीन का पट्टा नहीं दिया गया है। मेरे पिताजी के नाम पट्टा था लेकिन अभी तक जमीन हमारे कब्जे में नहीं है। जब इन्होंने तीन बार अवेदन किया तो ये हुआ की सी0एम हेल्पलाइन पे जिला प्रसाशन ने फर्जी रिपोर्ट दे दी यहां से इनको वापस काल गयी कि आपको आपकी जमीन पर कब्जा दे दिया गया है

क्या आप संतुष्ट हैं। ये है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का जवाब इन्होंने बताया कि मुझे आज तक पता ही नहीं कि मुझे जमीन कब नाप दी गयी है तो दुबारा जाता है तो लेखपाल फोन करता है कि दुबारा शिकायत क्यों कर दी। इन्होंने कहा कि जब हमे जमीन मिली ही नहीं है तो मैं कैसे कह दूं की जमीन मुझे मिल गयी है। फिर ये जब ज्यादा पीछे पड़े लेखपाल को जाके बताया तो लेखपाल कहता है कि पट्टा तो आप के पास है लेकिन जमीन और किसी के नाम है। जब मैने दोबारह लेखपाल से बात की कि ग्राम सभा की समिति जो भूमि अध्यक्ष है उसके द्वारा पट्टा दिया गया है वो पट्टा इनके नाम है वो आप की खतौनी में दूसरे के नाम क्यों है उसका हमें जवाब दो। तब लेखपाल ने कहा ठीक है फसल कट जाने दो फिर देखते हैं कि आप की जमीन कहां है। बुंदेलखंड में ये हालात हैं जब हम गांव में जमीनी हालत देखते है तब पता चलता की लोग किस तरह से जीवन जीने को मजबूर हैं। मुझे काफी उम्मीद है इस प्रोग्राम के बाद आएंगे और वहां की स्थिति का आंकलन करेंगे देखेंगे और जो भी वहां के मुद्दे हैं उस में हमें न्याय के लिए कार्य करना है। मेरे पास वहां 150 लोगों की लिस्ट आ चुकी है जिन लोगों के कागजों में पट्टे हैं जमीनी स्तर पर कब्जा नहीं हैं।

जिला जलौन तहसील कालपी महोबा – मनोज कुमार सहरिया

सभी लोगो को नमस्कार मैं अभी जो भारत सरकार द्वारा किसानों की आय दुगनी करने प्रोजेक्ट चल रहा है उसी में मैं काम करता हूं। 27 दिसंबर 1976 को ग्राम पंचायत जो समिति थी उसके द्वारा मेरे पिता जी के नाम 1976 में पट्टा दिया गया था। मेरे पिताजी ने पहले बहुत कोशिश की मेरा पट्टा तीन जगह पर दिया गया था, ये तीन जगह में अलग–अलग जगह में था जिसकी पैमाइश टोटल एक एकड़ थी। तो उस जमीन के लिए मैंने तहसीलदार से बात की डीएम से बात की कई बार अपलीकेशन दिया जिसका कोई संज्ञान नहीं लिया फिर मैं ऑर्गनाइजेसन से जुड़ा फिर मैने हेल्पलाइन न0 1076 पर काल की उस कंप्लेन कर कई बार रीपीट हुआ है। फिर तहसीलदार का फोन आया कि कार्यवाही हो रही है फिर पंद्रह दिन बाद मैसेज आया की आप की पॉपर्टी की जो कार्यवाही वो फुल हो गई है। फिर मैंने देखा तो उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है कहीं से भी कुछ नहीं हुआ ऐसा दो तीन बार हो गया लेकिन कोई काम नहीं हुआ और न अधिकारी कोई काम नहीं करते हैं सारे अधिकारी का यही हाल है ।

जिला ललितपुर – ग्राम वरदा लच्छी देबी सहरिया आदिवासी

मेरे गांव में मताओं बहनों सब लोगों से जयराम करती हूं। हमारी गांव की जनता भटकी–भटकी फिर रही है इन लोगों को सरकार ने बहुत लूट लिया है क्योंकि किसी बात का सौदा नहीं हो रहा है। गरीब को क्यों मार रही है सरकार किस बात पे मार रही है इस बात पे उत्तर दे सरकार। हम लोगों का बंटाधार कर दिया हमको इधर उधर भगा रहा है गरीब को मार रहा क्यों तुम्हारे पास जमीन है डेरा है धन है आदिवासियों के पास क्या है हम अपना खाते पीते हैं । इनका कुछ नहीं खाते पीते जब देखो हमको भटकाता रहता है सहरियों आदिवासियों के ऊपर मुकदमें लगा दिया है हर महीना पे मुकदमा दौड़ रहे हैं क्यों 2000–5000 रूपया देते हैं तो गरीब लोग रूपया से भी जाते हैं कैसे बच्चा पालन करेगा कैसे मुकदमा लड़ेंगे जमीन नहीं हमें दोगे तो क्या करेंगे हम जमीन लेंगे और लड़ के लेंगे लड़ेंगे जीतेंगे।

जिला ललितपुर – ग्राम खेड़ा कल्लू सहरिया

मुख्य रूप से हम लोग परेशान हैं हम 296 एकड़ जमीन पर काबिज हैं खेती करते चले आ रहे हैं। हम लोग बेहद ही गरीब समुदाय से हैं। उस पर वन विभाग ने हमारे साथ धोखा और हमारे घर जला दिए और उजाड़ दिए। उस पर हमने कार्यवाही किया है जिला में डीएम के सामने कार्यवाही की, डीएम हमारे यहां गये बोले जमीन दिलाएंगे लेकिन अभी तक उन्होंने जमीन नहीं दी जमीन पर काबिज हैं खेती भी करते हैं। वन विभाग के द्वारा परेशानी क्या होती है कि बड़े–बड़े सामंत लोग हैं वो तो लकड़ी काटते हैं और आदिवासीयों के नाम पर मुकदमा करते हैं वन विभाग वालो का इतना बड़ा अन्याय चल रहा है। जो हमारे क्षेत्र में गांव हैं मावली गांव वन विभाग द्वारा गोली चली थी हम सब लोग गये थे और आज तक इंक्वारी नहीं हुआ। इस सरकार में वनविभाग ने इतना अत्याचार बढ़ाया है कि गरीबों को तो कोई देख ही नहीं सकता। इनके लिए केवल वन विभाग और जो डीएम है इनके पास एक महीना में दस बार डीएम के पास जाते हैं ललितपुर में हर बार घेरते हैं और बातचीत होती है आज तक सुनवाई नहीं हम लोगों की किया। हमारे कम से कम 20–25 गांव हैं रह रहे हैं खेती कर रहे हैं आज भी खेती कर रहे हैं वहां से हटे नहीं हैं हटाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं की हट जाएं लेकिन हम लोग नहीं हटते। हमारे गांव में 28 मुकदमा हैं लोगों पर चार लोग मिले तो चार लोग को अंदर कर दिया जेल में जब हम लोगों को खबर मिली तो दूसरे तीसरे दिन गये जमानत के लिए निकाल लिया फिर सबकी जमानत करवा लिया। आज जो सरकार बैठी है

बड़े लोगों का साथ दे रही है गरीबों का कोई साथ नहीं देता चाहे हम भूखे मरे चाहे पियासन मरे कोई साथ नहीं। नरेगा में काम करवाते हैं वन विभाग वाले छै–छै महीना हो जाते हैं पैसा नहीं देते पिछले साल अभी नया साल लग गया है बोलते हैं तो कहते हैं अभी तक बजट नहीं आया लखनऊ से। जमींदारों के पास जमीन आदिवासियों की है जंगल जमीन चाहे ये सरकार आ जाये चाहे दूसरी आ जाए लेकिन जमीन से हम लोग नहीं हटेंगे लड़ते रहेंगे ।

जिला बिजनौर– श्री नरायण सिंह

जंग हिंदुस्तानी

बिजनौर के साथी हैं बता दें की इन्होंने अपना दावा फारम भरा था और दावा फारम भरने के बाद में वन विभाग ने एक से एक नयाब तरीके खोजता है जिससे वन अधिकार न देना पड़े तो ये बक्सा जनजाति के आदिवासी लोग हैं। वनविभाग ने अपनी रिपोर्ट में कमेंट लिखा कि ये लोग परंपरिक परिधान और परंपरिक परिवेश में नहीं रहते हैं। मतलब ये वो कपड़ा नहीं पहनते हैं जो बक्सा जनजाति को पहनना चाहिए जिसको आदिवासी कहा जाए बताइए इस देश में आदिवासी अगर जींस या पैंट शर्ट पहन ले तो उनको आदिवासी ही नहीं माना जाता। जहां संविधान का और समानता का लगातार उलंघन वन विभाग के द्वारा किया जा रहा है और ऐसे–ऐसे चार्ज वन विभाग के द्वारा लगाए गए हैं कि जिसका जवाब नहीं। कहा कि वो पक्के मकान बना रखे हैं इन लोगों के पास राशन कार्ड है तो क्या वन निवासी तो उसके पास राशन कार्ड नहीं होना चाहिए और क्या राशन कार्ड हो गया तो क्या वो वन निवासी नहीं रहेगा लेकिन बिजनौर के साथियों से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें ।

नजीवाबाद में वहां से सूचना मिली की जंग साहब ने जो कुछ कहा ये बात बिल्कुल सच है उसी बात को हम आप से कहना चाहेंगे। अभी पिछले 28 नवंबर 2018 को हमारे यहां मीटिंग हुई वहां पूरा वनविभाग आया, एसडीम नगीना भी पहुंचे और 47 दावे हमारे पास हैं वो सारी रिपोर्ट हर जगह पहुंच चुकी हैं वो प्रक्रिया चल रही थी सारे लोग अंदर बुलाए गये पहुंचे और जब उसकी जांच हुई तो हम लोगों को जनजाति नहीं माना गया। और कन्द, फूल, फल, शहद और इन्हीं चीजों में हमें गिना दिया गया और हमारी संपत्ति को नजायज कब्जा बताते हुए उसे छीनने का पूरा प्रयास किया गया। मैं अपनी पूरी समिति और मान्यवरों से यही निवेदन है कि हमारी मदद कीजिएगा और हमारी संपत्ति को वापस दिलाइए।

रोमा– भूमिका–जिला–सोनभद्र

ज्यूरी सदस्यों को जो केस स्टडी की फाईल दी गई है उसमें हमने जिला सोनभद्र जिसे कैमूर क्षेत्र भी कहा जाता है का वनभूमि के साथ जो विवाद है उसके बारे में पूरा जिक्र किया है। लेकिन अभी जो वहां की पूरी परिस्थिति है सबसे ज्यादा नाजुक है और बहुत ही गंभीर भी है उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे। उसके बारे में शुरू में श्यामलाल, लालती, शोभा जी ने बताया। सोनभद्र में 2010 में करीब 90,000 दावे और वो व्यक्तिगत दावे किये उस समय बसपा सरकार थी और बसपा सरकार ने इस कानून को काफी आंदोलन के बाद लागू किया। 2007 में जब कानून लागू करने के लिए हमारे संगठन ने अभियान शुरू किया तो माओवादी कहकर हमारे संगठन को बदनाम करने की कोशिश किया गया और संगठन के तहत गिरफ्तारियां की गई। और 2007 में वहां पर बहुत सारे आदिवासी समुदाय है जैसे श्यामलाल जी, लालती, सुकालो, फुलरी कई नाम हैं गांव के लोग बैठे हैं उन लोगों ने जमीन को दखल किया जिनकी पूवर्जो की भूमि थी उनपर दखल किया। और 2007 में उस दखल को माओवादी आंदोलन बताकर हम लोगों को गिरफ्तार किया गया जिसमें श्यामलाल,लालती और एक साथी जेल में रहे कई महीने जेल में रहे। मुझ पर एन0एस0ए लगाया गया मैं प्रदेश की पहली महिला हूं जिनपर एन0एस0ए लगा । इसके साथ हम लोगों के उपर सैकड़ों मुकदमें हुए। लेकिन अच्छी बात ये रही कि उस समय बसपा की सरकार थी और दूसरी बाद हम पे जो अरोप पत्र दाखिल हुआ पुलिस भी इतनी बेवकूफ थी कि उस अरोप पत्र में उन्होंने लिखा कि हमलोगों ने नारा लगाया है कि ***''जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है''***। लेकिन इस नारे के सहारे ही बसपा ने सत्ता हासिल की थी और यह नारा बाबा साहब अम्बेड़कर का ही है। मेरी फाईल जब मुख्यमंत्री साहिबा मायावती जी के पास पहुंची तो उन्होंने उस फाइल को उठाकर फेंक दिया और एक महीना के अन्दर मेरी बाइज्जत रिहाई होने का अदेश दिया। इससे सोनभद्र का पूरा सांमती महकमा हिल गया । सोनभद्र एक बहुत सामन्ती जगह है सामन्तों का राज है पूंजीपतियों का राज है वहां कोई भी अवाज अधिकारों के लिए उठाना जुर्म है। वहां पर यह सारी ताकते इकठ्ठी हो जाती हैं क्योंकि वहां पर माइन्स है मिनरल्स और तमाम तरह के उद्योग हैं बड़े–बड़े उद्योगपति हैं, जिसका नाम ले लो वो वहां हैं चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, या फिर रिलाइंस है अंबानी अड़ानी सब है वहां पर तो आप जान नहीं सकते कि वहां पर एक–एक जमीन का जो टुकड़ा है वहां कितनी महाभारत की कई लड़ाइयां खड़ी हैं। सारी न्याय देने वाली एजेंसीयां इन्हीं बड़ी ताकतों के साथ खड़ी है। देहरादून में हमारे एक मशहूर शायर मरहूम हरजीत थे वो बहुत अच्छा पढ़ा करते थे कि ***'' मुनसिफ का सच सुनहरी स्याही में छिप गया है, वैसे वो जानता है कि खतावार कौन है''*** ये सोनभद्र की कहानी है। वहां पर सारे लोग जानते हैं कि खतावार कौन है लेकिन मुजरिम ठहराए जाते हैं वहां के आदिवासी। शुरू में बताया गया और ये कहानी लगातार दोहराई जा रही है

और 2006 के बाद जैसे मुकदमों की बाढ़ ही आ गयी। एक के बाद एक मुकदमें आदिवासीयों और वनाश्रित समुदाय पर वनविभाग द्वारा कायम किए जाने लगे जिसे पुलिस विभाग ने भी अपनी मोहर लगा कर अपराधिक मुकदमें कायम किए। विवाद फौजदारी भूमि विवाद का जो कि ऐतिहासिक काल से चले आ रहे है और मुकदमें अपराधिक जो कि एक थानेदार और वनदरोगा के हवाले कर दिए गए।

2006 के बाद हज़ारो वनाश्रित समुदाय पर फर्जी मुकदमें किए गए, एक एक केस में किसी में 200 लोग, किसी में 600, किसी में 500, यानि के एक पूरे समाज को अपराधी बना कर उनका अपराधिक इतिहास बनाई जा रही है। जबकि ये सब दीवानी मामले हैं। इन सारी तहरीरों को हमनें अपने वकीलों के मदद से कोर्ट से इक्टठा किया है। पिछले साल तीस्ता जी एवं मुनीज़ा जी द्वारा सोनभद्र का दौरा किया गया था जिसमें इन फर्जी मुकदमों से वनाश्रित समुदाय को राहत दिलाने की रणनीति बनाई गई और उसी के तहत कुछ चुनिंदा 15 केस चिन्हित किए गए। इस सारे केस को फिर हम लोग इलाहाबाद में श्री फरमान साहब के साथ बैठे और तय किया कि इन सभी मामलों पर पहले स्टे लिया जाए और फिर इन को ख़ारिज करने के लिए हाई कोर्ट में लड़ा जाएगा। इन सभी केसों में देखेगें तो पाएगें की यह मुकदमें वनविभाग द्वारा किए गए है, वन विभाग के 1927 के भारतीय वनकानून के तहत 5/26 धारा लगा कर दिखाता है कि उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया गया जुर्म यह दिखाया जाता है कि लोगों ने पेड़ काटे, जंगल की जमीन को कब्जा किया इन्होंने सरकारी संपत्ति को नष्ट किया आदि। इसी 5/26 धारा के साथ भारतीय दंड़ संहिता के तहत भी अपराधिक मुकदमें दर्ज कर दिए जाते हैं जो गैर संवैधानिक है। यानि एक ही मामले में दो–दो कानून इस्तेमाल करके तमाम जंगल के इलाकों में आदिवासी समाज का अपराधीकरण करने की कोशिश की जा रही है। जब ये दीवानी मामला है तो इसमें फौजदारी करने का क्या मतलब है। क्यों नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम कोर्ट इस मामले में खामोश हैं, तमाम राजनैतिक दल खामोश हैं, तमाम राजनेता खामोश हैं। जब की सबको मालूम है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके ऊपर सासद में भी कोई बहस नहीं है। वहीं न हाईकोर्ट में बहस है न सुप्रिम कोर्ट में बहस है, ये सारी बाते बहुत गंभीर स्थिति तक पहुंच गई हैं अगर इसका जल्दी निस्तारण नहीं हुआ तो जंगलों में स्थिति विस्फोटक भी हो सकती है।

इसी मकसद से हमने इस जन सुनवाई का आयोजन किया है। 2006 में वनाधिकार कानून बनता है और उसी के बाद सैकड़ों हजारों केस आदिवासियों और वनाश्रित समुदायों के ऊपर होते हैं। बार बार ऐतिहासिक अन्याय की पुर्नावृत्ति हो रही है। लेकिन कानून के तहत दावों के प्रक्रिया में कोई तेजी नहीं आई । इस अन्याय से परेशान वनसमुदाय जो कि अखिल भारतीय वनजन श्रमजीवी यूनियन से जुड़े हैं ने तय किया कि हमारे अत्याचार का निवारण तभी होगा तब कानून के तहत हम समुदायिक दावा करें। 2012 में इस कानून का सशोधन हुआ तथा सामुदायिक वनसंसाधन का एक तीसरा फार्म भी जोड़ा गया। यह फार्म हैबिटेट राइट यानी की पूरे संसाधनों के ऊपर समुदाय के अधिकार मालिकाना के हक की बात करता है।

सामूदायिक दावों के लिए तैयारी की गई, तमाम दस्तावेज इकठ्ठे किये गये, चूंकि सामूदायिक दावों में यह अफसर कोई भेदभाव नहीं कर पाएगें। कानून में एक बड़ी कमीं हैं कि यह कानून वनाश्रित समुदाय के बीच में भेदभाव करता है। अन्य परम्परागत के लिए तीन पीढ़ी के प्रमाण और अनुसूचित जनजाति के लिए 13 दिसम्बर 2005 के प्रमाण की बात करता है। लेकिन गौर तलब बात है कि सामुदायिक वनसंसाधनों के दावों में भेदभाव नहीं है दावेदार वहां के निवासी 13 दिसम्बर 2005 होने का प्रमाण होना चाहिए। अफसर अन्य परम्परागत को 75 वर्ष का प्रमाण देने को कहते है जबकि 75 साल का कानून में कहीं कोई जिक्र नहीं है। हम लोगों ने सारे दावों को इकठ्ठा किया, उसमें सारे दस्तावेज दिये, नक्शा तैयार किये, जड़ी व बूटियों की लिस्ट गांव वालों ने तैयार की। 1930 का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वर्किंग प्लान से भी जड़ी बूटीयों की

लिस्ट ली। अंग्रेज़ों के ज़माने के गजेटियर लिए जिसमें क्षेत्र में रहने वाली सभी जनजातियों व अनुसूचित जातियों का ब्यौरा था। दस पीढ़ीयों के प्रमाण लगाए गए। उत्तरप्रदेश के एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी अमीर हसन द्वारा उ0प्र0 के जनजातियों पर एक पुस्तक '' ट्राइबल एडमिनिसट्रेशन इन इंड़िया'' का दस्तावेज़ भी लगाया गया जिसमें आदिवासीयों की भूमि को वनविभाग ने कैसे लूटा इसका पूरा विवरण है। दिनांक 23 मार्च 2018 को शहीद ए आजम भगत सिंह की पुण्यतिथि पर जिला सोनभद्र के 16 ग्राम सभा ने सामूहिक तौर पर जिला मुख्यालय में वनाधिकार कानून के तहत सामुदायिक संसाधन के दावे उप जिला अधिकारी को सौंपे। सामुदायिक दावे जिन ग्राम सभा ने की उनके नाम है बसौली, तिलोली, बहुआर, बघुवारी, मझौली, प्रेम नगर, सोन नगर, कुड़वा, हर्रा बीलारू, लीलासी, धूमा, गुरदा, दुर्गा टोला आदि।

23 मार्च को हजारों की संख्या में 16 ग्राम सभाओं के पर वनाश्रित समुदाय ने अपने दावों को उत्सव की तरह दायर किया जिसे उपजिलाधिकारी ने स्वीकार किया। दावों को सौंपने की इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई, दावों को सौंपने के बाद प्रशासन द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई और ना ही दावों को गंभीरता से लिया गया। बल्कि इन दावो के बाद मई महीने में लीलासी गांव में वनविभाग स्थानीय सामंतो और पुलिस द्वारा दावेदारों के खिलाफ एक साजिश रची गई ताकि वनाधिकार कानून की प्रक्रिया को बाधित किया जा सके। दावे की गई भूमि आदिवासियों के पूर्वज की थी जिस पर स्थानीय दबंगों द्वारा वन विभाग के साथ मिलकर पक्के मकान बनवा दिए गए हैं इन स्थानीय दबंगों को डर था की दावे होने के बाद उक्त भूमि उनसे ली नहीं जा सकती इसलिए दबंगों द्वारा वन विभाग के साथ और पुलिस के साथ मिलकर आदिवासियों पर पेड़ काटने का झूठा आरोप लगाकर फर्जी मुकदमे किए गए। सामुदायिक दावों को लेकर पूरे प्रशासन में यह सोच बनी है की जमीन कब्जे का करने का अभियान है वा राज्य राज्य सत्ता के खिलाफ एक साजिश है इसी सोच के तहत प्रशासन द्वारा वनाधिकार पर काम करने वाली संगठनों एवं 16 ग्राम सभा के अध्यक्ष व सचिव पर उत्पीड़न आत्मक कार्रवाई की गई जिसका उल्लेख अन्य केस में किया गया है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2018 में इलाहाबाद के उच्च न्यायालय द्वारा आदिवासी महासभा के दायर रिट 56003/2017 में है स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं की वनाधिकार कानून के तहत सभी लंबित दावों का तुरंत निस्तारण किया जाए व वन आश्रित समुदाय खासतौर पर आदिवासियों का उत्पीड़न रोका जाए लेकिन इस आदेश के बावजूद भी आदिवासी समुदाय का उत्पीड़न जारी है व अभी तक इस आदेश का भी पालन सही प्रकार से जमीन पर लागू नहीं हो रहा है

ग्राम लीलासी

जनपद सोनभद्र के दुद्धी तहसील के ग्राम लीलासी में गत् 18 मई 2018 से आदिवासीयों खासतौर पर महिलाओं पर उत्पीड़न किया गया है। ग्राम लीलासी के आदिवासीयों द्वारा वनाधिकार कानून के तहत अपनी ग्राम सभा का गठन कर अपनी पुश्तैनी भूमि पर सामूहिक वन संसाधन के दावे 23 मार्च 2018 को जिलाधिकारी कार्यालय सोनभद्र में अन्य 15 ग्राम सभाओं के साथ दावे किए गए थे। उनकी पुश्तैनी भूमि से उनको वनविभाग द्वारा लगभग 15 वर्ष पूर्व बेदख़ल कर दिया गया था जिसपर वे जोत कोड़ कर रहे थे। लेकिन इसी वनभूमि के एक टुकड़े पर वनविभाग व स्थानीय पुलिस की मिली भगत से स्थानीय दबंगों, उच्च जाति समुदाय द्वारा अवैध कब्ज़े किए गए हैं। आदिवासीयों द्वारा दावा किए जाने के बाद इन स्थनीय दबंगों को खतरा महसूस हुआ कि उक्त भूमि की जांच होगी व वह भूमि उनसे छीनी जा सकती है। इस

आशय से स्थानीय दबंगों द्वारा वनविभाग एवं स्थानीय पुलिस की मदद से आदिवासीयों पर ही अवैध भूमि कब्ज़ा करने का आरोप लगाने की साजिश रची गई।

14 मई 2018 को वनदरोगा म्योरपुर द्वारा आदिवासी महिलाओं पर जंगल काटने की एक झूठी तहरीर दर्ज की गई व 18 मई को 12 महिलाओं को 151 के अन्दर चालान किया गया। इस मामले के बारे में जैसे ही हमारे संगठन को पता चला तो यूनियन की उपाध्यक्ष जानी मानी मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड द्वारा सोनभद्र पुलिस अधीक्षक व उपजिलाधिकारी से बात की गई तब गिरफ्तार महिलाओं को छोड़ा गया। महिलाओं पर यह झूठा आरोप लगाया गया कि उन्होंने पेड़ काटे हैं। महिलाओं का एक समूह का फोटो जिसमें उनके गले में यूनियन की सदस्यता का कार्ड लटका हुआ है को आधार बना कर यह कहा गया कि यूनियन के पदाधिकारी महासचिव अशोक चौधरी व उपमहासचिव रोमा द्वारा महिलाओं को भड़काया गया व वनभूमि पर कब्ज़ा करने के लिए उकसाया गया। इस फोटों में कहीं जंगल नहीं दिखाई दे रहा है न ही ये महिलाए जंगल काटती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर हमारे यूनियन को स्थानीय पुलिस एवं वनविभाग द्वारा बदनाम करने की कोशिश की गई। इस कार्य में ग्राम लीलासी के प्रधान पूरी तरह से शामिल हैं। 18 मई की गिरफतारी से महिलाओं को छोड़े जाने की खुन्नस के चलते 22 मई 2018 को सुबह म्योरपुर एसओ सत्यप्रकाश सिंह के द्वारा पुलिस बल के साथ ग्राम लीलासी में ग्राम वनाधिकार समिति की सचिव श्रीमति किस्मती गोंण के घर में घुस कर उन्हें लाठी से सिर पर वार किया जिससे वे घायल हो गई व नौजवान लड़कियों सुनीता 15 वर्ष, अनिता 13 वर्ष पुत्री नंदू गोंड़ को दौडा कर उनके साथ बदतमीज़ी की। उसके बाद सुखदेव गोंण के घर पर जा कर उसे मारने पीटने लगे। सुखदेव गोंण उस समय अपने जानवरों के लिए भूसा लगा रहे थे। सुखदेव की पत्नी दिलबस को टांग पर वार किया व एक अन्य महिला सोहद्री पत्नी केशव राम 60 वर्ष को भी मारा। ऐसे ही स्थानीय पुलिस जिसे पा रही थी उसे मार रही थी। गांव के लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर उनका अपराध क्या है जिसकी वजह से पुलिस उनपर बर्बरपूर्ण लाठी चला रही है। पुलिस के इस अत्याचार से ग्रामीण महिलाए आक्रोशित हो गई व उन्होंने पुलिस की इस कार्यवाही का विरोध किया। महिलाओं को आक्रोशित देख पुलिस भागने लगी जिस से एसओ व सिपाही भागते हुए गिर गए व उनको चोटें आ गई। जो महिलाए घायल हैं उनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई बल्कि उन्हें अस्पताल में दवाई तक नहीं मिली व डाक्टरों द्वारा मेडिकल जांच रिपोर्ट बनाने से मना कर दिया गया कहा कि पुलिस रिपोर्ट ले कर आओ तभी मेडिकल रिपोर्ट व दवा होगी। पुलिस अधीक्षक द्वारा गांव के बाहर ही छावनी लगा दी गई है ताकि आदिवासीयों को गांव से बाहर जाने से रोका जा सके व कोई जांच अंदर न आ सके। ऐसी स्थिति में आदिवासी महिलाए अपनी आवाज़ को नहीं उठा पा रही हैं। स्थानीय पुलिस द्वारा मनमानी कार्यवाही कर आदिवासीयों व उनके साथ काम कर रहे संगठन पर संगीन धाराए लगाई गई जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है यह ताकतें वनाधिकार कानून को लागू नहीं होने देना चाहते व इसे रोकना चाहते हैं ताकि क्षेत्र के दबंग, चुगले दलाल वनविभाग व स्थानीय पुलिस की मदद से वनभूमि की लूट ज़ारी रख सके।

इस संदर्भ में जब मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री राम प्रताप सिंह से फोन द्वारा बात की गई तो उन्होंने मुझ से बेहद ही अभद्रतापूर्ण बात की और अंग्रेज़ी में कहा कि ''मैं आपके ऊपर भी एक्शन लूंगा।'' इस बात से मैं अवाक रह गई क्योंकि बिना जांच किए एक स्थानीय अधिकारी ऐसे किसी सामाजिक कार्यकर्ता को कैसे धमकी दे सकते हैं। इस मामले में किसी प्रकार की उच्च स्तरीय जांच न ही जिलाधिकारी और न ही पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई। इस संदर्भ में मेरे द्वारा ईमेल से जिलाधिकारी को भी पत्र लिखा गया। तथा

इस घटना का पूरा विवरण मेरे व तीस्ता सीतलवाड द्वारा 30 मई 2018 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी दिया गया। आयोग द्वारा 31 मई को डीएम व पुलिस अधीक्षक को नोटिस भी ज़ारी किए गए।

जबकि वनाधिकार कानून के तहत जब भी दावा पेश किया जाता है वहां वन एवं भूमि सम्बन्धित किसी भी विवाद में उपजिलाधिकारी एवं जिलाधिकारी को जांच या हस्तक्षेप कर मामले की सच्चाई तक जाना चाहिए था व किसी प्रकार की उत्पीड़नात्क कार्यवाही से आदिवासीयों की सुरक्षा करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ स्थानीय पुलिस एवं वनविभाग द्वारा ही आदिवासीयों के घरों पर हमला किया गया व उल्टे ही उनपर कई संगीन धाराओं के 147,148,149,307,323,504,332,333,336,353,427,120बी भ0द0स, 3/5 क्रिमिनल एक्ट, 3/5 सार्वजनिक सम्पति निवारण अधिनियम 1984 व 5/26 भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत फर्जी मुकदमें दर्ज किए गए।

इस घटना के पीछे कई राजनैतिक कारण है गत 23 मार्च 2018 शहीद–ए–आज़म भगतसिंह की पुण्यतिथि पर वनाधिकार कानून 2006 के तहत सामुदायिक वनसंसाधन के दावे जनपद के दो तहसीलों राबर्टसगंज व दुद्धी के अन्य 16 ग्राम सभाओं के साथ सामूहिक रूप से जिलाधिकारी कार्यालय राबर्टसगंज में उपजिलाधिकारी श्री राजकुमार को सौंपे गए थे। ग्राम लीलासी भी इन ग्राम सभाओं में से एक था। संलग्न दस्तावेज़ों में पूर्व आई0ए0एस अफसर श्री अमीर हसन द्वारा लिखित ट्राईबल एडमिनिसट्रशंन आफ इंड़िया में उत्तर प्रदेश में वनविभाग द्वारा किस प्रकार ग्राम सभा के जंगल व भूमि हथियाई गई इसका पूरा विवरण दिया गया है। इसके अलावा अंग्रेज़ों के ज़माने के गजेटियर व वनविभाग के पुराने वर्किंग प्लान जिसमें वनाश्रित समुदाय के वनों व उनके अधिकारों का पूरा विवरण के दस्तावेज़ों को भी दावों में संलग्न किया गया। इस दावे में ग्रामीणों ने सामुदायिक वनसंसाधन के तहत लगभग 250 एकड़ भूमि पर अपना दावा किया है। उक्त जंगल व भूमि आदिवासीयों के पूवर्जो की समय से जोत कोड़ की थी जिस पर लगभग 15 वर्ष पूर्व वनविभाग द्वारा आदिवासीयों को बेदखल कर दिया गया था। व वनविभाग ने उक्त ग्राम सभा के वनों व वनभूमि को बिना कानूनी प्रक्रिया को पूर्ण किए भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत धारा 20 के तहत आरक्षित वन घोषित कर दिया था। इस सम्बन्ध में वनभूमि का न ही सीमांकन किया गया और न ही इस सम्बन्ध में वन बन्दोबस्त अधिकारी की नियुक्ति अधिनियम के अनुसार की गई। आदिवासीयों को बेदखल कर जंगल की भूमि खासतौर पर ग्राम लीलासी के रोड के किनारे व म्योरपुर जाने के रास्ते पर गांव के दबंग व सर्वण जाति के लोगों रामवृक्ष पुत्र लक्ष्मी, प्रदीप पुत्र राजनारायण, रामसेवक यादव, आलम पुत्र देवनारायण, रविकांत पुत्र डा0 लखन, देवेन्द्र पुत्र राधेश्याम, किसान पुत्र राजनारायण, राजेन्द्र पुत्र लक्ष्मीशाह द्वारा वनविभाग और स्थानीय पुलिस की मिली भगत से भूमि रिर्काडों में हेरा फेरी कर कई मकान बना लिए गए हैं।

इस संदर्भ में उक्त घटना के बारे में ग्राम लीलासी का एक प्रतिनिधि मंड़ल जिसमें किस्मतिया गोंड़, सुखदेव गोड़ व नंदू गोड़ एवं ग्राम मझौली से यूनियन की कार्यकारीणी सदस्य सोकालो गोड़ एवं मेरे द्वारा 5 जून 2018 को वनसचिव श्री संजय सिंह को बापू भवन में व 6 जून को वनमंत्री श्री दारा सिंह चौहान से मिल कर इस उत्पीड़न के बारे में शिकायत की गई। वनमंत्री द्वारा प्रतिनिधि मंड़ल को आश्वासन दिया गया कि इस संदर्भ में जांच की जाएगी व आदिवासीयों का अहित नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि लखनऊ से त्रिवेणी एक्सप्रेस से सोनभद्र लौटते वक्त 8 जून को किस्मतीया, सुखदेव व सोकालो गोड़ को स्थानीय पुलिस द्वारा चोपन रेलवे स्टेशन से अवैध रूप से गायब कर दिया गया परिवारजनों को जिसकी तीन दिन बाद जानकारी हुई कि इन लोगों को जेल भेज दिया गया है। इन में से सोकालो एवं

किस्मतीया का नाम प्राथमिकी तक में दर्ज नहीं था तो आखिर उनको किस वजह से जेल भेज दिया गया? यह महिलाए महीनों तक जेल में रही। किस्मती के नाम के आगे जबरदस्ती मंजू लगा दिया गया चूंकि प्राथमिकी में एक और महिला मंजू का नाम है। किस्मती और मंजू दोनों के पति का नाम शंखलाल गोड़ है। गिरफतारी को साबित करने की वजह से किस्मती को पुलिस द्वारा मंजू बनाया गया, इस सम्बन्ध में हमारे द्वारा तमाम रिकार्ड न्यायालय में पेश किए गए जैसे जाब कार्ड, आधार कार्ड व पासबुक जहां पर कहीं भी किस्मतीया का नाम मंजू दर्ज नहीं है। आधार कार्ड में भी दोनों का फोटो अलग है इसके बावजूद ग्राम प्रधान लीलासी जिसके साथ आदिवासीयों का विवाद है उनके प्रमाण पत्र पर कि किस्मती ही मंजू है के आधार पर न्यायालय द्वारा किस्मतीया की जमानत खारिज कर दी गई। इन दोनों महिलाओं को बिना प्राथमिकी के गिरफ्तार करने के मामले में हमारे यूनियन द्वारा उच्च न्यायालय में हैबियस कारपस की याचिका न0 3332/2018 दायर की है।

आदिवासीयों के विशिष्ट अधिकारों एवं उनके ऐतिहासिक अन्याय जैसे गंभीर विषय को जो कि सदियों से चले आ रहे हैं उन्हें किसी उच्च अधिकारी द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज़ कर एक वनदरोगा और पुलिस के जांच अधिकारी के उपर छोड़ दिया गया है। उच्च न्यायालय में भी स्थानीय पुलिस द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को गुमराह किया गया है जहां 9 जुलाई की तारीख में सरकारी वकील द्वारा मौखिक रूप से झूठ बोला गया कि दोनों महिलाओं का 151 में चालान कर रिहा कर दिया गया है। इसकी कोई हलफनामा भी नहीं दिया गया। फिर 14 अगस्त की सुनवाई में सरकारी हलफनामें में जांच अधिकारी द्वारा यह स्वीकारा गया कि इन महिलाओं पर कभी भी 151 का चालान नहीं हुआ था और न ही इनके नाम प्राथमिकी में दर्ज हैं। लेकिन बाद में जांच के दौरान व चार्ज शीट में इन महिलाओं के नाम दर्ज किए गए जो कि पुलिस के लिए आवश्यक है ताकि गिरफ्तारी की वजह बताई जा सके। गौरतलब बात यह है कि इस प्राथमिकी में यूनियन के महासचिव अशोक चौधरी व उपमहासचिव रोमा को नामजद किया गया है जो कि उक्त घटना के समय जनपद में थे ही नहीं व इस घटना से इनका कोई लेना देना नहीं है।

इन दोनों महिलाओं को छुड़वाने के लिए संगठन को बहुत मेहनत करनी पड़ी यहां हमारे इलाहाबाद के वकील साहब फरमान नक़वी बैठे है जिन्होनें इस मामले में हैबियस कार्पेस याचिका दायर की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हैबिस कार्पेस एडिमिट होना भी बहुत बड़ी बात है वो बार–बार इस बात को अफसोस करते थे कि इस हाईकोर्ट में इस तरह के मामलों को नजर अंदाज किया जाता है। जो न्याय हमको 24 घंटे के अंदर मिलना था कोर्ट द्वारा उस मामले की सुनवाई में ही तीन महीने लगा दिए। हमको न्याय तो नहीं मिला कोर्ट द्वारा तीन महीने के आखिर में यह कह दिया गया कि आप नीचली अदालत से बेल लेकर आइए। जो आज की परिस्थियां है उसमें यहां पर बैठे जो अधिवक्ता हैं उन्होंने लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बात को बहुत अच्छा मानती हूं कि हम लोागें ने लड़ा तो किस्मती और सुखदेव तो दो महीना में ही छूट गये थे। बेल लेने में हमें मुश्किल नहीं हुई लेकिन जो उसकी प्रक्रिया थी उसमें मुश्किल हुई और ये बहुत बड़ी बात है कि बेल मिल गयी नही ंतो अगर हमारा संगठन न होता तो सोनभद्र जैसी जगह में आदिवासी महिलाओं का या तो एनकाउंटर हो गया होता या रेप हो चुका होता। ये बहुत बड़ी बात है सुकालो जी का पांच महीने में छुड़ा पाए क्योंकि सुकालो जी का बेल हमने हैबिस कार्पेस के डीसीजन के बाद ड़ाला तभी देरी हुई। देखा जाए तो वहां जेलों के अंदर जिस तरह के मुकदमें सोनभद्र की पुलिस करती है छोटे छोटे मामलों में भी गरीब लोग सालों साल जेलों में पड़े सड़ है उनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है।

वनाधिकार कानून के उसके लागू करने का उसको लागू करने की जबरदस्त लड़ाई है वनविभाग के साथ जो उपनिवेशिक डिपार्टमेंट है, पूरे पूंजीपति वर्ग और सामन्तवादियों के साथ लड़ाई है। हमारे साथ जो वकील भी काम कर रहे हैं वे भी खतरे में है जैसे हमारे जो सोनभद्र के वकील जो इस महौल में काम कर रहें हैं हम जैसे लोगों को केस लड़ने के लिए उन्हें भी धमकी दी जाती है जहां पर कोर्ट में जज बोलते हैं कि तुमको माओवादी बनाकर जेल में ठूंस दिया जायगा । और इस माहौल में सिर्फ अकेले काम करने से नहीं होगा तमाम जगह के जो उत्पीड़न के मामले हैं।

जिला सोनभद्र– सुकालो

मेरा नाम सुकालो गौड है। मेरा गांव – मझौली, तहसील व थाना – दुद्धी, जिला सोनभद्र है। मैं अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन की सदस्य हूँ। 2015 में कनहर के अंदोलन में हम लोग जेल गये थे वहीं गोली चल रहा था गोली और 2018 में अभी गये थे उस बार तो जल्दी छूट गये थे उस समय डेढ़ महीना पूरे होते होते निकल गये थे। वन अधिकार के तहत जितना कागज हमको लगाना था तीन पीढ़ी का वो मांग रहे थे हम लोग दस पीढ़ी का कागज लगाए हैं कि खोल के उसको चाहे डीएम चाहे एसडीएम देखे तो तो उनको समझ आ जाए कि कहां से ये लोग कागज लगाए हैं। वहीं कागज लगाते और उसमें हमने पूरा लिस्ट दिये हैं वो भी चेक किए हुए होंगे वही का गुस्सा था जो हमको 2018 में हमको गिरफ्तार किए। लिलासी में लोगों ने वन अधिकार कानून के तहत सामुदायिक दावा किया था सिर्फ लीलासी ही नहीं बल्कि 16 गांव ने भी सामुदायिक अधिकार के तहत दावा किया था दावा करने से वनविभाग व स्थानीय दबंगों के साथ मिल कर हम लोगों के खिलाफ साजिश रची व लीलासी गांव में महिलाओं पर वनदरोगा द्वारा पेड़ काटने का झूटा आरोप लगा कर फर्जी मुकदमें किए व पुलिस द्वारा गांव पर हमला करवाया। जून में हम लोग वन मंत्री दारा सिंह चौहान के आवास पर उनसे मिलने के लिए गए थे। जब लखनऊ से वापस चोपन पहुंचे तो दो पुलिस वाले जिनमें एक महिला और एक पुरुष थे जो कि सादे ड्रेस में थे। पीछे से आ रहे थे। मेरे पास एक बैग और एक मोबाइल था। मेरा मोबाइल पीछे से उन लोगों ने खींच लिया जब मैंने पलट कर देखा तो तो उन्होंने कहा कि हम पुलिस वाले हैं चलो आपको एसपी साहब ने बुलाया है। तो हमने कहा कि अभी लखनऊ से आ रहे हैं पहले घर जाएंगे उसके बाद में लौट कर आपके पास आएंगे लेकिन वह लोग नहीं माने और कहा कि चलना ही पड़ेगा फिर इसके बाद हम चोपन थाना पहुंचे। आधा घंटा तक चोपन थाना में बैठाने के बाद में जब एडिशनल एसपी आए तो हमको बातचीत करने के लिए बुलाया और उन्होंने कहा कि आप लोग पेड़ कटवा रहे हैं और जमीन कब्जा करा रहे हैं इससे आप लोगों को क्या फायदा मिल रहा है तो मैंने कहा कि पेड़ों को हम लोग एक देवता के समान समझते हैं हम लोग पेड़ नहीं कटवाते हैं बल्कि अपने कब्जे की जमीन पर जो कि हमारी पुश्तैनी है और उसकी खतौनी भी है उस पर हम अपना वन अधिकार कानून के तहत सामूहिक और व्यक्तिगत दावा करते हैं। आप हमें झूठा आरोप लगाकर के गिरफ्तार करना चाहते हैं और फर्जी मुकदमे में डाल रहे हैं यह संविधान और

कानून का सरासर उल्लंघन है। हम इसको नहीं मानते हैं। उसने कहा कि आप लोगों ने 500 पेड़ कटवाए हैं तो हमने कहा कि आप इसकी सीबीआई जांच करवा लीजिए और वन विभाग के कहने में आप लोग आते हैं और वन विभाग ने झूठा आरोप लगाया है। इसके बाद वो चुप हो गया।

मैने कहा कि हिन्डाल्को अस्पताल में मेरे लड़के की खून न चढ़ाने की वजह से मौत हो गई उस पर तो कोई कार्यवाही नहीं की, इसके बाद पुलिस चुप रही और कुछ नहीं बोला। 2013 से उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद वह लोग हमें सरकारी हॉस्पिटल ले गए और मेडिकल परीक्षण कराया। फिर कोर्ट में ले जाकर के पेश किया फिर वहां से मिर्जापुर के लिए चालान कर दिया। जेल के बाहर गेट पर हम लोगों का फोटोग्राफ्स लिया गया। हम दो महिलाएं किस्मती और हमारा फोटोग्राफ्स लिया गया और उसके बाद अंदर ले गए। जेल के अंदर हम लोगों से का काम न करने की एवज में पैसा मांगा गया लेकिन हम लोगों ने नहीं दिया। हम लोगों ने कहा कि हम आंदोलनकारी हैं कोई अपराधी नहीं। तीन–चार दिन बाद लोग मिलने आए। जेल पुलिस वालों ने हम से मुलाकात के नाम पर पैसा मांगा लेकिन हमने पैसा देने से इनकार कर दिया और कहा कि यह किसी कानून में नहीं है। जेल के अंदर हमें बहुत सारे निर्दोष मिले जो कई वर्षों से जेल के अंदर सड़ रहे थे। हम केवल पानी पीकर रहते थे। जेल का खाना भी हमने नहीं खाया। हमारी तबीयत खराब होती जा रही थी। बाहर संगठन के प्रभाव से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हमारे मुद्दे को उठाया और जेल में जेलर के पास फोन किया। डॉक्टर ने मुझे बताया। डाक्टर ने बताया कि कोई भी आवश्यकता हो तो मुझे बताइए। उसके बाद उसके इलाज से मेरी तबीयत ठीक हुई। जब संगठन के लोग हमसे मिलने आए तो उसके बाद डिप्टी जेलर ने हमसे पूछा कि यह लोग कौन हैं क्यों आपसे मिलने आए हैं? हमने कहा कि यह हमारे साथी हैं जो दिल्ली से मिलने के लिए आए हैं। काफी लोग आपस में बात कर रहे थे। जेल में हम लोग से संगठन के सदस्य मिले। बातचीत किए थे हम वहां पूरा इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। यहां वहां सब लोग बताया करते थे कि बहुत से निर्दोष लोगों को बंद किए हैं। उनके घर में अभी ताला लगा है उन लोग का कोई नहीं है घर में देखने वाले वही स्थिति है तो हमने कहा ठीक है हम बाहर जा रहे हैं तो जरूर मदद करेंगे। सबको जानकारी देंगे। बताएंगे। पांच महीने तक जेल में रहे 1 नवम्बर 2018 को बाहर आए। वन विभाग वन अधिकार कानून को लागू करने वालों के साथ इसी तरह का अन्याय कर रहा है डरवाने धमकाने से डर नहीं, जेल जाने से कोई मुझे डर शंका नहीं है। हम छोड़ेंगे नहीं। यह लड़ाई को अपना लेकर ही रहेंगे। हर हाल में जीत हासिल करेंगे हम।

जब हम 2015 में गये तब भी हम जीत के निकले 2018 में गये तब भी हम जीत के निकले हैं अपना जीत हासिल कर लिए हैं हम दावा किये हैं जेल को हम घर की तरह मानते हैं जेल नहीं साथियों जो वन विभाग ने छीना था तो हम कब्जा नहीं किए हैं उसको दखल किये हैं हमारा वो मलिकाना हक है चाहे सरकार दे या न दे अब वो हमारे पास है इसका दावा किये हैं कोई अपराध नहीं किए सरकार जेल करवाता है जेल हमारा घर है अब देखते हैं कि सरकार कहां जगह घर बनाके रखा हुआ है कहां रखेंगे। तो सब भाई बहनों सब जगह के इकठ्ठा होके लड़ेंगे और लड़ रहे हैं जीते भी हैं और आज भी जीतेंगे। हम जीत के निकले हैं सरकार झूंठा है हमारा बराबर करना हो अब सामने आके बात करे हमसे मिले ये हम तय करते हैं सरकार के साथ कि जो हमारे ऊपर उत्पीड़न करते हैं ये उत्पीड़न अब सहन नहीं है सहेंगे नहीं हमारा जितना केश मुकदमा है जितना जूरी मेंम्बर हैं इनका हमारा प्रयास है कि केश जो हमपे लगा है अब निपटाकर वन विभाग पे लगाना है प्रसाशन पे लगाना है जो कानून संविधान के खिलाफ कर रहे हैं इसके ऊपर अब उल्टा होना चाहिए जो हमारे पे लगा रहे हैं हमारा जो हक है उसमें और जो गैर कनूनी कर रहे हैं उनके राज करने वाला जो बना पलट रहे हैं थोड़ा समय है अब 2019 आयेगा ये 2019

में पता चलेगा की लोग कहां पहुंचेगे ये तय करके यहां से और हिम्मत और ताकत से हम लोग जाएंगे चाहे वन विभाग हो चाहे सरकार हो सरकार भी हम ही लोग बनाते हैं कि अपने आप जन्म ले लिया बनाया है तो उतारना भी जानते हैं। सभी लोग नारा लगाये भारती दीदी अमर रहे भारती दीदी के सपना को अमर करेंगे और महिलाओं की अगुवाई को जीत के रहेंगे धन्यवाद।

नोट : जब सोकालो गोंड अपना सामान थाना म्योरपुर से 8 महीने बाद लेने गई तो एस0ओ म्योरपुर श्री मिश्रा ने उनका आधारकार्ड और यूनियन की सदस्यता का कार्ड नहीं दिया कहा कि ये कार्ड उनकी फाईल में लगा है। और कहा कि नया आधार कार्ड बना लें।

फुलरी देवी ग्राम बभुआरी –जिला सोनभद्र

सभी साथियों को हम सुक्रिया करते हैं हमारे ऊपर वन विभाग ने तरह तरह से उत्पीड़न किया 2004 में हमारे बघुआरी के सोलह लोगों के ऊपर अपराधी बनाकर जेल ड़ाल दिया। जंगल के जमीन को जोतने के कारण हमारे सभी आदिवासी लोग जज और एसपी से लेकर उनसे मिलकर हमको छुड़ाया। आदिवासी महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न काफी है दलाल भी ओर सामंत लोग भी हमारे पीछे पड़ गये। 2009 में 4 अक्टूबर को हमको जेल में ड़ाल दिया अपराधी बनाकर हम नौ महीना जेल में रहे लेकिन जेल के अन्दर हम चोर बनके नहीं रहे गाना गाकर जेल काटा है ये जेल भी हमारा है जब जेल से आया मिर्जापुर में हमसे पूंछने लगा बाहर निकालकर हमसे कहा कि फुलरी देबी तुम लोग खाना अच्छा पाती है हम सियो को जवाब दिया साहब हमको मेवा जेल के अन्दर नहीं भेजे हो हमको अपराधी बना करके भेजे हो अपराध काट रहे हैं आप की नजर में हम अपराधी लगते हैं लेकिन हम जीतकर निकलेंगे जेल के अंदर चोर बनके और माफिया बनके नहीं रहेंगे। आप माफिया को ढूढ़ते नहीं हो माफिया छोटे आदमी गरीब आदमी को बनाते हो माफिया को छोड़ देते हो उनको नहीं खोजते हो गरीब आदमी को जेल ड़ालते हो मुकदमा ठोकते हो फर्जी सारे धंधा करके गरीब बनाते हा। हम लोग को लेकिन भगवान हम लोगों का सहायता करते हैं धरती ओर जमीन के लिए हम लड़ते हैं लड़ेंगे जीतेगें छोड़ेंगे नहीं खुद ही वन विभाग चोर है खनन वो करवाता है पेड़ वो बेंचता है सारे जंगल को वो खत्म करवाता है हम लोग जंगल को पालते पोसते हैं और हम लोग को झूठा अपराधी बनाकर जेल में ड़ालता है। सरकार भी अपराधी गुंड़ागिरी किसको बनाते हैं एक कमजोर आदमी को गुड़ा बनाते हैं पुलिस प्रशासन भी चोर है खुद गुंड़ा बनते हैं ओर फिर भी वो चूहा बन जाते हैं कहावत है– असली चोर तो वन विभाग है और मैं अपनी बात को विराम करती हूं इंकलाब जिन्दाबाद।

जिला सोनभद्र व कैमूर क्षेत्र का संक्षिप्त इतिहास

जिला सोनभद्र कैमूर पर्वत श्रंखला में आने वाला उत्तर प्रदेश का एक जिला है। इस क्षेत्र में उ0प्र0 के अन्य दो जिलों चन्दौली एवं मिर्जापुर का भी हिस्सा आता है। इस के अलावा कैमूर क्षेत्र बिहार के भभुआ,

झारखंड का गढ़वा, छत्तिसगढ़ का सरगुजा व मध्य प्रदेश के सीधी जिले तक फैला हुआ है। आज़ादी के समय यह पूरा क्षेत्र घनघोर वनों से आच्छादित था व यहां पर पूर्ण रूप से आदिवासियों का निवास था। इस क्षेत्र में अंग्रेजों का आगमन भी देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले में काफी देर में हुआ। यहां पर अंग्रेज 1900 के बाद आये व घनघोर वनों को देख यहां पर भी वनों के दोहन की रणनीति बनाई जैसे उन्होंने देश के अन्य हिस्सों में बनाया था। इस पूरे वन क्षेत्र का नक्शा व पेमाईस अंग्रजों द्वारा नहीं की गई वनों पर नियंत्रण करने के लिए इस क्षेत्र में वन विभाग के तहत विभिन्न कर्मचारियों को तैनात किया गया। तथा वनों को अलग–अलग श्रेणी में रखा गया। दो श्रेणी रखात व कटात जंगलों के बांटा गया तथा वनों का दोहन शुरू किया गया। इस क्षेत्र का सही प्रकार से सर्वे न होने के कारण यहां के 533 गांवो को वन क्षेत्र ही घोषित किया गया। 1947 से पहले उ0प्र0 में प्राईवेट फारेस्ट कानून लागू था जिसके तहत वनों को रिजर्व फारेस्ट में घोषित किया गया 1957 के बाद वन विभाग द्वारा गजट नोटिफिकेशन कर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के तहत सभी गांवों की ग्रामसभा की भूमि को बिना कानूनी प्रक्रिया को पूरे किये वनभूमि घोषित कर दिया गया। वन विभाग द्वारा 1927 कानून के तहत व बाद में जमींदारी विनाश कानून के तहत हजारों हजारों एकड़ गांव सभा की भूमि को वनभूमि में दर्ज कर लिया गया। जबकि आजादी के बाद किसी भी राजस्व कानून में वनविभाग को इतने बड़े पैमाने पर भूमि स्तांतरण करने के कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं था।बल्कि आजादी के बाद केवल उ0प्र0 में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जिस प्रकार से वन विभाग को ग्रामसभा के व ग्रामसभा के अंर्तगत जमींदारों के वनों को स्थांन्तरण किया गया व संविधान के भी खिलाफ था।हमारा संविधान खासतौर पर जमींदारी प्रथा को समाप्त कर भूमि जोतने वाले के अधीन करने की बात करता है। लेकिन ठीक संवैधानिक प्रावधान के उल्टे देश की आजादी की दहलीज पर ही अंग्रेजों द्वारा बनाये गयी लूट के विभाग वन विभाग को देश का सबसे बड़ा जमींदार बन दिया गया। और सन 1970 आते आते वन विभाग के पास देश का 23 प्रतिश्त वन भूमि का मालिक बन बैठा। जो कि देश के कुल भू भाग का साढ़े 7 करोड़ हैक्टेयर भूमि है। अंग्रेजों द्वारा वन विभाग को वनों का दोहन के लिए स्थापित किया गया था न कि वनों के संरक्षण के लिए जिसका प्रमाण भारतीय वन अधिनियम 1927 की पहले पन्ने में मिलता है जहां यह लिखा है कि यह कानून वनों से राजस्व अर्जित करने के लिए बनाया जा रहा है।

कैमूर क्षेत्र के जिला सोनभद्र (जो पहले मिर्जापुर का हिस्सा था) इस पूरे क्षेत्र में वनविभाग द्वारा ग्राम सभा के वनों व वनभूमि को वन विभाग द्वारा संरक्षण एवं व्यवस्थापन के नाम से अवैध कब्जे में लेकर अतिकृमित किया गया। इस पूरी प्रकिया में भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत जो प्रक्रिया धारा 4 से धारा 20 की जानी जाती चाहिए थी वह नहीं किया गया । न ही फारेस्ट सेंटलमेंट अफसर की नियुक्त किया गया और न ही वनों का सीमांकन किया गया। न ही कोई पैमाइश की गई। भूमि को और वनों को अधिगृहित कर सीधा आरक्षित वन धारा 20 के तहत घोषित कर दिया गया। वनविभाग द्वारा मिर्जापुर के वर्किंग प्लान के आजादी के समय व बाद में स्वयं यह आंकड़ा दिया हुआ है कि जनपद मिर्जापुर में 8 लाख एकड़ भूमि को वनभूमि में शामिल किया गया है। यह आकड़ा वास्तव में ज्यादा ही होगा क्योंकि बड़े पैमाने पर सोनभद्र के वनों को वनभूमि के तहत अधिग्रहित कर इस क्षेत्र के 533 गांवों के असितत्व को ही मिटा दिया गया। व उनको भी वनक्षेत्र घोषित कर दिया गया। इस तरह से रातों रात सोनभद्र के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र व वनाश्रित समुदाय आजादी के बाद वन विभाग के गुलाम हो गये व उनकी भूमि विवादित हो गई। उनके घर, कुआं, पेड़, चारागाह आदि सब का मालिक वनविभाग बन बैठा। मिर्जापुर, सोनभद्र व चन्दौली के तमाम वनक्षेत्र देश के सबसे विवादित भूमि क्षेत्र गिने जाने लगे। यह विवाद एक

टकराव था जो जनता और सरकार के बीच पैदा हो गया। इसको सुलझाने के बारे में किसी भी प्रकार की राजनैतिक पहल नहीं की गई बल्कि इसकी आड़ में आजादी के बाद बड़े–बड़े पूंजीपतियों बिड़ला जैसे उद्योगपतियों को इस क्षेत्र की वनभूमि औने पौने गांवो में बेची गई जिस पर गर्वनर की मोहर लगी हुई है। लेकिन यहां के गांवों को उनके वनाधिकार व वनभूमि वापिस दिलवाने में राज्य सरकारों द्वारा राजनैतिक पहल नहीं की गई।

इस क्षेत्र के भूमि विवादों का चर्चा कई सरकारी रिपोर्ट में दर्ज की गई जैसे 1972 में राजस्व बोर्ड द्वारा गठित मंगलदेव विशारद रिपोर्ट, 1982 में राजस्व परिषद् द्वारा गठित महेश्वर प्रसाद कमेटी रिपोर्ट। उसके बाद भारत सरकार की अनुसूचित जाति एवं जनजाति की 29 रिपोर्ट में सोनभद्र के भूमि विवादों का विवरण देते हुए इन विावदों को सुलझाने की सिफारिशे की गई थी। इस आयोग के अध्यक्ष उस समय श्री बी0डी0 शर्मा थे। यह विवाद और भी उलझते चले गये 1982 में महेश्वर प्रसाद रिपोर्ट आयी और उसी के एक साल बाद गोविन्दपुर स्थित वनवासी सेवा आश्रम द्वारा सुप्रिम कोर्ट में सोनभद्र के भूमि विवादों को लेकर एक रिट दायर की गई जिसमें भा0 वन0 अधि0 1927 के तहत धारा 4 में दर्ज भूमि को वनभूमि की श्रेणी से बाहर किये जाने व आदिवासियों को उनकी भूमि वापिस दिये जाने की याचिका थी। इस रिट के तहत '' कैमूर सर्वे सेटेंलमेंट एजेसी'' का गठन किया गया। लेकिन यह एजेंसी भी यहां के आदिवासीयें की भूमि के लूट की संस्था साबित हुई। इस एजेंसी द्वारा जमींनों के प्रकार में काफी हेरा फेरी की गई व भूमि असली स्वामी के पास न जा कर बड़े पैमाने पर बाहरी लोगों के पास चली गई। इन भूमि विवादों को लेकर इस क्षेत्र में कई आंदोलन भी हुए व यह टकराव की स्थिति बनी रही। सांमती ताकतों एवं पूंजीपतियों की जकड़न ने यहां के भूमि विवादों को और भी जटिल बना दिया जिसका खामियाजा यहां के आदिवासीयों को भुगतना पड़ा। जहां उन्हें उनकें आर्थिक अधिकारों ही नहीं बल्कि राजनैतिक अधिकारों से भी वंचित रखा गया। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी इस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया व चुनाव लड़ने के अधिकार से भी वंचित किया गया चूंकि यहां के 16 जनजातिय व उपजनजातिय समूह को अनुसूचित जनजाति का भी दर्जा प्राप्त नहीं था। इसलिए चुनावी प्रक्रिया में इन विशेष समुदाय को सामान्य की श्रेणी में रखकर ही इनके राजनैतिक अधिकारों का संवैधानिक हनन किया गया। अभी कुछ ही वर्ष पूर्व यहां के जनजातिय समूह को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ है और दो वर्ष पूर्व ही उन्हें चुनाव लड़ने का भी अधिकार प्राप्त हुआ है। अब वनाधिकार कानून के तहत यहां के वनाश्रित समुदाय को उनके असली मालिकाना वन एवं वनभूमि के अधिकार मिलने बाकि है। जिसमे एक बड़ा टकराव यहां के सांमती, पूंजीपति लूटेरों से है।

कन्हाई राम जी – जिला गोरखपुर

आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं साथियों आज बड़े दुख की बात है कि आदिवासी वनवासी वनग्राम समुदाय जंगल में रहने वाले लोग अपना खून और पसीना बहाकर के जंगल को सुरक्षित रखते हैंउआज

उन पर जुल्म ढ़ाया जा रहा है। जब 1980 में एक वन कानून बना कोई एग्रीमेंट भराया गया था उस एग्रीमेंट में लिखा था जंगल के आने वाले वनवासी आदिवासी जिन्होंने जंगल लगाने का काम किया है उनसे एग्रीमेंट भरवा लिया कि पांच साल के बाद उनका अधिकार समाप्त हो जाएगा और जो यहां वनसंपदा वो सब वन विभाग का है। उस एग्रीमेंट में 13 पोंइंट थे पहला पोंइंट वनविभाग के पक्ष में था, वनवासियों के पक्ष में कोई पोंइंट नहीं था। अंत में फिर एक पोंइंट जोड़ा गया कि वननिवासी को जंगल से जाते हुए इनको पांच हजार जुर्माना देना पड़ेगा। साथियों मैं डिगरी कॉलेज में पढ़ रहा था हमने जब वो एग्रीमेंट पढ़ा और उस एग्रीमेंट को भरने से इंकार कर दिया। उस एग्रीमेंट से अन्य जिलों महाराजगंज जिले में वन विभाग ने लोगों को बेदखल कर दिया दिया था। लेकिन हम लोग जिस जमीन पर कबिज थे हमने कहा कि हम एग्रीमेंट नहीं भरेंगे हम लोग जहां हैं वहां रहेंगे। इस जमीन को हमें वन विभाग नहीं दिया अंग्रेजों के जमाने से बाप दादों के बसाने का काम अंग्रेज ने ही दिया है। वास्तव में अंग्रेज के जमाने में हम लोगों को उस समय कुछ सुविधा भी मिलता था और खेती करने का उपकरण भी मिलता था, लेकिन साथियों जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ अजादी के बाद हमारा उत्पीड़न और बढ़ गया। हमारे ऊपर वन विभाग अधिक से अधिक शासन करने लगा अन्त में यह चाहा कि ऐसा कानून बनाया जाए कि इनसे जमीन खाली करा दिया जाए इन्हें बेदखल कर दिया जाए। साथियों जब हम लोगों पर वनविभाग प्रस्ताव लाया तो जगह जगह गांव–गांव जाकर झोपड़ियां उजाड़ना शुरू कर दिया। वन विभाग के लोग विरोध करने पर हम लोगों को पकड़–पकड़ कर महराजगंज गोरखपुर जिले में 20–22 दिनों तक जेल में रखा गया। साथियों हमने संघर्ष को आगे बढ़ाया हमारे पास रामदास जी अन्य लोग हमारे साथ जुटे हम लोग एक समीकारण बनाकर महाराजगंज और गोरखपुर जिले के टौंगिया वनग्रामों को ले करके लड़ाई आगे बढ़ाया। इस लड़ाई के घटनाक्रम में 6 जुलाई 1985 में तिकोनिया वन ग्राम ग्राम सभा बन गया है वहां भी गोली कांड हुआ कितने लोग मौत के घाट उतर गये पाचास लोग बुरी तरह से घायल हुए। साथियों हमारे गांव के ऊपर दो तीन बार आतंक हमला हुआ हमारा और वन विभाग पर मुकदमा हुआ और लेकिन साथियों सारे मुकदमें हमने लड़–लड़ कर समाप्त कर दिये। जब हम लोग वन विभाग से परेशान होने लगे जाकरके हमने दिवानी मुकदमा को राज्यसभा में पेश करके वहां हाईकोर्ट में स्थापना दे दिया माननीय कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक इनको रहने की व्यवस्था नहीं है तब तक इनको बेदखल नहीं कर सकते। साथियों आज की स्थिति वहां की ये है पांच वनग्राम जो गोरखपुर में पड़ता है वह अब राजस्व ग्राम हो गया है चकबंदी का प्रक्रिया शुरू है और 18 वनग्राम राजस्व हो गये हैं महाराजगंज के उसमें भी सबको सारी सुविधा मिल रहा है बिजली, सड़क, अवास, पेंशन आदि सुविधाएं उन्हे प्राप्त हैं।

मुस्तुफा चोपड़ा –जिला सहारनपुर

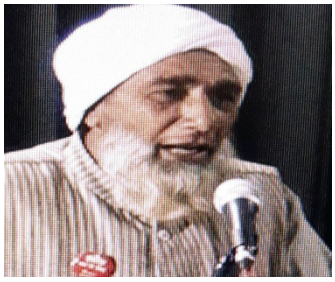

मेरा नाम मुस्तुफा चोपड़ा है मैं उत्तराखंड़ देहरादून राजाजी राष्ट्रीय पार्क का रहने वाला हूं। वैसे तो जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से ही संघर्ष कर रहा हुं। परन्तु हमारे यहां राष्ट्रीय पार्क बनने से तरह–तरह की परेशानी हो रही है। फॉरेस्ट वाले इतना अत्याचार कर रहे हैं ये हलात हैं कि पुलिस स्टाफ भी उनसे मिल

कर तरह–तरह के उत्पीड़न करते हैं और हम पर झूठे मुकदमें किये जा रहे हैं। ये तो हमें सहना पड़ेगा हिम्मत करनी पड़ेगी यदि हम हिम्मत नहीं करेंगे तो हम अपना मुस्तकब्बिल नहीं पाएंगे। मेरे साथियों हमें हिम्मत से काम लेना है रही बात निकालने वाली राष्ट्रीय पार्क के वनविभाग ने वनगुजरों को जबरदस्ती निकाल दिया है। उन्हें गांव में देहातों में भगा दिया है वे खेतों में नदीयों में या नालों में पड़े हैं।

मुझे वनवभिाग ने 12–12–2018 को नोटिस दिया, तीन–तीन रेंजो के फॉरेस्ट वालों ने तरह – तरह के केस किए और कहा कि डेरा तीन दिन के अंदर खाली कर दें वरना पी0ए0सी लगाके जंगल से बाहर किया जाएगा। वो हम लोगों से क्यों चिढ़ते हैं क्योंकि चाहे वह टोंगिया वाले हो या वनगूजर हो हम लोगों से उनकी माल देना बंद कर दिया है। क्योंकि आप जानते हैं कि गूजर का काम गाय और भैंस पालना दूध का काम करना और दूध से अपनी रोजी रोटी चलाना होता है। वनविभाग के कर्मचारीयों को दूध, घी, मक्कखन हर डेरे से जाता था। वन विभाग जंगल में पेड़ कटवाते हैं और खुद आग लगवाते हैं और कहते हैं कि आग लग गई ताकि उसके ठूंठ काले पड़ जाएं। मैं जूरी के साथियों से कह रहा हूं यदि आप को विश्वास न हो तो मेरे साथ चलिए, मैं पूरे जंगल का दौरा कराऊंगा शिवालिक से लेकर हिमालय कि क्या उनकी काली करतूते हैं। फॉरेस्ट वाले शिकारियों को अंदर घुसाते हैं, फॉरेस्ट वाले गूजर को बाहर निकाल रहे हैं टौंगिया को उजाड़ रहे हैं खुद शिकारियों कें अड्डे जंगल के अंदर पड़े हैं। अगर उनसे बताएं तो कहते हैं कि कौन चाह रहा हैं कि फॉरेस्ट वहां रहे ये हाल है हमारे हिन्दुस्तान की सरकार का अगर किसी अधिकारी से कहते हैं पत्र लेते हैं तो उसका कोई जवाब नहीं देतें वाइल्ड चीफ से मैने कहा लेकिन कोई सुनाई नहीं ये हाल इन चोरों के हैं। रही वनवासियों की बात मैं गूजर समुदाय से हूं, वन का रहने वाला हूं कोई शहरी नहीं हूं, गूजर जो है शाखों को तराशते है, अपने पालतू जनवर के लिए पेड़ नहीं काटता, उन पत्तियों को जंगली जानवर भी और हमारे पालतू जानवर भी चुगते है और खाते हैं। शाख तराशने से नई–नई कोमल पत्तियां आती हैं। गूजर अपने जानवर के लिए पानी की बावली बनाता है उसी पानी को जंगली जानवर भी पीते हैं। आज जंगल में जाकर देख लीजिए कि कहां पानी है पानी के नाम से पैसा ले रहे हैं लेकिन जाके देखिए कहीं पानी खुदा हुआ नहीं है। जहां पे गूजर नहीं हैं वहां पानी नहीं है। हमें तरह –तरह से परेशान कर रखा है यानी फॉरेस्ट वालों की इतनी निकम्मी हरकत है की खुदा खैर करे। मेरा खास जूरी वाले साथियों से गुज़ारिश है ं कि हम गरीब लोगों की समस्याओं में ध्यान दें।

चाणूराम – कालू वाला वन टौंगिया – जिला सहारनपुर

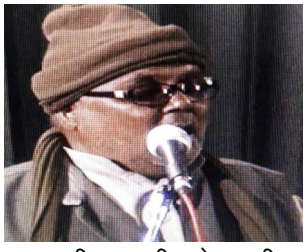

आदरणीय जूरी के सभी सदस्यगण हमारी जहां तक राय है वन विभाग की जितनी भी कार्यगुजारी है वो शायद हम गिनवा भी नहीं सकते की कितनी गैरकानूनी कार्यगुजारी हैं। हमारे क्षेत्र में भी टांगिया गांव हैं एक भगवतपुर है, सोढ़ीनगर, भाटियानगर और कालूवाला। कालूपुर टांगिया, भगवतपुर और सोढ़ीनगर को अभी राजस्व ग्राम का दर्जा दिया गया हैं। लेकिन ऐसे कई परिवार जो अंग्रेज़ों के ज़माने से बसाए गए थे उन्हें वनविभाग की चालबाज़ी से बेदख़ल किया जा रहा है। उनके पुरखे बुजुर्ग जिन्होनें टांगिया पद्धति को आबाद करने के लिये काम किया था उसेके लिए उन्हें रिहायती जमीने उस समय दी गयी थी। जो लोग

टांगिया पद्धति में काम कर रहे थे उन्हीं को परिवार माना गया था। लेकिन अभी जब अधिकार देने की बात आई तो वनविभाग द्वारा दस बारह परिवार कम कर दिए गये। जैसे दो भाई थे नन्दराम और नंदू कालूवाला टंगिया के निवासी हैं। नंदू के पास कोई औलाद नहीं थी, जब राजस्व ग्राम बना तो नंदू की विरासत उसके भतीजे को जाना चाहिए था लेकिन उसका नाम कटवा दिया की उसको कुछ नहीं मिलेगा। किसी को राजस्व ग्राम दे दिया किसी को मना कर दिया ऐसे ही दस बारह परिवारों को जिन्होनें टांगीयां पद्धति में काम किया उन्हीं को बाहर करने की बात कही जा रही है। ऐसा ही एक और वनग्राम है भाटिया नगर जिसे वनविभाग कह रहा है कि भाटिया नगर आबाद ही नहीं था । और कमाल इस बात का है कि वनविभाग की कार्य योजना में भाटिया नगर वनग्राम को बसाए जाने के प्रमाण मिलते है लेकिन इस बात को कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। क्योंकि वन विभाग कभी नहीं चाहता कि हम वनों के अंदर स्थानीय जनता हिस्सेदारी करें क्योंकि हमारे वनों के अंदर रहने से वनविभाग की कमाई नहीं हो सकती है जैस शिकार करवाना, पेड़ कटवाना आदि ये उनकी सारी आजादी छिन जायगी वो खुला खेल खेलते हैं। अभी आदिवासी जंगलों में हैं, हमारे वन क्षेत्र के गांव हैं, तभी इनकी गैरकानूनी काम सामने आते हैं तब इनकी पोल खुलने लगती है, इसलिए वनविभाग का स्थानीय लोग से सीधा टकराव है और ये झूठ बोलते ही लोग यहां रहते ही नहीं हैं। इसी तरीके से हमारे कालूवाला टांगिया में योजना के तहत मकान और लैट्रिंग बना दी गई लेकिन वनविभाग अब काना–फूसी कर लोगों को भ्रमित कर रहा है कि तुम चलो तुमको अच्छी जगह देंगे, रोड़ में बसा देंगे राजधानी रोड़ पे चले जाओ । हमारा मानना ये है कि जहां भी लोग पड़े हैं जंगलों के अंदर वहीं पर उनको स्थापित किया जाए। वन अधिकार अधिनियम 2006 आया है इसे वनविभाग मानने के लिए तैयार नहीं। इस रणनीति पर बात की जाए कि देश और प्रदेश के अंदर वनाधिकार कानून अधिनियम इनको कैसे समझाना है। दूसरा हमारे जंगल में वनगूजर हैं हमारे सहारनपुर में शिवालिक जंगल में 13 खोले लगती हैं और 13 खोलों में कम से कम मेरा अनुमान है कि चार–पांच हजार परिवार बसे हुए हैं उन लोगों की अपनी कोई ग्राम सभा नहीं है वो लोग साथ के सटे गांवों की पंचायतों में वोट ड़ालते हैं, विधान सभा, एम0पी के लिए सब जगह वोट ड़ालते हैं, लेकिन मजे की बात है आज भी उन्हें राजस्व विभाग आय अधिकार की प्रमाण पत्र देने के लिए तैयार नहीं है। जबकि वो पंचायतों को वोट ड़ालते हैं प्रधानों ने लिख–लिखकर दिया कि ये हमारे वोटर हैं तब पर भी उन्हें ये प्रमाण पत्र नहीं मिलता। । इसलिए आज मौका है कि 2006 वनाधिकार अधिनियम के तहत उन लोगों में यह काम किया जाए जो जो जंगलों के अंदर वन गूजरों के ड़ेरे पड़े हैं हमारा मानना है कि उन्हें वहीं का वहीं स्थापित किया जाए और जहां टांगिया है वहीं उन्हें राजस्व दर्जा दिया जाए। जहां टांगिया पद्धति के तहत काश्तकार थे उनके आज किसी के चार लड़के हैं, किसी के तीन हैं किसी के नहीं हैं उनको कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका भी अधिकार है उन्हें कानून के तहत बसाया जाए। पिछले साल 2018 को चार मार्च को वनों के अंदर आर्मी चली गई अभ्यास करने के लिए और वहां पर गोला चलाया तो वनगुजर परिवार की एक महिला को गोला लग गया और उसकी मौत हो गई। वन विभाग ने उसकी तरफ जाकर देखा तक नहीं है सिर्फ आर्मी वालों ने उनकी मदद किया। न प्रसाशन की तरफ से कोई मदद हुई न वन विभाग की तरफ से तो पूरे काले कारनामें में लगा हुआ है। यहां तक कि वनविभाग ने आर्मी को गोलाबारी पर अनापत्ति प्रमाण देते हुए यह लिख कर दिया कि जंगल में अंदर कोई भी नहीं रहता। इस बात आर्मी के आला अफसर ने स्वीकारा कि वनविभाग ने उन्हें झूठ बोला है। इसके बाद वनविभाग एवं प्रशासन द्वारा वनगुजर परिवारों को जंगल से बेदखल किए जाने का दबाव बनाया जा रहा है। जबकि उन्हें वनाधिकार कानून के बारे में वनगुजर परिवारों को जागरूक करना चाहिए लेकिन सरकार और प्रशासन वनविभाग के कहने पर चल रहे हैं व संसद के इस कानून को पूरी तरह से अनदेखी कर रहे हैं।

जिला लखीमपुर खीरी

नबादा राणा – वनविभाग द्वारा महिलाओं के साथ अभद्रता

जब हम बनगवां गए तो महिलाओं को बुलाया, लेकिन महिलाएं डर रही थी और नहीं आ रही थी तो हम उनसे बोले कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं जो तुम्हारे साथ घटना हुई है उसे तुम बताओ।कुछ महिलाएं आई और महिलाओं ने कहा कि जग्गू को आने दो तब बताएंगे। कुछ देर बाद जग्गू खाना खा कर के आया बताया। हमने महिलाओं से पूछा लेकिन महिला बहुत डर रही थी उन्होंने कहा कि अगर हम बोलेंगे तो गांव के लोग हमे नेता बोलेंगे। हमने कहा कि लोग हमे नेता बोलते हैं तो क्या हुआ। उन्होंने कहा कि हम पड़ोस के जंगलों में गये थे। एक महिला बकरी चरा रही थी और कुछ महिलाएं मछली मार रही थी। तभी वन विभाग की स्पेशल टाइगर प्रोटक्शन फोर्स के जवान शराब के नशे में धुत होकर आए। उस समय दिन के 2:00 बजे थे। उन लोगों के पास बंदूक के अलावा बांका भी था और उस बांके को एक महिला की गर्दन पर लगा करके बोले कि तुम लोग यहां मछली मार रहे हो? पैसे दो और नहीं तो झाड़ी की ओर चलो। दो बूढ़ी महिलाओं को उन लोगों ने बांध दिया। एक जवान महिलाओं को झाड़ी की तरफ ले जाने के लिए प्रयास करने लगा। इसी समय एक लड़का जो उधर से निकला। उसके घर में कोई बीमार था, गाड़ी लेने निकला था, उसको भी उन लोगों ने मारा पीटा। एक महिला को यह कहा गया कि या तो पैसा दो और या फिर इज्जत। ऐसा सुनकर उस महिला कहा कि तुम्हारे घर में बहू बेटियां नहीं हैं उसके बाद जब उसने हाथ छुड़ा कर अपने घर पहुंची और उसने गांव में खबर फैला दी कि उस बकरी चराने वाले महिला को पकड़ लिया है और एक लड़का जो अस्पताल के लिए गाड़ी लेने गया था उसे पकड़ लिया गया है। गांव की महिलाओं ने एकजुट होकर उन्हें मारा पीटा और बंदूक छीन लिया जो बांका उनके हाथ में था उस बांका को भी छीन लिया। उसको गांव की तरफ पकड़कर ला रही थी। बनगंवा गांव के लोगों ने थाने में फोन कर दिया। गल्ला मंडी के लोगों ने पुलिस को यह बताया कि तुम्हारे पुलिस वालों को गांव की महिलाएं मारपीट रही हैं। जाकर उन्हें छुड़ा लीजिए। फिर दरोगा और तमाम सिपाही मौके पर पहुंचे। फिर छुड़वा करके बस में बैठा कर के ले गए और गांव वालों से बातचीत की। गांव की महिलाएं कह रही थी कि हम थाने में ले जाकर रिपोर्ट लिखवाएंगे। लेकिन वहां एक दरोगा छोटेलाल नाम था उसने महिलाओं को डांट करके बस कर बैठा दिया। इसके बाद पुलिस ने जब पूछा कि तुम्हारे पास लकड़ी और मछली लाने का क्या अधिकार है तो वह लोग कुछ भी नहीं बोल सकी क्योंकि वह संगठन से जुड़ी नहीं थी। इसलिए उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वहां पर एक जग्गू नाम का आदमी है जो पहले भी बनगंवा का दलाल रह चुका है। गांव का मुखिया है वह दोनों तरफ का आदमी है वन विभाग के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वह मीठी मीठी बात करता है। हमने महिलाओं से कहा कि आपका वन अधिकार है। हम आप संगठन में साथ रहेंगे लेकिन वहां महिलाएं डरी हुई हैं और उन्हें पुलिस और दलालों का डर है। वहां के व्यापारियों ने थारुओं की जमीन पर पूरी मंडी बना रखी है उस मंडी में न सिर्फ पलिया से दिल्ली तक के लोग

जिला लखीमपुर – खीरी बंतो देबी–थारू आदिवासी

करीब 6 वर्ष पूर्व 31 जुलाई 2013 को वनाधिकार कानून नियमावली संशोधन–2012 के तहत सामुदायिक लघु वनसंसाधन के हक के लिये दावों का निस्तारण अभी तक लम्बित होने का मामला

प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क क्षेत्र पलिया कलां में कुल 46 थारू जनजाति बहुल गॉव पिछले 200 वर्ष से अधिक समय से बसे हुए हैं। यहां वनविभाग के अस्तित्व में आने के बाद करीब 115 साल से निरन्तर टकराव बना हुआ है। वनाधिकार कानून के आने के बाद यहां वनविभाग द्वारा किये जाने वाले उत्पीड़न के शिकार लोगों ने महिलाओं की अगुआई में संगठित होना शुरू किया और सामूहिक रूप से जंगल से अपनी ज़रूरत का सामान लेने लगे। इससे यहां टकराव और बढ़ा और यहां के थारू समुदाय की महिलायें भी मज़बूत होकर मुखर होने लगीं। सितम्बर 2012 में पारित हुए वनाधिकार कानून की नियमावली के संशोधन में लघु वनसंसाधन के सामुदायिक अधिकार के लिये एक तीसरा दावा प्रारूप ग दिया गया, जिसके तहत 2013 में 31 जुलाई 2013 को यहां के 17 गॉवों के लिये वनसंसाधन का दावा यहां जनजातीय विभाग में जमा करवाया गया। बाद में यह गॉव बढ़कर 23 हो गये। हालांकि अधिकारियों ने संगठन से वादा किया था कि 2 माह के अन्दर दावों का उपखण्ड स्तरीय में निस्तारण करके जिला स्तरीय समिति को अग्रसरित कर दिया जायेगा। अधिकारियों के तबादले, अकारण लम्बी छुट्टी पर जाना और लापरवाही के कारण 2016 तक फाईलें खुर्द–बुर्द कर दी गयीं।

सितम्बर 2016 में जब हमें कई फाईलों के लापता होने का पता चला तो किसी तरह से परियोजना कार्यालय द्वार आधी–अधूरी फाईलों को हमें उपलब्ध कराया गया। ग्राम वनाधिकार समितियों ने फिर से उन फाईलों को दुरुस्त करके जिला परियोजना अधिकारी को उपजिलाधिकारी की उपस्थिति में हजारों लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित करके सौंपा गया। अधिकारियों ने कुछ समय तक काम में तेज़ी दिखाई लेकिन उपजिलाधिकारी का स्थानानांतरण होते ही मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया। 14–15 मार्च 2018 को संगठन द्वारा एक बार फिर से आंदोलन का दबाव बनाया गया तो तत्कालीन उपजिलाधिकारी द्वारा फिर थोड़ी तेज़ी दिखाई और उपजिलाधिकारी का इस बार भी इसके बाद स्थानांतरण कर दिया गया। यानि मामला फिर वही ढ़ाक के तीन पात। हाल ही में गत 28 दिसम्बर 2018 को महिलाएं फिर हजारों की संख्या में पुरूष साथियों के साथ उपजिलाधिकारी कार्यालय पर रैली निकाल कर गयीं तो इस बार उपजिलाधिकारी सुनन्दू सुधाकरण ने सकारात्मकता दिखाते हुए लेखपालों को सत्यापन के आदेश दिये और लेखपाल मात्र दावा प्रपत्र, संकल्प और नक्शा आदि के दस्तावेज पर सत्यापन करने लगे। हमने इस पर आपत्ति लगाई कि बिना परिवार सूचि व ज़रूरी साक्ष्यों के सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकती और यह आपत्ति लगाते हुए अपनी जमा की गयी पूरी–पूरी फाईलों की मांग की। करीब 15 दिन भटकने और लगातार अधिकारी कर्मचारियों से वार्ता और आंदोलन की चेतावनी का दबाव बनाने के बाद 24 जनवरी को तहसील में ही हैड क्लर्क के कार्यालय में हमें 14 गॉवों की फाईले बुरी तरह से धूल में अटी हुई प्राप्त हुईं। और चूंकि हमारे पास सभी फाईलों के एक–एक दस्तावेज़ की छाया प्रतियां मौजूद हैं, इस लिये दिन–रात

गुम हुई फाईलों की अपने पास रखी डुप्लीकेट फाईलों से फाईलें तैयार करने का काम किया जा रहा है, जिससे सोमवार 28 जनवरी 2019 तक हर हाल में सभी फाईलों को उपखण्ड स्तरीय समिति का सौंपने का काम किया जा सके।

जिला चंदौली – रोमा

जिला चन्दौली में वनाधिकार कानून 2006 भी लागू नहीं है तथा वनाश्रित समुदाय का उत्पीड़न चरम सीमा पर है। जिला चन्दौली में सबसे अधिक वन नौगढ़ ब्लाक में है जहां पर सबसे अधिक आदिवासी दलित समुदाय निवास करते हैं। सन, 2010 तत्कालीन जिलाधिकारी रिग्ज्यान सैम्फिल की पहल पर कई गांवों में ग्राम सभा का गठन हुआ था व व्यक्तिगत दावों को भरा गया था अधिकांश आदिवासियों का अनूसूचित जनजाति का दर्जा न होने की वजह से अधिकारियों द्वारा 75 वर्ष का प्रमाण न दिये जाने पर निरस्त कर दिए गये। जबकि 75 वर्ष की सीमा कानून में कहीं भी नहीं लिखित है केवल तीन पीढ़ियों का जिक्र है और पीढ़ी की सीमा दर्शाई गई है। वनसमुदाय को भ्रम में डालकर उनके दावे अभी भी लम्बित है। तथा इसके अलावा ऐसे कई गांव हैं जहां वनसमुदाय के पास दावे भरे रखे हैं लेकिन वे दावे अभी तक जमा नहीं हुए हैं। ऐसा ही एक गांव है कुबराडीह, जहां पर दावे लोगों के पास फाइलों में ही पड़े हुए है। वनाधिकार कानून लागू न होने की सूरत में वनविभाग, स्थानीय दबंगों एवं भूमाफियाओं व पुलिस की गठजोड़ से आदिवासी एवं वन समुदाय पर उत्पीड़न जारी है व असंख्य फर्जी मुकदमें किए जा रहे हैं। इसी कानून के संशोधित नियमावली 2012 के तहत सात गावं ग्राम भरदुआ, बोझ, ओहरावां, भुलाई, अतरवां, आदि वनाश्रित समुदाय द्वारा हजारों की संख्या में 29 जुलाई 2018 को जिला मुख्यालय चन्दौली में सामूहिक रूप से अपने सामुदायिक संसाधन के दावों को दायर किया था। इस विषय में स्वयं उपजिलाधिकारी चन्दौली द्वारा दावों को स्वीकार किया गया। लेकिन महज 10 दिन के अन्दर जिला प्रसाशन द्वारा वनविभाग को साथ लेकर ग्राम भरदुआ, अतरवां में जे0सी0वी से पूरी खेती उजाड़ दी गई व दावे की गई भूमि पर बड़ी–बड़ी खाईयां खुदवा दी गई। इस मामले को लेकर ग्रामीणों द्वारा वीडियोंग्राफी भी की गई तथा अखबारों में भी जो रिपोर्ट छपी है उसकी रिपोर्ट संलग्न है। इस प्रकरण में स्वयं जिलाधिकारी एवं पुलिस अधिक्षक द्वारा नौगढ़ में दो दिन के लिए कैम्प किया गया और जे0सी0बी0 से भूमि पर खाइयों का निरक्षण किया गया। ग्रामीणों को स्वयं जिलाधिकारी द्वारा यह कहा गया कि ''यह दावा नहीं वनभूमि पर कब्जा करने की साजिस है''। इन सभी दावेदारों पर वनअधिनियम 1927 एवं भा0दा0सा0 के तहत कई संगीन धारायें लगाई गई हैं। ग्राम भरदुआ में लगभग 55 लोगों ने सामुदायिक दावों को दायर किया था। दावे की गई भूमि पर जे0सी0वी से उजाड़ने के संबंध में ग्रमीणों द्वारा सतम्बर माह में मुख्यमंत्री क कार्यालय लखनऊ में जाकर शिकायत दर्ज की। जिसके बाद सीओ चकिया द्वारा एक जांच भी की गई लेकिन किसी भी प्रकार की कार्यवाई का अभी तक पता नहीं चला है।

जूरी मेंबर के वक्तवय

जस्टिस पी0जे कोलसे पाटिल– पूर्व न्यायाधीश मुंबई हाईकोर्ट

भारत के अनेक राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से इतने कड़ाके के ठंड में आप लोग हम देख रहे हैं लेकिन ये रोमा जी का काम है जो आप को विश्वास दिलाता है इसलिए आप यहां आए। जब–जब रोमा आदिवासियों के बोलती थी तो मुझे यह अहसास होता आया कि मैं खुद आदिवासियों में काम करता हूं। अभी दो महीना पहले 25000 आदिवासी हमारे मुख्यमंत्री के पास गये ज़मींन के बारे में मुख्यमंत्री बोले कि एक महीने में इसका एग्रीमेंटेशन करेंगे उन्होंने किया नहीं एक महीना के बाद। मेरे ऊपर बहुत चर्चा होती है कि मैं गैरकानूनी काम करवाता हूं लेकिन मैं जो भी करता हुं गरीबों के लिए करता हूं। हमारे संघर्ष के दौरान 90,000 लोगों को जंगल में जमीन दी है हमने सरकार को अप्लीकेशन दिया था की ये जंगल की जमीन है लेकिन वहां जंगल नहीं है, हमनें जमीन की मांग और चेतावनी दी कि यदिएक महीना में हमें जमींन नहीं देते हैं तो हम उसपे कब्जा करेंगे। और जब हमारा वादा पूरा नहीं किया गया तब हमने जमींनों पर कब्जा किया है। अब वहां न मिलेटरी जा सकती है न पुलिस जा सकते है। मेरे ऊपर भी केस हुआ, मुझे भी जेल में डालने का प्रयास हुआ। मै भी आप के जैसा कई बार जेल में होके आया हूं। पढ़े लिखे लोग कहते हैं मैं युरोप से आया हूं, मैं अमेरिका से आया हूं लेकिन मैं कहता हूं कि मैं जेल से आया हूं । क्योंकि जेल में जाना ये तो हमारी खुशकिस्मती है । मैं एक झोपड़पट्टी में रहता था इसलिए जो भी रोमा बोलती है आप बोलते हैं कि पुलिस कैसा झूठा मुकदमा करती है कैसा अत्याचार करते हैं कैसे जेसीबी चलाते हैं आपने उगाया हुआ फसल को कैसे नुकसान करते हैं ये सब मैं जानता हूं। और ये सब मैं अनुभव करता हूं हमारे लोगों को मैंने सिखाया है कि न हम पुलिस को डरेंगे, न हम जेल को डरेंगे, न हम मरने को डरेंगे तभी हम अपने काम में सफल हो सकते हैं। लोग जेल में जाते हैं वापस आते हैं बड़े खुशी से आते हैं मुझे घर आके मिलते हैं मेरे कई बहनों को मैंने कहा है यदि आप को मजबूती करनी है तो जेल में जाओ। तीस्ता जी हमारे लीड़र हैं वो फाइनल रिपोर्ट बनाएंगी लेकिन मैं जो कुछ हम सब ने यहां कहा, लच्छी की जो अवाज थी, कई लोग जो बोल रहे थे वो ही मेरे अनुभव के बोल हैं। मैं आप के अनुभव के बोल ले रहा हूं तो आप सब जो हिम्मत दिखा रहे हैं उसका मैं आदर करता हूं। और आप सब का अभिनन्दन करता हूं क्योंकि जब तक हम अवाज नहीं उठाएंगे हमें कोई सुनने वाला नहीं है। ये जो व्यवस्था है जिसको कहते हैं मनुवादी मनीवादी व्यवस्था है, ये जो फॉरेस्ट है ये सब अधिकारी मनुवादी है जिनकी दिल से इच्छा है की आप जंगल के मालिक न बने और सब फॉरेस्ट मनीवादी यानी पूंजीवादियों को देने का इरादा रखते हैं। मैं अभी झारखंड़ में गया था जहां गांव के गांव नहीं हैं, और लोगों को उजाड़ दिया जा रहा है, मैं उड़ीसा भी गया था जहां बच्चों को नक्सलवादी कहकर मार दिया जाता है, लोगों को ड़राया जाता है, और वहां पर भूतल जमीन में घनी जंगल है वो सब पूंजीवादियों को दिया जा रहा है। इस वक्त जंगल है जमीन है हमारे पूर्वजों की जमीन है हमारे बाप दादा के हक़ हैं, अंग्रेजों ने हमारी जमींने छीन ली, अंग्रेजों से कई गुना स्वतंत्रता के बाद हमारे जंगल के हमसे छीन लिए गए। इसीलिए अभी कई आवाजे

हमने सुनी हम तो जीतेंगे मेरे भाइयों और बहनों हम सिर्फ अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकते जो भी हमारे जैसे तबका है दलित है, मुस्लिम है उनको साथ लेना पड़ेगा, सब मिलके हमें देश की सत्ता लेनी पड़ेगी तब हम जाके ये लड़ाई जीत सकते हैं। क्योंकि आप को कुचलने का तरीका उनको मालूम है कि आप का दमन कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी ताकत बढ़ेगी तब ये ताकतें हमें नहीं कुचल पाएगी। प्रजातंत्र में संख्या बढ़ाने की जरूरत है, अब हमें संख्या बढ़ाने में लगना चाहिए। ये मैं कोशिश कर रहा हूं की दलित आदिवासी और मुस्लिम सभी जाति धर्म के लोग एक हों, संगठित हों और वो सब मिलके आप की लड़ाई लड़ें इसीलिए मैं आप सब नेतागंण से विनती करता हूं भले ही वो आप का साथ नहीं देते होंगे लेकिन हमें उनके साथ जाना होगा सब को साथ लेना होगा और प्रजातंत्र की लड़ाई में जब हम सब मिलके 40–45 प्रतिशत हमारी जनसंख्या बढ़ती है तो हम इस देश के मालिक होंगे। हम को संविधान ने देश का मालिक बनाया है लेकिन ये चोर हमें मालिक होने नहीं देते लेकिन इसलिए हमें प्रजातंत्र की मांग से संवैधानिक मांग से हमें ये सत्ता हासिल करनी होगी। मैं आप लोगों को वादा दिलाता हूं कि हम आखिरी सांस तक कि आप लोग सत्ता में आए इसलिए प्रयास करेंगे आप के साथ रहेंगे लड़ेंगे जीतेंगे।

तीस्ता सीतलवाड़ – मुंबई

यहां पर आए जूरी मेम्बर और दूरदराज़ से आए गांव के साथियों को हमारा अभिनंदन। आप लोगों ने सुबह से जो यहां बाते रखी है उसे हमनें पहले भी सुना है क्योंकि हम आपके संगठन से बहुत ही करीबी से जुड़े हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही फक्र की बात है हम ये ही कहना चाहेंगे की आप के साथ जुड़ने के बाद आप के संघर्ष के बारे में जो हमारी राजनीतिक समझ बनी है वो बहुत गहरी बनी है। और आप के शब्द दोहराते हुए मैं दो तीन बाते आप के सामने रखना चाहती हूं। जल, जंगल और जमीन एक संवैधानिक मुद्दा है, एक संवैधानिक हक है, एक मूल अधिकार है। वन अधिकार कानून अधिनियम भी इसी मूल अधिकार पर आधारित है जिसको अमल करने का कार्य किया जाना है। मगर 2006 के कानून को अमल में लाने का एक राजनैतिक मामला है। ये रोमा जी के बात और आप सब की बात से साफ नजर आता है कि कानून बनाने के लिए कितने साल लगे। आजादी के बाद संविधान बनने के बाद 62 साल बाद ये कानून बना और अमल करने के लिए आप का संघर्ष आज भी जारी है। इस कानून को लागू करने में आप को क्या–क्या झेलना पड़ रहा है, फर्जी मुकदमें से आप को सामना करना पड़ रहा है महिलाओं को तो खासकर बली का बकरा बनाया गया है। महिला लीडर जो डट के खड़ी है उनको रोकने का काम वन विभाग कर रहा है पुलिस भी उनके साथ खड़ी है और पूंजीपति ताकते भी हमला कर रही हैं। आज हम जनवरी के आखिरी महीने में खड़े है 2019 के चुनाव आने वाला है । श्यामलाल जी बात मेरे कानों में गूंज रही है कि उत्तर प्रदेश के सांसद कब जानेगें कि ये कानून उनको लागू करना है, उनका फर्ज है और अगर यहां के सांसद नहीं सुनेगें तो इन सांसदों को समझाना हमारा काम है। ये वक्त है कि पार्टियां हमारे पास आएंगी आपके पास आयेंगी ऊंचे–ऊंचे सपने दिखाएंगी चाहे सरकार में हो या विपक्ष में हों घोषणा पत्र

बनायें जाएंगे। इस वक्त हम ये कहना चाहेंगे कि घोषणा पत्र में हम बस तीन मुददे उत्तर प्रदेश के सांसदों से मांगना चाहेंगे, कि वन अधिकार कानून को लागू करने के लिए आप के क्या मुद्दे हैं आप पेश करो। नम्बर एक फर्जी मुकदमें जो हमारे आदिवासी भाई बहन दलित, समाज वन गूजरों के ऊपर हैं उनको वापस लेने के लिए आप में तीन महीने के अंदर में चाहे कैसे भी वापिस लेने की शुरूआत करनी होगी, इसे आप घोषणा पत्र में डालीए। दूसरा सांसदों से कहना होगा कि अगर आपको हमारा वोट चाहिए तो उसके लिए कमिश्नर को बैठाना पड़े जस्टिस कोलसे पाटिल को बैठाना पड़े बैठाइए और तीन छह महीने में ये 2006 से अब तक जो फर्जी मुकदमें लगे हुए हैं उसको वापस लेने का आप घोषणा पत्र में घोषणा । इन मुकदमों की वापसी के लिए चाहे एक न्यायिक आयोग बनाना पड़े तो बनाया जाए और इन फर्जी मुकदमों को समाप्त किया जाए।

मैं बहुत गहरी बात करने जा रही हूं कि 2019 के बाद दिल्ली में जो संसद बैठेगी वो पता नहीं किस शकल की होगी। लोग सब उम्मीद किये हुए बैठे हैं कि सत्ता में जरूर परिवर्तन होगा मगर पता नहीं क्या होने वाला है। जो भी हो हमें नई सरकार बनते ही यह मांग करनी चाहिए कि वनाधिकार कानून के उपर संसद का तीन दिन का विशेष सत्र रखना चाहिए ताकि किस तरह ये कानून को देश में लागू किया जा सके देश के सांसद समझे और एक राजनैतिक कार्यक्रम बनाए। ये हमारी मांग रखी जाए एलेक्शन के पहले कौन सी पार्टी इसका साथ देती है और कौन सी पार्टी साथ नहीं देती है। या तो आप इस तरफ रहेंगे या तो उस तरफ रहेंगे मैं इतना ही कह कर समाप्त करूंगी हमारा रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार हो जायेगा आप के संघर्ष के साथ ही हैं हम आप की हिम्मत सलाम करते हैं प्रणाम करते हैं।

एस0 फरमान अहमद नक़वी – अधिवक्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट

आप सब का मैं स्वागत करता हूं खास कर मुबंई से जस्टिस कोलसे पाटिल साहब वो बहुत दूर से आप से मिलने आप की पीड़ा को समझने आए है। तीस्ता जी का भी मैं स्वागत करता हुं, दोनों मुबंई से आयें हैं सिर्फ आप लोगों से मिलने। संदीप पांडे जी बहुत बड़े मशहूर आदमी हैं बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप लोागें के बीच के हैं इनका मैं स्वागत करता हूं। जंग भाई जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं इन्होंने बहुत सी बाते कही साथियों ने भी बहुत सी बाते कही और जस्टिस कोलसे पाटिल जी की बात सामने आई। कोर्ट में काम करना मेरा प्रोफेशन है कर रहे हैं, लेकिन कभी–कभी ऐसा भी होता है कि कुछ मुकदमें, मुकदमों के तौर में नहीं किए जाते उनसे एक लगाव भी होता है। उन मामलों में एक अंदर से उमंग भी होती है इसमें कुछ किया जाए। जबकि कहा ही जाता है वकील साहब कभी भी किसी भी मुकदमें से निजि तोर पर जुड़ाव नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी पिछले साल सुकालो गोंड़ का मुकदमा था उसमें हम लोग निजि तौर पर जुड़ गए। इस मामले में कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिली और जिस तरह से इनको यातना दी गई मैं तो दुआ करता हूं किसी भी आदमी के साथ ऐसा न हो, औरत तो खैर बहुत दूर की बात है इस तरह से इनको जलील किया जाता है वह तो गैरकानूनी है। खैर जो मुददा यहां पर है उसमें दो तीन चीजों पर बात रखूंगा। मैं यहां पर एक रिसर्च पेपर का जिक्र करना चाहुंगा जिसे मैंने कुछ दिन पहले पढा था जो कि निरंजन साहू का लिखा हुआ था '' माडल लैंड़ ––––'' । उनके लेख में एक बेहद ही चौंका

देने वाली बात यह लिखी है कि हमारे देश में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 8 प्रतिशत है जो कि मूलतः वनों पर अपनी जीविका के लिए निर्भर है, इसी 8 प्रतिशत की कुल जनसंख्या का 40 प्रतिशत को आज़ादी से लेकर अब तक राष्ट्रीय विकास के नाम पर उजाड़ कर विस्थापित किया जा चुका है। डिस्प्लेसमेंट यानि कि एक जगह से दूसरे जगह किसी को भगाया जाना जैसे आप लोगों को जंगल से भगाया गया, जब हमनें उसमें पढ़ा तो हमारी आंखे खुली रह गई और वो एक अंदर से पीड़ा देने वाली बात है। हमारे देश में हम अपने ही लोगों में हम अपनी ही 8 प्रतिशत जनसंख्या के 40 फीसदी हिस्से को उनके घरों से उजाड़ दे रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है इसे समझना बेहद ही जरूरी है। इसलिए फॉरेस्ट राइट्स 2006 में बना देना, सिर्फ ये कानून लागू करना इससे काम नहीं चलेगा। तीस्ता जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि इसके ऊपर आपको राजनैतिक दलों में राजनैतिक प्रेणना पैदा करनी होगी। यह जितने भी फर्जी मुकदमें हैं यह सारे मामले राजनैतिक है इसलिए इन मुकदमों को कोर्ट में लड़ लिया और जीत लिया इससे काम नहीं चलेगा। इस कानून को कौन लागू करेगा, लागू तो वहीं करेगा जिसके पास राजनैतिक सत्ता होगी। हमनें कोर्ट के भी हाल देखे हैं किस तरह से दबे कुचले आदमी को न्याय मिलने के रास्ते रोके जाते हैं और किस तरह से उनके पक्ष में आने वाले निर्णयों के साथ हेरा फेरी की जाती है। यह जस्टिस कोलसे पाटिल के भी मुबंई हाई कोर्ट के अनुभव है और हमारे भी। इसलिए हमारे पास राजसत्ता का होना बेहद जरूरी है इसके लिए मैं तीस्ता जी से पूरी तरह से सहमत हु।

मै समझता हूं की जूरी मेंबर की जो रिपोर्ट बने जिसमें इन सारे मुददों के बारे में विस्तारपूर्वक लिखा जाए और अपने अपने इलाके के सांसदों को यह रिपोर्ट दी जाए ताकि उनकी जानकारी बढ़े। अभी कुछ ही दिन पहले मैं अपने क्षेत्र के राज्य सभा के सांसद श्री रेवती रमण सिंह से मिला था, उनसे वनाधिकार के मुददे पर ही बात हो रही थी। आपको ताज्जुब होगा कि वो इलाबाद के रहने वाले हैं इलाहाबाद में भी बहुत से जंगल हैं जहां पे लोगों के अधिकार रहते हैं उनको भी पूरी तरह से वनों में रहने वाले आदिवासीयों और उनसे जुड़े मुददों के बारे में नहीं मालूम था। इस पूरे मुददे को समझाने के लिए मुझे आधा पौना घंटा लगा। उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ा दुखद मामला है, इस तरह से अगर होगा तो कैसे होगा। मैने कहा यही हो रहा है यहां पे और आप लोग अपने एलक्शन और पोल्टिकल स्टेबलाइज करने में लगे हुए हैं और आम आदमी के साथ ये हो रहा है। और अगर जनता का एक खास वर्ग इस दमन का शिकार है तो क्या वो करे, कितनी न्याय की लड़ाई लड़ेगा, कितने बार कोर्ट जाएगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है।

और रही बात जो सुकालो के जैसे जितने भी लोगों का रिपोर्ट आई इसको देखने के बाद सुनने के बाद हम लोग जूरी मेंबर की हैसियत से चाहे व्यथित हो जाएं, थोड़ा से अंतर से चिंतित हो जाए, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंतित होना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जबतक आपके राजनैतिक नेता अगर चिंतित नहीं हो रहा है तो हमारा सबका चिंतित होना या लिख के दे देना से कुछ नहीं होगा। इसलिए उनको चिंतित कराना बहुत जरूरी है वो चिंतित तभी होंगे जब उनको लगेगा कि अब ये हमको वोट नहीं देगा तभी वो चिंतित होगा इससे कम पे वो समझौता भी नहीं करेगा इसलिए आप इसके लिए सोंचिए इस लाइन. के लिए हमको काम करना है। और मैं आप सब फिर से अभिवादन करता हूं और जो यहां के आयोजको का धन्यवाद करता हुं।

पूर्व डीजीपी श्री जी0पी कनौजिया – लखनऊ

मंच पर बैठै सभी जूरी मेंबर को मेरा अभिनंदन। जैसा कि जंग हिदुस्तानी जी ने बताया कि मैं जिला चंदौली में एसपी रहा, जौनपुर में भी रहा बहराइच में भी रहा। मैं पूरी कोशिश करके यहां तक पहुचा हूं इसलिए आप सब का दुख दर्द को समझ रहा हूं। जहां भी मैं इस पद पे रहा कोशिश करता रहा कि दीन दुखियों की पीड़ितों की हर संभव मदद की जाए उससे मुझे मानसिक शांति मिलती थी। मैं चंदौली में रहा वहां आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं वहां उनका वकाई बहुत शाोषण होता है। शोषण कौन करते हैं वहां के तथाकथित दबंग लोग, वन विभाग के अधिकारी लोग से लेकर उनका शोषण करते हैं। वहीं मैंने देखा कि पहले तो आदिवासियों को जमीन देते हैं जंगल की कि आप इसको जोतो बोवो, जब वो मेहनत करके खून पसीना बहा करके खेत के रूप में तैयार कर देता है उस वक्त दबंग कब्जा कर लेते हैं। फसल को पैदा करने नहीं देना चाहते, जो महुआ बीनने वाले आदिवासी हैं जो महुआ बीनते हैं जब वो बिनके इकठ्ठा करेगा फिर उसको अपने पास रखवा लेते हैं देते हैं या नहीं देते है मुझे जो जानकारी है किलो दो किलो दे दिया तो दे दिया और शराब के कारोबारियों बेचते को हैं वो लोग जो देशी शराब बनाते हैं। इसके अलावा और एक चीज होती है चंदौली के जंगल में चिरौंजी उसे भी आदिवासी जंगल से इकटठा करते हैं वो भी उनके हांथ से ले लेते हैं ये कह कर कि वन उपज है तो तुम क्या करोगे। वहां मैंने देखा एक दबंग तथा कथित गुंडा जिसके घर ही पीएसी सुरक्षा लगी हुई थी और वो आदिवासियों को निहायत ही गंदे तरीके से शोषण करता था जब मैंने छानबीनकर पता कर लिया कि बदमाशी यही करवाता है, तो मैंने गिरफ्तार कर लिया। जिस दिन गिरफ्तार किया उसी दिन से दिल्ली तक फोन आने लगे। बहराइच में रहते हुए मैंने जंग हिंदुस्तानी को कह रखा था कि पुलिस का उत्पीड़न कहीं भी हो उसको हमारी जानकारी में लाइए। और मैं फक्र के साथ कहता हूं कि जंग हिंदुस्तानी जी ने आप लोगों के लिए दिन रात एक किया है कहीं भी कोई समस्या आई है तो इन्होंने मुझे अवगत कराया और मैंने कोशिश किया कि उसमें आप का उत्पीड़न न हो पाए। मैं सात–आठ जिलों में एसपी रहा कोशिश करता था मैं आफिस का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। जो पीड़ित है आये कहे उसका काम हो गरीब तबके के लोग फटे हाल पैरों में चप्पल नहीं है शरीर पे कपड़े नहीं हैं आते थे, जमीन पे बैठने की कोशिश करते थे, मेरा ये निर्देश रहता था कि कुर्सी खाली है तो कुर्सी पर बैठों नही ंतो खड़े रहो। और मै उनसे ये भी कहता था कि आप जो हमारे सामने बैठे हमारे अन्यदाता हो, सरकार ने मुझे आप के काम के लिए बैठाया है। तो आप का काम होगा क्योंकि आप भी टैक्स देते हो और उसी टैक्स से मुझको वेतन मिलता है। यहां पर जलौन के लोग है मैं वहां एसपी रहा आज जब ये बात आई कि जलौन में भी वनग्राम वासी रहते हैं मुझे अफसोस हुआ कि उस समय लोग अगा संपर्क करते तो शायद मैं किसी के काम आ जाता। आपको मैं एक बात कहूंगा आपसे की जिस दिन आप जमीन को छोंड़ के अलग हो गए उस दिन आपको जमीन नहीं मिलेगी। इसलिए चाहे जो भी कष्ट हो लेकिन वहां से हटने की कोशिश मत करना। और ये जान लो जब आजादी मिली थी

तमाम आजादी के दिवानों ने बलिदान दिया ये आपका सौभाग्य है कि अपनी जमीन की रक्षा करते हुए अपने घर की रक्षा करते हुए शहीद हो जाएं, वो ठीक है लेकिन जमीन छोड़ दिया तो कुछ नहीं पाएगें। वन विभाग के लोग किस तरह से अत्याचार करते हैं वो हर तरह के अत्याचार करते हैं बहन बेटियों के इज्जत पर भी हांथ डालते हैं, पैसा वसूलते हैं। बहराइच में जंग हिंदुस्तानी जी के साथ वनवासियों के लिए काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मेरे साथ डीएम थी श्रीमती कींजल सिंह उनको मैं कहता था कि आप चलिए वनग्रामवासियों के गांव में और उन्हें मदद करें। उन्होंने साथ दिया गरीब स्तर से जितना उनसे हो सकता था किया। और मैं आप से कहना चाहता हूं कि जब तक आप के बच्चों की शिक्षा नहीं होगी आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। शिक्षा की तरफ जरूर अपने बच्चों को ध्यान दीजिए आप कम खाते हैं कम पहनते हैं वो ठीक है लेकिन पढ़ाई के मामले में बच्चों को जरूर पढ़ाइए। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा मुझे उस समय बड़ी खुशी होगी जिस दिन किसी ग्रामवासी का लड़का आई0ए0स, पी0पी0एस हो जाए और ये दो पद ऐसे हैं जो आप को मिले रोज आठ दस आदमियों की मदद कर सकते हैं। जब आप लोगो का लड़का यहां खड़ा होगा जहां हम खड़े हैं तो आप को कैसा लगेगा अच्छा लगेगा गरीब और पीड़ित लोगों की मदद करेगा क्योंकि वो गरीबी से निकला है तो वो आप की ज्यादा मदद करेगा।

संदीप पांडे– वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता

मेरे भाइयों और बहनों मुझे केवल एक ही बात कहनी है कि मुझे भी मौका मिला सोनभद्र जाने का, ये बात जो रोमा जी कह रही थी कि आदिवासियों की जमीनों पर बड़ी –बड़ी कंपनियों ने कब्जा कर रखा है। रेनूकोट बड़ा आदिवासी इलाका है छोटे–छोटे स्टेशन हैं, लेकिन रेनूकोट जाइए तो पूरा जगमगा रहा है क्योंकि वहां बिजली का कारखाना है तमाम तरह के कारखाने हैं कई कंपनियां हैं ऐसा लगता ही नहीं कि आप उत्तर प्रदेश में हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में माना जाता है कि यहां तो उद्योग लगे ही नहीं लेकिन रेनूकोट जाइए तो चारो तरफ उद्योग ही उद्योग दिखाई पड़ता है और कंपनियों को जमीन मिली हुई है। और कंपनियों को ही नहीं एक संस्था है वनवासी सेवा आश्रम है, हमारे मित्र लोग हैं लेकिन मैं सोच रहा था कि इतनी बड़ी जमीने उनको उस जमाने में कैसे मिल गई, वहां स्कूल हैं कॉलेज है, दुद्धि में उनको जमीन मिली हुई है। ईसाई मिशनरीयों को ज़मींन मिली हुई है। ये देख के बड़ा ताज्जुब होता है कि कंपनियों को जमीन मिल गई, संस्थाओं को जमीन मिल गई, स्कूल कॉलेज को जमीन मिल गई जंगल की जमीन जिनको नहीं मिलनी चाहिए थी उन्होंने कब्जा ली और जिसको मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल रही है।एक बात जस्टिस कोलसे पाटिल साहब का ध्यान अकर्षित करना चाहूंगा जस्टिस पीएम भगवती ने वहां जाके सुनवाई करवाई कई लोगों को जमीन दिलवाई तो ये भी एक मॉडल है। हमें यह भी देखना कि अगर न्याय नहीं हो रहा है तो न्यायालय में आप मुकदमा लड़े जैसे राइट टू फूड वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल कमिश्नर से नियुक्त किये थे जिनका काम ही था कि हर राज्य में देखें कि कानून सही प्रकार से

लागू हो रहा है या नहीं। उसी तरह से वन अधिकार कानून में भी ये हो सकता है जिसे हमारे वकील और जज साहब अच्छी तरह से राय दे सकेगें, इस कानून को भी लागू करेन के लिए स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किए जा सकते हैं। जो हर एक राज्य में वन अधिकार कानून का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है इसकी निगरानी करें । मुझे यह भी पता लगा कि सोनभद्र में जो लोग वनाधिकार कानून के तहत दावे भी कर रहे हैं उनके दावे या तो खारिज हो रहे हैं या अगर किसी ने दो एकड़ जमीन मांगी है तो उसको एक बिस्वा जमीन मिल रही है। मतलब बहुत ही कम जितना मांगा जा रहा है उस में भी कटौती की जा रही है। मैं सोंच रहा था कि अगर कोई मान लीजिए कोई अगर बढ़ा के मांग रहा है वो खेती के लिए मांग रहा है एक आदमी कितना खेती कर लेगा पचास एकड़ में खेती तो नही करेगा पचास एकड़ तो कंपनी को चाहिए तो एक आदमी की छमता जितनी है उतना ही तो खेती करेगा तो इस कानून में चार हेक्टेयर की जो सीमा तय की गई है चार हेक्टेयर की जमीन दी जा सक्ती है। हमको लग रहा है कि ये जो पूरा खेल चल रहा है या तो खारिज हो रहे हैं या दावे के तौर पर बहुत कम जमीन दी जा रही है हमको ये कहना चाहिए की चार हेक्टेयर की बात है अधिकतम सीमा है उतना तुम सब को देदो। जो दावा कर रहा है उससे कम जमीन झंझट ही खत्म करो लड़ाई झगड़े का जो जंगल के अंदर रह रहा बस आप ये सत्यापित कर दो कि वो जंगल के अंदर रह रहा है। जो वन ग्राम समिति संतुति कर रही है जिसको मालूम है कि गांव में कौन रह रहा है कौन खेती कर रहा है उसको ऊपर का अधिकारी एस0डी0एम खारिज कर दिये रहा है। ग्राम वनाधिकार समिति की बात को माना जाए जो संतुतियां हो रही हैं उन्हीं को मान के उसी के हिसाब से जमीन दी जाए और हमारी मांग है कि सब को चार हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए।

अशोक चौधरी – अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन

जूरी के हमारे सभी सदस्य गण आप लोगों ने जो यहां आके हौसला अफजाई की है वो निश्चित रूप से हमारे साथियों को काफी मजबूती देगा। आप सभी साथियों ने जो यहां बात रखी बहुत दर्द और दमन की बात रखी। दमन के खिलाफ जो संघर्ष को बताया वो भी आप लोगों ने रखी ये खास बात है। जनसुनवाई में तीस्ता जी आई है ये भी खुशी की बात है कि साथी लड़ने के लिए तैयार हैं और उसी से प्ररित होकर बहुत सकारात्मक सुझाव दिये हैं। दरअसल जनसुनवाई की प्रक्रिया में हमारे यूनियन को बहुत भरोसा है हम मानते हैं की जनवादी आन्दोलन की प्रक्रिया में ये एक ऐसी कड़ी है, इसमें समाज के अलग–अलग तबके के लोगों का तालमेल होता है दमन और उत्पीड़न के खिलाफ। 1994 में पहली हमारे संगठन ने कई संगठनों के साथ मिल कर जनसुनवाई की थी वो सहारनपुर हरिद्वार के राजा जी नेशनल पार्क को लेके वो पहला राष्ट्रीय पार्क था जिसमें जनसुनवाई की गई थी। और उस वक्त के बहुत मशहूर जस्टिस पी0एस पोटि आये थे जो केरला हाईकोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। और उन्होंने हमारे आंख खोली, उस जनसुनवाई से जो हमारी बहुत सारी उलझने थी साफ हुई थी। उस जनसुनवाई में वाइल्ड़ लाइफ इंस्टीटयूट आफ इंड़िया में वन विभाग के साथ मीटिंग हुई थी। वन विभाग बहुत बड़ी संस्था है वहां

पर उन्होंने कहा जितने भी वन कानून हैं वो भारत के संविधान के अधिकारों के नियमों का उलंघन करता उसका हनन करता है। और जो कानून भारत के संविधान को बुनियादी अधिकार को नहीं मानता वो कानून लोकतंत्र के हित में नहीं है। वनविभाग ने इस जनसुनवाई के लिए तमाम र्खचा किया, जज साहब को खूब जंगल में हाथी पर सवारी कराई और चार दिन तक घुमाया और उन्हें उम्मीद थी जज साहब उनके पक्ष में बात करेगें लेकिन जज साहब ने उन्होंने संविधान के दायरे में वनाश्रित समुदाय के बारे में उनके अधिकारों के बारे में जबरदस्त फैसला सुनाया, इससे वनविभाग को गहरा धक्का लगा। उसके बाद एक साल बाद खुद बुग्गावाला गांव हरिद्वार जिला में आए रिपोर्ट लेकर उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट लोगों में जानी चाहिए ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले। इस रिपोर्ट को लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता भी गांव में ही आकर की। गांव में ही सभी ग्रामवासीयों के साथ बैठ कर भोजन किया। उन्होंने बोला देखिए जो विचारक होते हैं वो केवल विचार दे सकते हैं अधिकारी के हाथ में है कि वो देगा कि नहीं देगा लेकिन अधिकारी आप की बात नहीं सुनेंगे उनकी कोई योग्यता नहीं है आप उनके लिए नहीं हैं कि आप की जवाबदेही करे वो अपने मास्टर मालिक की बात सुनते हैं और उनके मालिक कौन हैं जो देश के राजनेता हैं। सरकार जिनकी होती है। राजनेता मालिक को आप की बात सुननी पड़ती है, क्योंकि आप की वोट से वो राजनेता बनते हैं। इसीलिए आप अपने राजनेताओं को पकड़िए और कहिए कि इसको होना है तब अधिकारी अपने आप सुनेंगे। हम इस बात से परेशान थे कई वर्षों से हमने सबकुछ साबित कर दिया कि ये वनाधिकार परंपरागत अधिकार है, जंगल के अंदर रहने वालों का हक है। लेकिन इस बात को आधार कही मौजूद नहीं था ऐसा कोई कानून वनाश्रित समुदाय के लिए नहीं था जहां उनके अधिकारों की मान्यता मिलें। इसलिए वनाधिकार के लिए एक केन्द्रीय कानून होना चाहिए इस के लिए हमारे संगठन और सहयोगी संगठनों में यह राय बनी। 1995 से हम लोग इस कानून को बनाने में लग गए पहले राष्ट्रीय संगठन बनाया जिसमें कई वर्ष लग गये फिर 2003–4 में इत्तफाक से देश में ऐसा माहौल बना में कि ये सामाजिक संगठनों और राजनैतिक दलों की मशक्कत से वनाधिकार कानून अपने आप आ गये। मेरा मानना है कि इसी तरह 2019 में भी ऐसा माहौल आयेगा जब राजनेताओं को आप से बात करनी पड़ेगी।

जनसुनवाई की ताकत को आप देखेंगें और जब राजाजी पार्क में हमनें जनसुनवाई की थी तो उसकी रिपोर्ट लेके हम तब उत्तर प्रदेश में स0पा और ब0स0पा की बनी साझा सरकार के वनमंत्री से मिले और उनके सामने इस रिपोर्ट को रखा था। हम लोगों ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि यह हम नहीं कह रहे बल्कि जस्टिस पी0एस पोटि कह रहे हैं कि जंगल के कानून जनता के विरोधी है और वन विभाग का जनतंत्र कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जो राज कर रहे हैं उनके सामने देश की जनता बचाए रखने की ज़िम्मेदारी है और इतनी बड़ी तदाद को बाहर जंगल से बाहर नहीं किया जा सकता। इस वार्ता के बाद मंत्री महोदय ने माना और तब राजाजी राष्ट्रीय पार्क भारत में पहला ऐसा पार्क वना है जिसमें घास और सूखी लकड़ी लेने लेने की इजाजत मिली थी। यह घास राजाजी पार्क और शिवालिक पहोड़ों में रहने वाले लाखों परिवारों की जीविका थी, इस घास को भाभड़ घास कहा जाता है जिसे खटिया के लिए रस्सी बनाई जाती है। गौर तलब बात यह है अंग्रेज़ों को जो 1927 का कानून ग्रामीणों को जंगल जाने से रोकता उसी कानून के अंदर ही ग्रामीणों को घास और सूखी लकड़ी लाने के प्रावधान मिले जिसका इस्तेमाल किया गया। जन सुनवाई की रिपोर्ट में आपकी बातों से जो बाते निकलेंगी उसका पता नहीं क्या असर होगा, पर हमें भरोसा है जब इतने सुलझे हुए लोग राय देंगे उसका असर सरकार पर जरूर पड़ना चाहिए। भारत में दो सरकार चल रही है जंगल में अलग सरकार चलती है बाहर अलग। हमारे माननीय जूरी के सदस्यों ने बहुत गंभीर बातों को आपके सामने रखा वनविभाग की जुर्रत देखिए कि वो न देश के संविधान को मानता

है और न ही देश की संसद को। भारत की संसद सबसे बड़ी है उसको नहीं मानते। हमारा संगठन जनवादी विचारधारा पर विश्वास रखता है इसलिए हम हथियार तो उठा नहीं सकते क्योंकि हम फिर दूसरे रास्ते जायेंगे क्योंकि हथियार की अलग राजनीति होती है। एक ही तरीका है जनमत का जो गांधी जी ने शुरू की थी उसको तरीके को लोग आज भूल चुके हैं। हम लोग अपने सामूहिक दावों से जंगल को अपने निंयत्रण में ले सकते हैं।

आज जो बाते निकली हैं वो सब के सामने हैं आप लोगों ने अपनी बात को रखा खास कर टांगिया गांव की, जिनको लोग नहीं जानते थे। वो गांव है जिसको अंग्रेजों ने बसाया था, 1890 से लेकर 1930 तक जिन्होंने जंगल लगाया था। 1927 के बाद सारा जंगल साफ होने को था तब अंग्रेजों ने टांगीया पद्धति की शुरूआत की थी तब बर्मा के फॉरेस्ट विशेषज्ञ के सुझाव से इस पद्धति को मान्यता मिली है। वन अधिकार कानून यह बहुत साफ कह रहा है कि जितने ऐसे गांव हैं उनको राजस्व ग्राम की मान्यता मिलनी चाहिए। क्योंकि आज के जमाने में अगर कोई गांव राजस्व नहीं है उसका कोई अधिकार नहीं होता। पंचायती राज कानून आने के राजस्व ग्राम का दर्जा पाने से ही उनका विकास होगा और जो राजस्व में नहीं है वो पंचायती राज में नहीं आ सकता ये संवैधानिक मसला है इसलिए ऐसा कानून को लागू करने के लिए उस तरह की जो सुझाव आप लोगों ने दिया वो जरूरी है। सरकार से ऐसा भरोसा मिले कि कानून लागू हो। संदीप भाई ने एक अच्छा सुझाव दिया है िकइस कूानन को लागू करने की हर राज्य में एक निगरानी समिति होनी चाहिए। जिसकी जिम्मेदारी हो देखभाल करने की व मानीटरिंग करने की। आप लोगों ने जो बातें उठाई साथ–साथ आप न ये उम्मीद जताई कि हम लोग लड़ के लेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। ये विश्वास रखना चाहिए कि हम लेंगे। जब कानून बना है तो कानून लागू भी होना चाहिए विश्वास होना चाहिए क्योंकि ये कानून ढ़ाई सौ बरस संघर्ष के बाद बड़ी मेहनत से लाया गया है। ये कानून बना है तो इतनी आसानी से कोई खतम नहीं कर सकता। यह भाजपा सरकार इस कानून को खारिज कर रही है बल्कि इसको काटने के लिए दूसरे कानून बना रही है लेकिन फिरभी कई मजबूरी है जो इस कानून को खतम नहीं कर पा रहे हैं। मोदी सरकार न बहुत कुछ खत्म किया, सब कानून में कटौती की लेकिन इसको नहीं छेड़ पाये दूसरा कानून कैम्पा कानून ले आये लेकिन तकनीकी रूप से इस कानून को खारिज नहीं कर सकते। आदिवासी मंत्रालय द्वारा भी यह सरकयूलर जारी किया गया है कि कोई भी दावा एस0डी0एम या किसी अधिकारी को इसको खारिज करने का अधिकार नहीं है केवल ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति ही दावों को खारिज करने का अधिकार रखती है। लेकिन वनविभाग वनाधिकार कानून के अंदर भी अपनी टांग अड़ा रहा है और ग्राम वनाधिकार समिति को नज़रअंदाज़ कर रहा है। दूसरी और ज़मीनी स्तर पर अभी ग्राम सभा को इतनी जागरूकता नहीं कि उनके वनाधिकार कानून के तहत क्या अधिकार हैं। आप लोगों को ही अपने क्षेत्र में सभी को जागरूक करना होगा। इस कानून में ख़ारिज करने का अधिकार नहीं है बल्कि अगर आप ने दावा ठोक दिया है तो आप को हटाया नहीं जा सकता। इसलिए आप लोगों ने जूरी सदस्यों के सामने कहा कि हम अपने अधिकार लेकर रहेगें, इसे लेकर हम एक कार्यक्रम बनाएंगे आपके सुझाव लेकर और यूनियन तथा अन्य संगठनों के साथ चर्चा करगें और राष्ट्रीय स्तर पर आने वाले महीनों में चुनाव से पहले दिल्ली में हम लोग एक सभा अयोजित करेंगे जिसमें सभी राजनैतिक पार्टी के मुख्य नेता को बुलाएंगे उनके सामने ये मांग रखेंगे और उनसे अपना ये वादा लेंगे कि आप बताइए कि चुनाव के पहले या चुनाव के बाद क्या करने वाले हैं । उ0प्र में ज्यादा जंगल नहीं है लेकिन अगर उत्तर प्रदेश सरकार यहां कर देगी तो बाकी राज्यों में फर्क पड़ेगा क्योंकि देश की राजनीति यहां से ही शुरू होती है। लिहाजा हम आतुर रहेंगे जनसुनवाई की रिपोर्ट आने तक जिसको हमारे जूरी सदस्य का मजबूत टिप्पणी होगी, उसे सामने रखकर हम लोग आगे का कार्यक्रम बनाएगें। बहुत बहुत सुक्रिया आप लोगों का धन्यवाद।

मनीशा जी– एक्शन ऐड, लखनऊ

धन्यवाद साथियों मैं देख रही हूं कि आप इतनी दूर से चल के आयें हैं ये एक औचारिकता है धन्यवाद देना ये आप सभी लोगों का कार्यक्रम है और सब ने मिलकर इसको किया है मैं जूरी के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगी। आप सभी के सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं और जाहिर सी बात है सभी साथी 17 जिलों से इतनी दूर से चल के आये हैं यहां बहुत कम हैं मैं जानती हूं कि इतने ही इनसे ज्यादा गांव में आप लोगों से जुड़े हुए हैं जो दिन रात इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और उन सब को मार्गदर्शन मिलता है इस तरह की जो जनसुनवाईयां अयोजित होती हैं उसका सबसे बड़ा जो हमारी हिम्मत होती है हमें ये समझ में आता है कि हम अकेले नहीं हैं चाहे लच्छी जी ने अपनी बात रखी हो चाहे सुकालो जी अपना पूरा संघर्ष यहां पर रखा है और बांकी बहुत सराहनीय है और मैं जानती हूं कि जनसुनवाई की तैयारी जंग भाई तीन महीना के ज्यादा समय से वहां से कर रहे हैं रोमा जी लगी हुई हैं अशोक दा लगे हुए हैं पूरा यकीन है कि हम लोगों का प्रयास व्यर्थ नहीं जायेगा और एक बात तो निश्चित रूप से ही निकल के आने वाली है कि आज जितनी भी चर्चा हुई है और जितने भी सुझाव आये हैं कहीं न कहीं वहां पर एक दबाव बनाने का एक राजनैतिक दबाव नेताओं पर काम करेंगे और इसमें हम सब इस मुहिम में जुड़ के एक साथ जीतेंगे आप सभी का बहुत–बहुत धन्यवाद।

फोटो

लास्ट पेज – फोटो